लोक-सभा वाद-विवाद

सोमवार,
५ दिसम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३--मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४--बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५--गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. . . ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोलम्बो योजना

*४८५. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टैन्डर्ड टेलीफोन एण्ड केबिल्स कम्पनी, लिमिटेड, इंग्लैण्ड के विशेषज्ञों का कोलम्बो योजना के अन्तर्गत डाक तथा तार विभाग को भेजे गये प्रतिवेदन का दूसरा भाग सरकार को कब प्राप्त हुआ था ; और

(ख) क्या सरकार ने उसमें तार और टेलीफोन संचारों के प्रसार एवं उन्हें शीघ्र-गामी बनाने के लिये की गई सिफारिशों पर विचार किया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विशेषज्ञों के प्रतिवेदन का दूसरा भाग अप्रैल, १९५५ में प्राप्त हुआ था ।

(ख) जी हां, विभाग ने विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या विशेषज्ञों ने तारघर कार्यालयों को

आधुनिक बनाने के लिये भी कोई तरीके सुझाये हैं ?

श्री राज बहादुर : विशेषज्ञों की सलाह का उद्देश्य वही था । वास्तव में उन्होंने तारघरों में स्वचालित प्रणाली चालू करने के सम्बन्ध में तथा प्रणाली को आधुनिक बनाने, सन्देशों के प्रत्यागमन में शीघ्रता लाने और लाइनों पर भार कम करने की दृष्टि से 'को एक्सियल केबिल्स चालू करने के लिये सिफारिशें की हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में होने वाले अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में कोई अंदाजा लगाया है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक टेलीप्रिन्टरों की स्थापना का सम्बन्ध है, चालू तथा फालतू टेलीप्रिन्टरों का मूल्य सम्मिलित करके, यह अन्दाज किया जाता है कि ७७ से ९५ लाख रुपये के बीच का व्यय होगा । दूसरे, समस्त कार्यालयों के लिये, जहां संन्देशों की संख्या प्रति दिन ४० से अधिक है, स्वचालित प्रणाली के लिये लगभग १८० लाख रुपये व्यय होंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन्होंने संचारों को शीघ्रगामी बनाने के लिये कोई ठोस सुझाव दिये हैं ?

श्री राज बहादुर : वही तो उद्देश्य है । 'कोएक्सियल' केबिल्स की अवस्था तथा तारघरों में स्वचालित प्रणाली चालू करने से सन्देशों के प्रत्यागमन में शीघ्रता होगी और खर्च में भी कुछ कमी होगी ।

गोदी कर्मचारी

*४८८. **श्री गिडवानी : क्या परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय पत्तन एवं गोदी कर्मचारी संघ ने सरकार के सामने कुछ मांगें रखी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हड़ताल सरकार के इस आश्वासन पर खत्म की गई थी कि उन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन मांगों पर विचार किया जा चुका है और क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतीक हड़ताल की धमकी संघ को पत्तन अधिकारियों तथा सरकार द्वारा पत्तन मजदूरों से संबंधित समस्याओं के हल के लिये उठाए गये कदम समझाए जाने पर वापिस ले ली गई थी ।

(ग) वे मांगें पत्तन अधिकारियों द्वारा रखे गये विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों तथा उद्वभरकों (तह भरने वालों) से संबंधित हैं । बड़े पत्तनों के कर्मचारियों का मामला संबंधित पत्तन अधिकारियों के विचाराधीन है । कुछ मामलों पर निणर्य किये जा चुके हैं । अन्य मामलों पर तब विचार किया जायगा जब कतिपय संबंधित मामलों पर बम्बई के औद्योगिक अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय ज्ञात हो जायगा । उद्वभरक मजदूरों की अनेक मांगें गोदी कर्मचारी नौकरी (विनियमन) जांच समिति की सिफारिशों से जुड़ी हुई हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि मजदूर वर्ग भुगतान की खण्डदर प्रणाली के संबंध में गोदी जांच समिति की सिफारिश के विरुद्ध था और उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय रहा ?

श्री अलगेशन : यह सही नहीं है । मजदूर वर्ग ने जांच समिति के साथ सहयोग किया था । जांच समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं, और उसने खण्ड दर प्रणाली की सिफारिश की है ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी तक समिति की कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

श्री अलगेशन : मैंने कहा कि समिति की समस्त सिफारिशें इसी समय सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूँ कि जांच समिति का प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुआ था और उसको जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूँ कि प्रतिवेदन सितम्बर में प्राप्त हुआ था और समस्त सिफारिशों की जांच की जा रही है । इसी बीच में, जैसा कि उत्तर में कहा गया, बम्बई में एक पंचाट दिया गया । वह मामला पुनः अपीलीय न्यायाधिकरण के पास गया है । हम उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूँ कि संघ ने समिति की किसी भी सिफारिश के विरुद्ध कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया है ?

श्री अलगेशन : मुझे नहीं मालूम ।

वर्धा-बल्लारशाह रेलवे लाइन

*४९०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा-बल्लारशाह उपखण्ड (सेक्शन) के मार्ग पर अधिक भारी पटरियां बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वह कब तक पूर्ण हो जायगा तथा देरी के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). हिंगनघाट और बल्लारशाह के बीच फिर से पटरी बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया है और आशा है कि वर्धा और हिंगनघाट के बीच ३१-३-५६ तक पटरियां बिछाई जाएंगी। इस काम को पूरा करने में देरी का यह कारण है कि समय के अन्दर सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: यह कहा जाता है कि देरी सामग्री उपलब्ध न होने के कारण हुई। क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन कौन सामग्रियां उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री शाहनवाज खां: एक तो स्थिरक पट्ट [फिश प्लेट (जोड़ने के पट्ट)] संभवतः माननीय सदस्य यह जानना पसंद करेंगे कि रेलवे की अभी केवल १०,००० टन स्थिरक पट्टों ही की मांग की पूर्त्ति होना बाकी है, और ये छोटी छोटी कमियां कार्य की प्रगति में बाधक हो रही हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: क्या यह सच है कि भद्रवती आयरन वर्क्स ने स्थिरक पट्ट व स्लीपर (शहतीर) जुटाने के लिये कहा था ? क्या रेलवे ने वे लिये अथवा नहीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): प्रदाय का प्रबन्ध लोहा तथा इस्पात नियत्रंक करता है। वह देशीय प्रदाय तथा आयात के लिये आदेश दोनों का विचार रखता है। इन सब पर विचार करने के बाद हम प्रदाय प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। यह हमारा एक कष्ट का विषय रहा है।

भारत तथा चीन के बीच डाक्टरों का आदान प्रदान

*४९१. **श्री श्री नारायण दास**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में ही स्वास्थ्य मंत्री की चीन यात्रा में भारत और चीन के बीच सहयोग के तौर पर डाक्टरों के आदान प्रदान की प्रणाली का स्वागत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों के ऐसे आदान प्रदान का आधार क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) तथा (ख). सरकार के सामने कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। परन्तु वह ऐसी किन्हीं भी योजनाओं का स्वागत करेगी जो देशों के बीच मित्रतापूर्ण सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में योग देती हों।

श्री श्री नारायण दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी चीन यात्रा के दौरान में वहां की चिकित्सा सेवाओं के किन्हीं ऐसे पहलुओं का अवलोकन किया जिनसे भारत लाभ उठा सके ?

राकुमारी अमृत कौर: जी हां, केवल यह कि वे इस स्थिति में हैं कि उन के कालिजों से जितने भी चिकित्सा-स्नातक निकलते हैं, उन सब को वे नौकरी दे सकते हैं तथा वे इस स्थिति में भी है कि उन्हें उनके इच्छित स्थानों को भेज भी सकते हैं।

श्री श्री नारायण दास: क्या माननीय मंत्री ने उस देश मे चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात देखी जिससे भारत लाभ उठा सके ?

राजकुमारी अमृत कौर: जी नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा के स्तर वास्तव में अधिक उंचे हैं।

श्री कासलीवाल: क्या यह सच है कि हाल ही में हुए अवर-स्नातकों के लिये चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन में चीनी डाक्टरों का एक प्रतिनिधि मण्डल भी सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत आया था ?

राजकुमारी अमृत कौर: जी हां, ऐसा ही है ; वे मेरे निमंत्रण पर आए थे।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि चाइनीज़ डाक्टर जो हैं वे चाइनीज़ मैडिकल साइंस को जानते हैं या वैस्टर्न साइंस, यानी ऐलोपैथी को भी जानते हैं । और जब वे यहां आये तो उन्होंने अपनी राय किस सम्बन्ध में दी थी ।

राजकुमारी अमृत कौर : चाइना में उन्होंने माडर्न मैडीसिन को स्वीकार किया है । उनकी पुरानी मैडीसिन में भी जो जड़ी बूटियां हैं उन पर तजुर्बा किया जा रहा है और जो उनमें से मुफीद हैं उनको ले रहे हैं, लेकिन वे जो अपने नये डाक्टर बना रहे हैं उनको इस (याने पुराने) सिस्टम का नहीं बना रहे हैं । यहां पर वे लोग राय देने के लिये नहीं आये थे । वे तो यहां सुनने के लिये आये थे कि हमारी मैडीकल एजुकेशन किस तरह से चलती है, कैसे हमारे कोर्स हैं, कितने साल के हैं, और जो वे खुद कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने हमें बतलाया था ।

रेलवे अधिकारियों की रूस यात्रा

***४९२. श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री २ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस रेलवे अधिकारियों के दल ने हाल ही में रूस यात्रा की थी उसकी किन किन सिफारिशों को कार्यरूप में परिणत किया गया है ; और

(ख) उनमें से कौन अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) लोकसभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें-वे सिफारिशें दी गई हैं जो स्वीकार कर ली गई हैं ; और कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा जो कार्यान्वित की जा रही हैं । **[देखिये परिवहन ३, अनुबन्ध संख्या ५१]** शेष सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

श्री डाभी : विवरण में तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सोने के स्थान की व्यवस्था के सम्बन्ध में उल्लेख है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सोने का स्थान, एक के ऊपर एक, परतवार तीन बर्थों में होता है जिन पर यात्री सीधा नहीं बैठ सकता और कई घंटों तक यह आशा भी नहीं की जा सकती कि वे . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्न अनेक बार दुहराया जा चुका है और इसका उत्तर भी अनेक बार दिया जा चुका है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो कोई अन्य प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री डाभी : क्या मुझे इस प्रश्न के पूछने की अनुमति नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुपूरकों के रूप में एक ही प्रश्न की पुनरावृत्ति द्वारा सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : लेकिन ये कठिनाइयां तो बनी हुई हैं ।

श्री डाभी : इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि तीन परतों की बर्थें आरामदेह नहीं हैं, क्या सरकार एक परत को हटाने तथा विशेष शुल्क को २ रुपये से बढ़ा कर ३ रुपये या ४ रुपये करने का विचार करती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न के लिये भी अनुमति नहीं दूंगा । इस विषय पर अनुपूरक प्रश्नों द्वारा दो बार से अधिक पूछा जा चुका है ।

श्री डाभी : मैं एक ही प्रश्न नहीं पूछना चाहता . . . . . ।

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न को कार्यवाही के लिये सुझाव होने के आधार पर भी अस्वीकृत किया जा सकता था परन्तु मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं । मैं उन्हें अनुमति दूंगा । परन्तु उन्हें ऐसे विषय पर प्रश्न पूछना चाहिये जिस पर अनुपूरकों द्वारा पहले ही न पूछा जा चुका हो । वह ऐसे

विषय पर प्रश्न कर रहे हैं जो पहले ही एक अनुपूरक प्रश्न द्वारा पूछा जा चुका है ।

श्री डाभी : तो मैं अब यह पूछूंगा कि क्या सरकार कोई परत हटाने जा रही है ....

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव के रूप में अनेक बार रखा जा चुका है ।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्तमान शुल्क को बढ़ाने व एक परत को हटा कर सोने वाले यात्रियों को अधिक आराम देने का विचार करती है ?

श्री शाहनवाज खां : वर्तमान शुल्क को बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं ।

श्री श्री नारायण दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का अन्दाजा लगाया गया है कि यदि सरकार द्वारा समस्त सिफारिशें कार्यान्वित की जायें तो कितना व्यय होगा ?

श्री शाहनवाज खां : चूंकि हमने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि हम कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार करेंगे इसलिये हम उनका व्यय नहीं बता सकते ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि तीसरी श्रेणी में सोने की बर्थों (स्थानों) के लिये कितनी मांग की गई है और यह भी कि ये सुविधायें कितनी गाड़ियों में दी जाती हैं ?

श्री शाहनवाज खां : कोई निश्चित निर्धारण नहीं किया गया है । हम जानते हैं कि यह मांग विचारणीय है । इस समय सोने का स्थान (बर्थ) ४ ब्राड गेज (बड़ी लाइन) और २ मीटर गेज (छोटी लाइन) की गाड़ियों—अर्थात् विशेष गाड़ियों में दिया जाता है ।

अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर

*४९४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बंगलौर की अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था ने अभी तक मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विशेष अध्ययन और गवेषणा का क्या कार्य किया है; और

(ख) क्या इस संस्था ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के साथ उसकी सहयोजना से मानसिक स्वास्थ्य की गवेषणा में कोई मौलिक योग दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) यह संस्था पहली अप्रैल, १९५४ को ही आरम्भ की गयी थी, इसलिये उससे गवेषणा के क्षेत्र में किसी निश्चित योग की आशा करना समय से पहले की बात होगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस गवेषणा कार्य में कितने विशेषज्ञ लगे हुये हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : मेरा ख्याल है कि इसके लिये मंजूरी-प्राप्त कर्मचारियों में एक निर्देशक, एक मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष और प्रोफेसर, एक स्नायु- चिकित्सा विज्ञान का सह, प्रोफेसर, एक स्नायु-शल्य-चिकित्सा विज्ञान का सह-प्रोफेसर और एक स्नायु-व्याधिकी का कनिष्ठ प्रोफेसर होंगे । इन तीनों पदों को विज्ञापित किया गया है । इनके अलावा, मनोविज्ञान के तीन सहायक प्रोफेसर, जीव-रसायन का एक सहायक प्रोफेसर, संस्कृत का एक गवेषणा अधिकारी परिचारिकाओं की एक शिक्षिका और अन्य कर्मचारी भी उसमें होंगे ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस विवरण से तो लगता है कि स्वप्नों और दिवा-स्वप्नों आदि के सम्बन्ध के बारे में आंग्रम अध्ययन किया जा रहा है । मैं पूछ सकता हूं कि इन दोनों प्रकार के स्वप्नों में क्या अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह माननीया मंत्री के विशेष ज्ञान के क्षेत्र में आता है ?

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं पूछ सकता हूं कि इस पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : केन्द्रीय सरकार इस पर कुल १.८ लाख का अनावर्तक व्यय करेगी, जिस में से १ लाख रुपये अस्पतालों और .८ लाख साज-सज्जा के लिये है । इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार मार्ग-व्यय और विशेषज्ञों पर होने वाले व्यय के लिये १.५६३ लाख रुपये भी खर्च करेगी । मैसूर सरकार इस संस्था की इमारत के विस्तार पर और अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य-संस्थापन की इमारत आदि के लिये ४.७ लाख रुपयों का अनावर्तक व्यय करेगी और उसके अपने हिस्से की सज्जा का ५० प्रतिशत भार उठायेगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : यह एक दिलचस्प विषय है और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गवेषणा-कार्य के विवरण की एक प्रति दे दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य सूचियों की एक प्रति अपने लिये चाहते हैं । वह उन्हें दे दी जाये ।

राजकुमारी अमृत कौर : महोदय किस विवरण की ?

अध्यक्ष महोदय : जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

राजकुमारी अमृत कौर : अवश्य ।

भारत और इंगलैण्ड के बीच विमान-संचालन करार

*४९५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या संचार मंत्री ९ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और इंगलैंड के बीच हुए उभयपक्षीय विमान-संचालन करार का पुनरीक्षण कब किया जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जैसा कि पिछले उत्तर में कहा गया था, यह पुनरीक्षण १९५६ के आरम्भ में किया जायेगा ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं पूछ सकता हूं कि इसके और इससे सम्बन्धित अन्य मामलों के पुनरीक्षण में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री राज बहादुर : यह नवम्बर, १९५५ में होने वाला था, पर इंगलैण्ड की सरकार ने उस समय भारतीय प्रतिनिधि-मंडल से वार्ता चलाने में हमसे अपनी असमर्थता दिखाई थी । इसलिये, इसको अगले वर्ष के आरम्भ तक स्थगित करना पड़ा है ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पूरा-पूरा संतोष है कि वर्तमान करार की शर्तें 'एयर इंडिया इन्टरनेशनल' के हितों से तो नहीं टकरातीं ।

श्री राज बहादुर : पुनरीक्षण का उद्देश्य उस करार का खंडन करना नहीं । उसका उद्देश्य उन सेवाओं में पिछले १२ मासों में सुलभ हुई बारम्बारताओं और क्षमताओं का पुनरीक्षण करना और अगले १२ महीनों के लिये उनकी एक अनुसूची तैयार करना ही है ।

राष्ट्रीयकृत विमान-कम्पनियां

*४९७. **श्री झूलन सिंह** : क्या संचार मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने

की कृपा करेंगे जिसमें राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत विमान-कम्पनियों में यात्रियों की सुविधाओं और विमान-चालन की दक्षता की दिशा में किये गये सुधारों को बताया गया हो ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : लोक-सभा-पटल पर विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]**

श्री झूलन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विमान कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में कोई कमी हुई है ?

श्री राज बहादुर : मेरा ख्याल है कि हर वर्ष दुर्घटनाओं के आपात में कमी होती जा रही है, और वर्ष, १९५४ में, राष्ट्रीयकरण के पहले पूरे वर्ष में, अनुसूचित विमान सेवाओं में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थीं।

श्री झूलन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने के फलस्वरूप इन कम्पनियों की आमदनी में भी कुछ वृद्धि हुई है ?

श्री राज बहादुर : यातायात में भारी वृद्धि हो गई है। असल में, यातायात इतना बढ़ गया है कि बहुधा हम उस पर पार पाने में असमर्थ होजाते हैं और हम अभी वायुयानों में बैठने के स्थानों की संख्या अधिक बढ़ाने में असमर्थ हैं।

श्री श्री नारायण दास : मैं जानना चाहता हूं कि इन सुविधाओं पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : मेरे पास उसके सही-सही आंकड़े नहीं हैं, इसके लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि संचालन-दक्षता के लिये मंत्रालय द्वारा प्रणित एकीकृत प्रशिक्षण-योजना के अन्तर्गत अब तक हमारे कितने प्रशिक्षित विमान-चालक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

श्री राज बहादुर : इस प्रशिक्षण का प्रबंध ऐसा कोई मंत्रालय नहीं बल्कि विमान कम्पनियों का निगम है। इस योजना के अन्तर्गत अगस्त तक ५८ विमान चालक अधिकारियों को व्यमान-अंकन में विमान चालकी प्रतिक्षण दिया गया था और अधिकारियों के रूप में नये भर्ती किये गये तथा 'बी' लाइसेंस प्राप्त और डक्कोटा अंकनों वाले ५६ विमान-चालकों को आगे की प्रशिक्षा दी गई थी।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यदि इन कम्पनियों को अत्यधिक विमान यात्री मिल रहे हैं, तो फिर प्रति वर्ष उन्हें हानी होते रहने का क्या कारण है ?

श्री राज बहादुर : नये विमान मंगाना, विमानों के पुराने पुर्जे बदलना, विस्तार करना और ऐसी ही अन्य सभी बातें।

वन्य पशु सम्बन्धी भारतीय बोर्ड

***४९८. श्री भक्त दर्शन** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री ३० मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६६७ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशु सम्बन्धी भारतीय बोर्ड की सिफारिशों तथा सुझावों पर अब तक कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन की एक प्रति सभा की टेबल पर रखी जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :

(क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा की टेबिल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से यह स्पष्ट है कि अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में समय-समय पर रिपोर्टें मांगी जाती हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन सिफारिशों पर पूरी तरह अमल किया जाय ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सूचना तो फिलहाल ही दी गई है, और मालूम होता है कि सभी राज्य सरकार इस बात पर अच्छी तरह ध्यान दे रही हैं। अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गयी है, मगर हम इस पर विचार करेंगे।

श्री भक्त दर्शन : इस बोर्ड ने सिफारिश संख्या ८ की थी उसका मंशा यह था कि जिन स्थानों में जंगली जानवरों की रक्षा करने की व्यवस्था की जा रही है वहां खेती की रक्षा सम्बन्धित बन्दूकों के लाइसेंस वापस कर लिये जायें। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि जहां-जहां जंगली पशुओं की इस तरह रक्षा की जा रही है वहां खेती का नुकसान बढ़ता जा रहा है, तो क्या इसके बारे में कोई व्यवस्था की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह चीज़ तो प्रान्तीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। मैं नहीं समझता कि जैसा नतीजा आपने बतलाया है वैसा हो रहा है। जहां लाइसेंस ज़्यादा होंगे वहां तो नुकसान कम ही होगा।

श्री भक्त दर्शन : इस बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस मद में काफी रुपये का प्रबन्ध किया जाय। क्या मैं जान सकता हूं कि इस मद के लिये कितने रुपये की मांग की गयी है, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में अपना क्या अंतिम निर्णय दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : शुरू में हमने इस के लिये एक करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन हम को इतना पैसा मिलने की आशा नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार के पास इस बात की तालिका है कि विभिन्न प्रदेशों में कितने खेतों में जंगली जानवरों द्वारा नुकसान किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो आप की सूबे की सरकार ही बतला सकेगी।

मुगलसराय स्टेशन में मालगाड़ियां खड़ी होने का स्थान

*४९९. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय स्टेशन में मालगाड़ियां खड़ी होने के स्थान द्वारा कोयला लाने-ले जाने और माल के आम यातायात में कुछ सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मुगलसराय स्टेशन से कोयले सहित आम माल के यातायात की क्षमता पिछले दो वर्षों के दौरान लगातार बढ़कर १५०० से १९०० डिब्बे प्रति दिन तक पहुंच गई है। अब उसे २,००० डिब्बे प्रति दिन तक, और आवश्यकता पड़ने पर इससे भी अधिक बढ़ाने का विचार है।

(ख) यह बढ़ती रेल-मार्ग के आवर्धन और पूर्वी तथा उत्तरी रेलवे के मुख्यतः सम्बन्धित भागों में मालगाड़ियां खड़ी होने के स्थानों की क्षमता के आवर्धन और मुगलसराय स्टेशन के मालगाड़ियां खड़ी होने के स्थान का आवर्धन करके और अधिक गाड़ियां जुटाकर तथा कार्य-दक्षता में सुधार करके प्राप्त की जायेगी।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुगलसराय स्टेशन पर होने वाले

सुधार के फलस्वरूप मंडुआडिह स्टेशन के वाहनान्तर की स्थिति भी सुधर गई है ?

श्री अलगेशन : मंडुआडिह की क्षमता काफी बढ़ा दी गई है ।

श्री एन० बी० चौधरी : : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार मुगलसराय स्टेशन में मालगाड़ियां खड़ी होने के स्थान का और अधिक विकास होने के फलस्वरूप पैदा होने वाले आशंकित परिवहन-गतिरोध की समस्या का क्या निदान सोच रही है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं बता चुका हूं, उसकी क्षमता १५०० डिब्बों से १९०० डिब्बे प्रति दिन तक बढ़ाई जा चुकी है और हम रेल-मार्ग की क्षमता इत्यादि बढ़ा कर कुछ अन्य उपाय भी कर रहे हैं । हम उसे २,००० डिब्बे प्रति दिन तक बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

वन–विद्या आयोग

*५००. **श्री डी० सी शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७९ के उत्तर का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब वन-विद्या आयोग बनाने के अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक अपना कार्य शुरू कर देगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) वनों के महा निरीक्षक ने वन-विद्या आयोग बनाने के अपने प्रस्ताव हमें दे दिये और सरकार उन पर विचार कर रही है ।

(ख) आशा है कि यह आयोग द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय से अपना कार्य करना शुरू कर देगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि वनों के महानिरीक्षक ने अपने प्रस्तावों में आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी रखी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वर्तमान प्रस्तावों के अनुसार, इस आयोग में छै से नौ तक सदस्य रहेंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस आयोग में विदेश के विशेषज्ञों की भी कुछ सहकारिता रहेगी, और यदि हां, तो कितनों की ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक विदेश के विशेषज्ञों की सहकारिता का कोई भी प्रस्ताव नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस आयोग को उन अन्य देशों में जाने का अधिकार भी रहेगा जिन में वन-विद्या एक ऊंचे दर्जे की सम्पूर्णता प्राप्त कर चुकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वन-विद्या का अध्ययन करना इस आयोग के कृत्यों में नहीं हमारे पास यथेष्ट ज्ञान मौजूद है, पर शायद अवसर आ सकता है जब आयोग ऐसा अध्ययन करना आवश्यक समझे ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं इतना कहना चाहता हूं कि आयोग बनाने का प्रश्न अभी विचाराधीन ही है और अच्छा हो यदि माननीय सदस्य उसके अन्तिम रूप ग्रहण करने तक कुछ ठहर लें ।

बागान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समिति

*५०१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १७ से २९ अक्तूबर, १९५५ तक जेनेवा में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन की बागान सम्बन्धी समिति के तृतीय अधिवेशन में कौन से मुख्य-मुख्य निर्णय किये गये थे ; और

(ख) इन निर्णयों से भारतीय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को कहां तक लाभ होगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). अभी तक वे निर्णय हमारे पास नहीं पहुंचे हैं । उनके प्राप्त होने पर उनकी जांच की जायेगी । मैं इसमें इतना और जोड़ देना चाहता हूं कि हमारे अपने प्रतिनिधि द्वारा भेजे हुए प्रतिवेदन से पता लगता है कि उन्होंने प्रशासकीय निकाय को इस बात पर सहमत कर लिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की कार्यावलि में बागान के श्रमिकों का विषय भी रख लिया जाये, जिससे कि सम्मेलन इस विषय पर शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अधिवेशन में एक समझौता या सिफारिश स्वीकृत कर सके । भारत सरकार बहुत पहले से इसकी इच्छा कर रही थी ।

श्री विभूति मिश्र : कमेटी के जो फैसले होते हैं उनको प्लांटेशंस पर लागू करने के लिये, क्या भारत सरकार कानूनी कार्रवाई भी करती है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : जरूर कानूनी कार्रवाई होती है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि चाय के और काफी के जो बागान हैं उनमें जो मजदूर काम करते हैं और जिन के पास घरबार की सुविधायें नहीं हैं और मजदूरी भी कम मिलती है, उनको इस कमेटी के फैसले के अनुसार सरकार क्या सहूलियतें देगी ।

श्री आबिद अली: इसके बारे में प्लांटेशन लेबर एक्ट, १९५१ में पास हुआ था और उसकी बहुत सी प्रविजंस को अमल में लाया गया है ।

रेलवे लाइनों के नीचे नये शहतीर लगाना

***५०४. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९५५ तक चालू वर्ष के दौरान कुल कितने मील लम्बी रेल-पटरियों के नीचे नये शहतीर लगाये गये ;

(ख) क्या यह सही है कि इस काम में अनुसूची के अनुसार प्रगती नहीं हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) लगभग ४०८ मील ।

(ख) जी हां ।

(ग) शहतीरों की अप्राप्यता और/या कसने के पेचों का समय पर न मिलना ।

(घ) आवश्यकता को पूरा करने के लिये शहतीरों और पेचों को स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से प्राप्त करने के लिये हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : कुल कितने मील रेल पथ में नये शहतीर लगाना अभी शेष है ?

श्री शाहनवाज खां : प्रत्येक वर्ष इन नवीकरणों के लिये हमारा एक कार्यक्रम बना रहता है और सामान्यत : हम प्रत्येक वर्ष के लिये १,००० मील का कार्यक्रम बनाते हैं और अधिकांश कार्य मानसून के बाद होता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि दक्षिणीय रेलवे में जो नवीकरण सम्बन्धी कार्य होता है, वह अन्य रेलों की

तुलना में बहुत धीरे होता है, और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ।

श्री शाहनवाज खां : बहुत से मामलों में धीमी गति के ऐसे कारण होते हैं, जिन पर काबू नहीं पा सकते, उदाहरणतः लकड़ी के शहतीरों का उपलब्ध न होना। लकड़ी के शहतीरों की बहुत कमी है। इसके अतिरिक्त, बाहर से मंगाये जाने वाले धातु के शहतीर अथवा ढले हुए लोहे के शहतीरों के लिये आदेश अन्य मंत्रालय भेजते हैं, रेल मंत्रालय नहीं। हमें इन चीजों की उपलब्धि पर निर्भर रहना पड़ता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि एक तरफ तो स्लीपर्ज की बहुत ज्यादा कमी है और दूसरी तरफ हर साल कई लाख स्लीपर काश्मीर के पास से बह जाते हैं ; यदि वहां, तो इसको रोकने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): मुमकिन है कि स्लीपर्ज की इतनी कमी न हो जितनी कि आनरेबल मैम्बर ने बतलाई है लेकिन जो हमारी कठिनाई है वह यह है कि जो दाम स्टेट गवर्नमेंट्स तय करती हैं, मुकर्रर करती हैं, वह उन रेट्स से, जो हम तय करते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम ब्राड गेज के एक स्लीपर के १८ रुपये तय करते हैं तो मांग होती है कि २१ रुपये, २२ रुपये और २३ रुपये तक स्लीपर के दाम हों। हम ने दामों को बढ़ाना भी चाहा है लेकिन तब भी हमें इस के बारे में पूरी सफलता नहीं मिली है। इस वास्ते लकड़ी के स्लीपर रहते हुए भी जहां तक कीमत की बात है, स्टेट गवर्नमेंट्स मदद करना चाहते हुए भी नहीं कर पाती हैं ।

पंडित डी० एन० तीवारी : मैटल स्लीपर और वुडन स्लीपर के दाम में कितना फर्क है और मेटल स्लीपर वुडन स्लीपर के मुकाबले में कितनी ज्यादा देर चलते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मेरे विचार में लकड़ी के शहतीर १५ से १८ साल तक चलते हैं, जबकि ढले हुये अथवा इस्पात के शहतीर लगभग ३० साल तक चलते हैं। शुरू में वे मंहगे पड़ते हैं, किन्तु आगे चलकर वे सस्ते पड़ते हैं ।

कोलम्बो योजना

***५०५. श्री भागवत झा आजाद** : क्या रेलवे मंत्री १९-९-५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १८८३ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अधीन अब तक आस्ट्रेलिया से कुल कितने रेल के डिब्बे प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) माल की पहली खेप किस तारीख को आई थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोई नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि देश की आवश्यकता के अनुसार जबकि देश में ही कोचेज नहीं बन रही हैं तो क्या यह सवाल सरकार के विचाराधीन है कि विदेशों से भी डिब्बों का आयात किया जाए, यदि हां, तो किन किन देशों से मंगाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज खां यह जो सवाल है यह तो सिर्फ कोलम्बो योजना के बारे में है। मेरा खयाल है जो सवाल अब आनरेबल मैम्बर ने किया है वह इस सवाल से जरा बाहर मालूम होता है ।

श्री भागवत झा आजाद : कोलम्बो योजना के ही अन्तर्गत क्या सरकार आस्ट्रेलिया के अलावा किसी दूसरे देश से भी डिब्बों के आयात करने का विचार कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : आम तौर पर हमारा विचार यही है कि हम सवारी डिब्बे बाहर से न

मंगवायें लेकिन कोलम्बो योजना के मातहत हमें सस्ते दामों पर वह चीजें मिलती हैं, रेलवेज़ को चाहे न मिलती हों, मगर गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया को मिलती हैं। इस वजह से जब हमें ऐसी सहायता देने की बात होती है तब उनके मुताबिक हम मंगाते हैं, और बाकी हम अपने देश में ही बनवाते हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि डिब्बों के मामले में हम संतोषजनक स्थिति में हैं और हम ने बाहर से मंगाने भी बन्द कर दिए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि हम अपनी जरूरत का कितना प्रतिशत भाग अपने यहां ही बना कर पूरा कर रहे हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमारे यहां जितनी मांग है, उसका पूरे का पूरा भाग हम अपने यहां बनाने की कोशीश करते हैं।

इन्फ्लुएंजा (जुकाम) का टीका

***५०६. श्रीमती मायदेव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) कुन्नूर में भारत में ही उपलब्ध होने वाले सामान से इंफ्लूएेंजा (जुकाम) के टीके बनाने की अग्रिम योजना कब प्रारम्भ की जायेगी ; और

(ख) इस दिशा में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) और (ख). इन्फ्लूएेंजा (जुकाम) केन्द्र कुन्नूर में भारत में ही उपलब्ध होने वाले सामान से इन्फ्लूएेंजा के टीके बनाने की अग्रिम योजना १ नवम्बर, १९५४ से चालू है।

श्रीमती मायदेव : इस परियोजना में कुल कितना खर्च होगा और क्या विश्व इन्फ्लूएेंजा केन्द्र इसके लिये कोई आर्थिक सहायता दे रहा है ?

राजकुमारी अमृत कौर : भारत सरकार ने १९५४-५५ में ६,००० रुपये और १९५५-५६ में ९,५०५ रुपये अनुदान के रूप में दिये और १९५६-५७ के आय-व्ययक में २५,५०० रुपयों का उपबन्ध कर दिया है। इस राशि में, १३,५०० रुपये उपकरण खरीदने के लिये हैं। और जहां तक बाहरी सहायता का सम्बन्ध है, हमें विश्व इन्फ्लूएेंजा केन्द्र से कुछ सामान प्राप्त हुआ है और कुछ सामान अमरीका और डेनमार्क से भी।

श्रीमती मायदेव : इस टीके को तैयार करने के लिये कौन से प्राकृतिक तत्व आवश्यक हैं, और क्या यह प्राकृतिक तत्व भारत में बहुतायत से उपलब्ध हो सकेगा या इसको बाहर से मंगाना पड़ेगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : गवेषणा के पश्चात् हम जो सामान अपने यहां तैयार करेंगे, यदि वह विदेशी सामान के मुकाबले में अच्छा ठहरेगा, तो हम निस्संदेह उसको अपने देश में ही तैयार करेंगे।

अमरीकी उपहार पार्सल

***५१२. डा० राम सुभग सिंह** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अमरीकी करार के अधीन मुफ्त बांटने के लिये आये सामान के बोरों और पाकेटों पर अमरीकी झंडे का चिन्ह लगाना अनिवार्य है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इन चिन्हों की जांच भारत स्थित अमरीकी अधिकारी करते हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री एम० बी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि "नहीं"। क्या इस इंडो-अमेरिकन एग्रीमेंट

के अतिरिक्त भी कोई गिफ्ट्स के पार्सल सरकार को मिलते हैं जिन पर अमरीका का इंस्पेक्शन स्टाफ यह चाहता है कि उन पर जरूर अमरीकी झंडे का मार्क लगाँ हों ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : आपका प्रश्न यह था कि इंडो-अमरीकी एग्रीमेंट के अन्दर जो गिफ्ट आते हैं उन पर झंडे का मार्क होता है या नहीं और उसके जवाब में मैंने कहा कि "नहीं"। लेकिन कुछ डायरेक्ट गिफ्ट इंडिया गवर्नमेंट को आते हैं और उन गिफ्ट्स के बोरों पर एक लैबल लगा होता है जिस पर यह लिखा होता है भारतीय जनता के लिये अमरीकी जनता का उपहार।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय उप-मंत्री ने अभी यह बताया कि अमरीकी सरकार से भारत सरकार को जो प्रत्यक्ष उपहार मिले हैं, उन पर अमरीकी ध्वज का लेबल होना चाहिये। उस प्रत्यक्ष उपहार की मात्रा क्या है और किन बातों को सोचते हुये भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि उन उपहारों पर अमरीकी ध्वज का लेबल होना चाहिये ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रत्यक्ष उपहारों के रूप में हमें २,००० टन खाद्यान्न मिला, जिसमें १,००० टन गेहूं और एक हजार टन चावल थे। इन उपहारों के सम्बन्ध में सद्भाव प्रदर्शित करने के लिये ही हमने खाद्यान्नों के उन बोरों पर, जिन पर यह लिखा गया है कि यह उपहार अमरीकी जनता का भारत जनता के लिये है, यह लेबल लगाना स्वीकार किया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उन पर अमरीकी ध्वज का मार्क होता है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां, श्रीमान्। उन लेबलों पर एक छोटा सा अमरीकी ध्वज भी बना होता है।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय उप-मंत्री ने बताया कि सद्भाव प्रदर्शित करने के लिये ही उन्होंने उपहार की इन वस्तुओं के बोरों पर अमरीकी ध्वज लगाने की शर्त स्वीकार की है। क्या इसके स्वीकार करने से अमरीकी सरकार को एक ऐसा वक्तव्य जारी करने का प्रोत्साहन मिला है जो कि इस देश के हित में नहीं है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मेरी समझ में इन दोनों बातों में कोई सम्बन्ध नहीं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार ने ऐसी रियायतें अन्य देशों को भी दी हैं जहां से ऐसे उपहार प्राप्त हुये हैं, और सरकार उन पर उनके ध्वज लगाने को राजी हो गई है ?

श्री ए० पी० जैन : विभिन्न देशों के सम्बन्ध में विभेदपूर्ण नीति अपनाने का हमारा कोई ख्याल नहीं।

डा० लंका सुंदरम् : क्या भारत सरकार का अमरीकी सरकार को यह सुझाव देने का विचार है कि वह अपने ध्वज के स्थान पर कुछ ऐसे शब्द लिखे जिनसे यह पता चले कि यह माल अमरीका से आया है ?

श्री ए० पी० जैन : अब यह मामला समाप्त हो गया है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह बात हित में है कि.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि यह मामला समाप्त हो चुका है।

बी० सी० जी० के टीके का आन्दोलन

*५१४. **श्री कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे राज्यों ने बी० सी० जी० के टीके के बाद पैदा होने वाली पेचीदगियों

को जांच के लिये विशेषज्ञ डाक्टरों की एक तालिका नियुक्त की है ;

(ख) क्या किसी राज्य के विशेषज्ञों ने अभी तक ऐसी शिकायतों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) सारी जांचों से यह पता चला है कि जो पेचीदगियां पैदा हुई बताई गई थीं, वे बी० सी० जी० के टीकों के कारण नहीं हुई थी ।

श्री कामत: प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नहीं में दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक सारे राज्यों ने विशेषज्ञों की तालिका क्यों नहीं नियुक्त की है ।

राजकुमारी अमृत कौर : निम्नलिखित राज्यों ने विशेषज्ञों की तालिका नियुक्त की है : जम्मू और काश्मीर, कच्छ, हैदराबाद, पेप्सू, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र, पंजाब और अजमेर । तीन राज्यों ने बताया है कि उनके यहां कोई पेचीदगियां नहीं हुई हैं, और विशेषज्ञ नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं । मद्रास में कुछ मामलों की जांच की गई है और मेरी समझ में और अधिक जांच की आवश्यकता नहीं है । शेष राज्यों ने कोई उत्तर नहीं भेजा है ।

श्री कामत : क्या मैं यह समझ लूं कि किसी भी राज्य से ऐसी खबर नहीं मिली है कि बी० सी० जी० के टीके लगने के कारण या उसके बाद कोई भी मरा अथवा उनका कोई बुरा परिणाम निकला ?

राजकुमारी अमृत कौर : किसी भी राज्य से ऐसी खबर नहीं मिली है कि बी० सी० जो के टीके लगने के बाद कोई मरा अथवा उनका बुरा परिणाम निकला ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि बी० सी० जी० के टीकों के प्रभाव तथा उसकी अहानिकारिता के बारे में भी डाक्टरों तथा विशेषज्ञों में मतभेद है, और क्या यह सच है कि व्यक्तियों का कोई अभिलेख रखे बिना, उनका पूरा ब्योरा रखे बिना और टीकों के परिणामों का परीक्षण किये बिना आज जो देश भर में सामूहिक रूप से टीके लगाये जा रहे हैं, वह भारतरत्न राजगोपालाचार्य के शब्दों में लोगों और कीटाणुओं के युद्ध के समान ही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह आपका अपना मत है । आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री कामत : श्रीमान्, मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इतने तर्क उपस्थित कर रहे हैं और इतनी आलोचना कर रहे हैं तथा ऐसी बातें कह रहें हैं, जिससे उनका प्रश्न प्रश्न नहीं रह जाता, अपितु उससे ऐसा पता चलता है कि वे आलोचना कर रहें हैं ।

श्री कामत : आपने जो सीमा निर्देश की है उसके अनुसार मैं दूसरा प्रश्न पूछूगा। क्या यह सत्य है कि मद्रास और आंध्र के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में जो कुछ कहा उससे बी० सी० जी० के टीकों के सम्बन्ध में सरकार की योजना पर बुरा प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

राजकुमारी अमृत कौर : श्री राजा जी ने चेतावनी दी है और कुछ लोगों ने मद्रास में उनकी चेतावनी को सुना है । इस लिये वहां बी० सी० जी० के टीकों को अधिक सफलता नहीं मिली है । किन्तु आंध्र में ऐसा नहीं है । आंध्र में बी० सी० जी० के टीकों को पहले के समान ही सफलता मिल रही है ।

श्री कामत : क्या माननीया मंत्री सभा को यह आश्वासन दे सकती है कि देश में लोगों के टीके लगाते समय उनका सावधानीपूर्वक अभिलेख रखा जायेगा, उनका पूरा ब्योरा रखा जायेगा और टीके लगाने के बाद उनका परीक्षण किया जायेगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : जहां तक संभव होता है, टीका लगाने के बाद परीक्षण किया जाता है और भारत में सामूहिक रूप से टीके लगाने में केवल उन्हीं मामलों को लिया जाता है, जो अक्रियात्मक होते हैं।

श्री कामत : क्या इस अन्दोलन में टीके लगाते समय रोग की रोक थाम के लिये कीटाणुओं का शरीर में प्रवेश कराया जाता है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

सी० टी० ओ० (केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन)

*५१५. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० टी० ओ० द्वारा कृषियोग्य बनाई गई कितनी भूमि पर कृषि योग्य बनाये जाने के बाद से खेती की जाती है ;

(ख) क्या ऐसी भी कृषियोग्य बनाई गई भूमियां हैं जिन पर अभी तक खेती नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर खेती कराने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(घ) क्या अन्य घने बसे हुये राज्यों के कृषकों को बसाने के कोई प्रयत्न किये जा जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या बसाने वालों को कोई आर्थिक सहायता दी जाती है; और यदि हां तो किन शर्तों पर ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५**]

श्री एस० वी० रामस्वामी : विवरण से पता चलता है कि १४,६०,०४४ एकड़ भूमि कृषियोग्य बनाई गई है। इसमें कितनी लागत लगी है ? जिस भाग में खेती नहीं की जाती है, क्या उस में कांस उगने लगी है; यदि हां, तो इस हानि को रोकने के कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुल कितना रुपया खर्च हुआ, इस के आंकड़े तो मेरे पास नहीं है; परन्तु सभा को ज्ञात है कि हम ने आरम्भ से उन से कितना पैसा लिया और किस प्रकार हम ने कुछ कटौतियां भी कराई। इस प्रकार लागत का पता लगाना कठिन नहीं है। कितनी भूमि पर अभी तक खेती नहीं की गई है, इस के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। वास्तव में बिना खेती की हुई भूमि ट्रेक्टर प्रयुक्त की गई कुल भूमि का बहुत छोटा भाग होगी।

श्री एस० वी० रामस्वामी : विवरण बताता है कि १०,००० एकड़ का एक फार्म तैयार किया जा रहा है जिस पर मशीनों द्वारा खेती की जायेगी और वहां ५०० परिवार बसाये जायेंगे। इस में से ३०० मजूर त्रावनकोर कोचीन राज्य से आयेंगे और शेष २०० स्वयं भोपाल के ही होंगे। क्या यह भूमि-हीन लोग वहां पर बसा दिये गये हैं, यदि हां, तो इन को कौन सी वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने सारी योजना तैयार कर ली है। अभी तक त्रावनकोर को चीन के १२० परिवार बसाये जा चुके हैं, शीघ्र ही और ८० परिवारों को बसाये जाने की आशा की जा रही है और उस के कुछ समय बाद १०० और परिवारों के बसाये जाने की आशा की जाती है। जो रियायतें दी जाती हैं वे अनेक प्रकार की हैं; इन के अतिरिक्त उन को मकान या झोंपड़ी बनाने के लिये, बैल तथा खेती के औज़ार खरीदने के लिये अंशधन भी दिये जाते हैं। यह राशि लगभग १,००० रुपये प्रति परिवार है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : जनसंख्या का घनत्व त्रावनकोर कोचीन में लगभग १,००० है, पश्चिमी बंगाल में ८०० है, मद्रास में ६०० है, जब कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत में केवल १०० है । इन घने बसे हुये क्षेत्रों से लोगों को इस प्रकार के कम घने बसे हुए क्षेत्रों में भेजने के लिये क्या कोई उपाय किये जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह स्पष्ट है कि त्रावनकोर का चुनाव बहुत बड़ी हद तक जन संख्या के घनत्व के आधार पर ही किया गया होगा ।

श्री नाना दास : सी० टी० ओ० द्वारा कृषियोग्य बनाई गई भूमियों की सिंचाई के लिये क्या प्रबंध किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सिंचाई की सुविधा के लिये हमने बहुत प्रबंध किये हैं । बहुत से पम्प लगा दिये गये हैं और हम अधिक से अधिक लोगों को सिंचाई की सुविधा दे रहे हैं ।

श्री गिडवानी : क्या कुछ वर्षों के बाद उन से भूमि का कुछ मुल्य लिया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : अच्छी तरह बस जाने के बाद हम उनसे सींची गई भूमि के लिये ७५ रुपये प्रति एकड़ और बिना सींची गई भूमि के लिये ५० रुपये प्रति एकड़ वसूल करेंगे ।

कृष्णा नदी पर पुल

*५१६. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ पर स्थित विजय वाड़ा में कृष्णा नदी पर रेगूलेटर व सड़क के पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या उसकी प्रगति अनुसूचि के अनुसार है ;

(ख) अभी तक कितना रुपया खर्च हुआ है ; और

(ग) क्या यह सच है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किये गये हैं और यदि हां, तो अतिरिक्त खर्चा कितना लगेगा और उसके कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३० सितम्बर, १९५५ तक उस ढांचे के पुल वाले भाग की समस्त प्रगति २१ प्रतिशत थी । प्रगति सन्तोषजनक है ।

(ख) सितम्बर, १९५५ के अन्त तक लगभग ८.८१ लाख रुपये ।

(ग) जी हां । अतिरिक्त लागत २०.५१ लाख रुपये है । पुनरीक्षित प्राक्कलन की जांच की जा रही है । विशेष मुख्य इंजीनियर, आन्ध्र द्वारा निम्नलिखित कारण प्राक्कलित लागत में होने वाली अभिवृद्धि के समर्थन में दिये गये हैं ;

(१) विजयवाड़ा सर्किल की वर्तमान दर-अनुसूचि को ध्यान में रखते हुये भूल प्राक्कलन में दरों के पुनरीक्षण करने की आवश्यकता थी ।

(२) अग्रेतर जांच करने पर यह देखा गया कि कुछ मदों के लिये जो बिना हिसाब उपबंध किये गये थे अपर्याप्त पाये गये ; और

(३) अब कुछ ऐसी मदों के लिये उपबंध करने की आवश्यकता है जिन के लिये स्वीकृत प्राक्कलन में कोई उपबंध नहीं किया गया था ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सच है कि कच्चे माल के अपर्याप्त संभरण के कारण ही उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी कि आशा की जाती थी ?

श्री अलगेशन : वास्तव में, हमारे ऊपर उत्तरदायित्व केवल उस खर्चे में अंशदान देने का है जो कि सारी परियोजना के पुल

वाले भाग से संबंध रखता है । इस का प्रबंध आन्ध्र राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है । संमरण की स्थिति का मुझे ज्ञान नहीं है , परन्तु जहां तक हमें पता चला है, हमें बताया गया है कि आज तक की प्रगति सन्तोषजनक है ।

श्री नानादास : क्या इस परियोजना के निर्माण को पूरा करने के लिये कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है, यदि हां तो वह क्या है ?

श्री अलगेशन : मुझे उस का ज्ञान नहीं ।

डाक तथा तार की हरकारा लाइनें

*५१८. **श्री बहादुर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९५४ से १ नवम्बर, १९५५ तक देश के विभिन्न सर्कलों में कितनी हरकारा लाइनों पर मोटरों का प्रबंध कर दिया गया है ; और

(ख) १ नवम्बर , १९५५ को कुल कितने मील तक मोटर की सेवायें थी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]

श्री बहादुर सिंह : इन में किसी लाइन पर चलने वाले हरकारों को अधिक -से-अधिक कितना समय लगता था और उसी लाइन पर डाक की सेवा को अब अधिक-से-अधिक कितना समय लगता है ?

श्री राज बहादुर : आशा की जाती है कि १९५६–५७ में ६८६ लाइनों पर मोटरों या परिवहन के अन्य साधनों की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

श्री बहादुर सिंह : किसी एक लाइन पर डाक सेवा का प्रबंध करने में अतिरिक्त औसत खर्चा कितना होता है ?

श्री राज बहादुर : लागत की गणना करना बहुत कठिन है । कभी लागत कम होती है और कभी अधिक ।

श्री बहादुर सिंह : आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, इन हरकारा लाइनों की कुल कितने मील लम्बाई इस कार्य में समा जायेगी ?

श्री राज बहादुर : मैं बता चुका हूँ कि कई मामलों में कदाचित् कम लागत लगे, किन्तु हमारे सामने जो उद्देश्य है यह खर्च की बचत करने का नहीं वरन् डाक जल्दी पहुंचाने का है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह: क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि जहां मोटरें नहीं जा सकती हैं वहां इन रनर्स या हरकारों को पैदल जाना पड़ता है और उन को बहुत कठिनाई होती है ? क्या इस को ध्यान में रखते हुये सरकार रनर्स की तादाद बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : रनर्स बहुधा वहीं इस्तेमाल किये जाते हैं जहां मेल ले जाने के लिये मोटरों की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है । जहां मेल ले जाने के लिये मोटर की सुविधा उपलब्ध हो जाती है वहां रनर्स के बजाये मोटरों से या बाइसिकिलों से ही उसे ले जाया जाता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : लेकिन ऐसे स्थानों पर जहां मोटरों की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां एक रनर के बदले में चार रनर्स की जरूरत है, खास कर पहाड़ी इलाकों में, उन स्थानों के लिये क्या सरकार रनर्स की तादाद बढ़ायेगी ?

श्री राज बहादुर : किस लाइन पर कितने रनर्स की आवश्यकता है, इस पर स्थानीय अधिकारी दृष्टिपात करते हैं और जब

जब जहां जहां जरूरत होती है वैसे ही उन की संख्या भी बढ़ा दी जाती है ।

काज़ीपेट–गुडूर रेलवे लाइन

*५२१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री ३० सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काज़ीपेट और गुडूर के बीच की वर्तमान लाइन पर इतनी अधिक भीड़ में कमी करने के लिये एक और लाइन निकालने के लिये किये जाने वाले परिमाप की क्या स्थिति है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस वर्ष जनवरी में हमें बताया गया था कि यह प्रश्न विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : हाल में एक बैठक हुई थी जिसमें सारे सामान्य प्रबंधक (जनरल मैनेजर) बुलाये गये थे । सामान्य, प्रबंधक , दक्षिण रेलवे, से शीघ्र-से-शीघ्र अपना प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था । परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि दो प्रस्थापनों पर विचार किया जा रहा है । एक काज़ीपेट और नेलोर के बीच लाइन निकालने की प्रस्थापना है और दूसरी बेजवाड़ा और गुडूर के बीच लाइन निकालने का है । कौन सी लाइन बनाई जायेगी, इस का कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : सभासचिव ने कुछ प्राक्कलनों का हवाला दिया था । उन प्राक्कलनों का प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): दूसरी लाइन के लिये एक परिमाप समिति बनाई गई थी । लाइन को दोहरा करने के लिये एक और प्राक्कलन बनाया गया था । जैसा कि सभासचिव ने अभी अभी बताया है, सामान्य प्रबंधक से लगभग २५ मील की दूरी में लाइन को दोहरा करने के लिये प्राक्कलन प्रस्तुत करने को तथा आगामी वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित करने को कहा गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस रेलवे लाइन की आवश्यकता कार्यवहक सम्बन्धी आधार पर अनुभव की जाती है चूंकि काज़ीपेट और बेज़वाड़ा की लाइन संकट-स्थिति में है ?

श्री शाहनवाज़ खां : काज़ीपेट और नेलोर के बीच बनाई जाने वाली लाइन ३४६ मील होगी तथा इस की लागत लगभग २७.६ करोड़ रुपये होगी । बेज़वाड़ा और गुडूर के बीच वाली लाइन, जिसे दोहरा करना होगा, बहुत छोटी होगी । अन्तर १०० मील से भी अधिक है । यदि इस पर ध्यान दें कि इस काम को करने में समय कितना लगेगा तो बेज़वाड़ा और गुडूर की लाइन दूसरी लाइन से डेढ़ वर्ष कम समय में तैयार हो जायेगी तथा उस में खर्च भी कम होगा, अर्थात् लगभग १२ करोड़ रुपये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सच नहीं है कि बेज़वाड़ा के मार्ग विरोध को दूर करने के अतिरिक्त काज़ीपेट मछेरला गुडूर लाइन नन्दीकोण्ड परियोजना के औद्योगिक क्षेत्र के लिये एक नया मार्ग निकाल देगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह ठीक है; परन्तु समय कितना लगेगा, तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परिवहन की व्यवस्था करने की कितनी आवश्यकता होगी, ये बातें और भी महत्वपूर्ण हैं ।

उड्डयन

*५२२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर ग्यारह सर्वदिक् आकाशवाणी विस्तार

यंत्र [आमनी डाइरक्शनल रेडियो रेंजिस (वी० ओ० आर०)] अमरीका किन शर्तों पर लगा रहा है;

(ख) इन यंत्रों के लगाने से उड्डयन में क्या सुविधायें मिलने लगेंगी; और

(ग) इन यंत्रों के लगाने, देखभाल करने, और चलाने का खर्चा कौन देश देगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ग) भारत अमरीकी प्रौद्योगिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका की सरकार बिना किसी मूल्य के यह यंत्र सज्जा दे रही है । इस योजना के अधीन प्राप्त की हुई सब यंत्रसज्जाएं भारत सरकार की सम्पत्ति होंगी और उनका चालन एवं संधारण अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के मानदण्ड और सिफारिश किये गये चलनों के अनुसार होगा और उनका इस प्रकार व्यवहार किया जायगा जिससे कि भारत के आर्थिक विकास के उद्देश्य को बढ़ावा मिलता रहे । प्रतिष्ठापन, संधारण और चालन की लागत भारत सरकार वहन करेगी ।

(ख) यह विमान चालकों को मार्ग में अनस्थिर वितन्तु चालन सम्बन्धी सहायता प्रदान करेंगी और विपरीत मौसम की अवस्थाओं में अत्यन्त विश्वसनीय है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : ऐसा मालूम होता है कि अमरीका भारत को ही नहीं बल्कि एशिया के अन्य देशों को भी यह यंत्र दे रहा है जैसे पाकिस्तान, बर्मा आदि । तो दूसरों देशों के मुकाबले में भारत को कितने अधिक या कम यंत्र दिये जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : यह बतलाना तो कठिन है क्यों कि तुलना नहीं कि गई है और करना सम्भव भी नहीं है। लेकिन जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि सेकेन्ड साउथ ईस्ट एशिया रीजनल एअर नैविगेशन कांफरेन्स जो कि मेलबोर्न में सन् १९५३ में हुई थी और स्पेशल मिड्ल ईस्ट कम्यूनिकेशन मीटिंग जो कि रोड्स में १९५४ में हुई थी, दोनों में यह सिफारिश की गई थी कि भारत के कुछ हवाई अड्डों पर 'वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी आम्नी डाइरेक्शनल रेयडियो रैन्जेज' लगाये जायें ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या आप के पास कोई इस बात के अनुमान हैं कि सरकार का इन यंत्रों के हवाई अड्डों पर लगाने में कुल खर्च डालरों में या रुपयों में क्या होगा ?

श्री राज बहादुर : जी हां, जो यह यंत्र सज्जायें लगाई जा रही हैं उनकी गिनती ११ है, लेकिन वह १० हवाई अड्डों पर लगाई जायेंगी । उन पर डालरों में ४ लाख, २६ हजार व्यय होगा और रुपयों में २ लाख, ८४ हजार ।

श्रीमती मायदेव : मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रश्न संख्या ५२५ के साथ ही प्रश्न संख्या ५३० का भी उत्तर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री के लिये दोनों का उत्तर देना सुविधाजनक होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): हां, श्रीमान ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

***५२५. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार केंद्रीय सरकार कर्मचारियों का अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार तथा क्षत्र इस सीमा तक बढ़ाने का विचार कर रही है जिस से कि उसमें गर सरकारी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जा सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): अभी हमारे सामने ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं ।

अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना

***५३०. श्रीमती मायदेव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या अंशदायी चिकित्सा योजना की कुशल कार्यान्वित के लिए, केन्द्रीय सरकार

के विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक मन्त्रणा समिति बनाई गई थी ;

(ख) अब तक इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ग) इन बैठकों में क्या क्या मुख्य संकल्प स्वीकृत हुए हैं; और

(घ) सरकार ने अबतक इनमें से कौनसा संकल्प कार्यान्वित किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर):

(क) जी हां।

(ख) चार ।

(ग) तथा (घ) कोई औपचारिक सकल्प स्वीकृत नहीं हुआ था किन्तु कुछ सिफारिशें की गई थी। एक विवरण जिसमें यह दिखाया गया है कि क्या क्या सिफारिशें की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]**

श्री कृष्णाचार्य जोशी : आजकल इस अंशदायी चिकित्सा योजना से कुल कितने सरकारी कर्मचारियों को लाभ होता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों की संख्या, जिन्हें लाभ पहुंचता है, लगभग ३ लाख है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या काम करने वाले डाक्टरों को कोई अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है या इस योजना के आरम्भ होने के बाद अधिक डाक्टरों को नियुक्त किया गया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : सारे डाक्टरों को वृत्ति न करने का एक भत्ता दिया जाता है, क्योंकि उन्हें निजीवृत्ति करने की अनुमति नहीं है। हाल में, डाक्टरों, आदि की संख्या में भी वृद्धि की गई है क्यों कि योजना से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है।

श्रीमती मायदेव : दिल्ली में कितने चिकित्सा केन्द्र हैं और वहां अब तक कितने रोगी आये हैं और चिकित्सा कराई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस प्रश्न का उत्तर मैं कई बार दे चुकी हूँ। मेरे पास उन रोगियों के आंकड़े हैं जो जुलाई १९५४ से सारे औषधालयों में चिकित्सा के लिये गये हूँ। यदि आप चाहें तो मैं उन्हें पढ़ सकती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्रीमती मायदेव : सरकारी कर्मचारियों के परिवारजनों की चिकित्सा करने से सरकार को कितनी हानि हुई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : सरकार को हानि नहीं होती है; परन्तु सरकार आर्थिक सहायता देती है। आजतक, सरकार ने लगभग १४ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है।

श्री भागवत झा आज़ाद: क्या इस समिति ने भी यह सिफारिश की थी इस योजना के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारियों को यह विकल्प प्राप्त होना चाहिए कि वे इस योजना से लाभ उठायें या न उठायें ?

राजकुमारी अमृत कौर : श्रीमान यह योजना अनिवार्य है और जिन लोगों को लाभ होता है वे इससे इतने प्रसन्न हैं कि इससे बाहर जाने के विकल्प भी सरकार से कोई मांग नहीं की जाती है।

श्री भागवत झा आज़ाद: ये क्या कारण है जिनसे सरकार कर्मचारियों को इस बात के लिए बाध्य करती है कि इस योजना में सम्मिलित होना उनके लिए अनिवार्य है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इसका कारण साधारण है । हम आशा करते हैं कि देश में अधिक से अधिक ऐसी योजनायें लागू होंगी ताकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति ऐसी ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत आ जाये परन्तु हम ऐसा नही कर सकते क्योंकि हम

वित्त तथा अन्य बातों के संबंध में असमर्थ हैं। स्पष्टत: यह अभीष्ट है कि हम चिकित्सा आदि की सुविधा देने की ऐसी योजनायें लागू करें। यदि वे अनिवार्य नहीं होती हैं तो उनसे उद्देश्य पूर्ति नहीं होती। आप थोड़े से लोगों के लिए प्रबन्ध नहीं कर सकते, सारे लोगों के लिए ऐसी कर सकते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : किस चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : चिकित्सा की वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग होता है, इसका अर्थ चाहे जो हो।

रेलवे सुविधाओं सम्बन्धी समिति

***५२६. श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री १९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उपनगरीय क्षेत्रों में रेलगाड़ियों में बहुत ज्यादा भीड़ होने की समस्या की जांच करने के लिये नियुक्त की गई उपनगरीय यात्री सुविधाओं संबंधी समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं :

(ख) यदि हां, तो बहुत ज्यादा भीड़ की समस्या के समाधान के लिए इन समितियों ने क्या क्या सिफारिशें की हैं, और

(ग) क्या सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९-९-१९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ के उत्तर में उपनगरीय यात्री सुविधाओं सम्बन्धी जिन समितियों का उल्लेख किया गया था, वे अभी तक नहीं बनी हैं। फिर भी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के क्षेत्रों की उपनगरीय रेलों में उस समय अत्याधिक भीड़ होने की समस्या की जांच करने के लिए, जबकि अधिक लोग रेलगाड़ियों द्वारा आते जाते हैं, पिछले सितम्बर में एक भिन्न समिति बनाई गई थी।

(ख) तथा (ग). अभी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और आशा है कि वह इस वर्ष के अन्त तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

श्री गिडवानी : क्या इस समिति के सारे सदस्य सरकारी पदाधिकारी हैं या गैर-सरकारी लोगों को भी सम्मिलित किया गया है।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एम० बी० शास्त्री) : वे सब सरकारी पदाधिकारी हे।

श्री गिडवानी : क्या इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक, इन रेलों पर बहुत ज्यादा भीड़ को समाप्त करने के लिए कोई नई कार्यवाही की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : प्रायिक कार्यवाही के अतिरिक्त, अर्थात, रेल के डिब्बों, इंजिनों आदि की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। कोई असाधारण उपाय लागू नहीं किये गये हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह समिति सियालदा डिवीजन में बिजली से रेलगाड़ियां चलाने की तात्काकिल आवश्यकता के प्रश्न पर भी विचार करेगी, क्योंकि सियालदः उपनगरीय क्षेत्र, जहां प्रतिदिन भाप से चलने वाली २२० रेलें चलती हैं, संसार का सर्वाधिक व्यस्त उप-नगरीय क्षेत्र माना जाता है।

श्री एल० बी० शास्त्री : सियालदा क्षेत्र में बिजली से रेलगाड़ियां चलाने का काम दूसरे दौर में आरम्भ होगा। यह तुरन्त आरम्भ नहीं किया जा सकता। हम पहिले हाबड़ा-बर्दवान क्षेत्र में बिजली से गाड़ियां चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जब हम इस क्षेत्र को पूर्ण कर लेंगे तब हम अन्य क्षेत्र का काम हाथ में लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एक्स-रे उपकरण (यूनिट्स)

*४८७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य योजनाओं के अधीन भारत के लिए कितने एक्स-रे उपकरण (यूनिट्स) आवश्यक समझे जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने "भारत इलैक्ट्रोनिक्स" से यह निश्चित रूप से पूछ लिया है कि वे ऐसे कितने उपकरण बना सकते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जो स्वास्थ्य योजनायें सम्मिलित हैं, उनके बा`में अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है। अत: इस समय कोई ठीक अनुमान लेना सम्भव नहीं है।

(ख) नहीं।

काम दिलाऊ दफ्तर

*४८९. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री २६ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सारे राज्यों ने काम दिलाऊ दफ्तरों के भविष्य के बारे में शिव राव समिति की सिफारिशों पर अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडभाई देसाई) : नहीं। अब भी कुछ राज्यों से उत्तर आने शेष हैं। फिर भी, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में, जो नवम्बर १९५५ के प्रथम सप्ताह में हैदराबाद में हुआ था, यह निश्चय हुआ था कि काम दिलाऊ दफ्तर ३१ मार्च, १९५६ को राज्य सरकारों को दे दिये जावें।

कांडला पत्तन

*४९३. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन संबंधी परियोजना का काम बहुत धीरे धी` हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) काम में शीघ्रता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). आरम्भ में, पत्तन के ठेके में सम्मिलित कार्य कुछ धीरे-धीरे हुए। इसका कारण यह था कि जिस फर्म ने ठेका लिया है और जो भारतीय तथा विदेशीय फर्मों का गुट (कम्बाइन) है, उसके सम्मतियों के बीच पूर्ण जानकारी की कमी के कारण कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। सरकार ने समयानुकूल कार्यवाही की और ठेका लेने वाली फर्म से आग्रह किया कि वह अपने आप को उत्तम आधार पर गठित करे। कुछ परिस्थितियों में विलम्ब के लिए दण्ड भी आरोपित किया गया और अब कार्य संतोषजनक गति से हो रहा है।

पत्तन मजदूर

*४९६. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजगापटनम पत्तन और पत्तन मजदूर संघ, विजगापटनम से कोई ऐसा अभ्या`दन प्राप्त हुआ है जिसमें विजगापटनम के पत्तन में माल ढोने वाली नौकाओं के टंडलों के दृष्टि-परीक्षण के लिए वर्गीकरण करने की शिकायत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने सूचना दी है कि उन्हें विजगापटन पत्तन तथा पत्तन मजदूर संघ, विजगापटनम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें

विजगापटनम के पत्तन में दृष्टि-परीक्षण के लिए माल ढोने वाली नौकाओं के टंडलों का वर्गीकरण करने के विरुद्ध शिकायत की गई है।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसकी जांच कर रहे है।

दिल्ली राजकोट विमान सेवा

*५०२. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-राजकोट विमान सेवा कब आरम्भ होगी; और

(ख) इस सेवा के मार्ग में कौन-कौन नगर आयेंगे और इसे राजकोट से दिल्ली या दिल्ली से राजकोट पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिल्ली राजकोट विमान सेवा १ दिसम्बर १९५५ से आरम्भ हो गई है।

(ख) विमान बीकानेर, जोधपुर और अहमदाबाद होकर जायेगा। दिल्ली से राजकोट या राजकोट से दिल्ली पहुंचने में लगभग पांच घंटे ३० मिनट लगेंगे।

विमान सेवा प्रयोक्ता परिषदें

*५०३. **श्री एस० के० रज़मी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा समुद्रपार जाने वाली सेवाओं के लिए विमान सेवा प्रयोक्ता परिषदें बनाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है; और

(ग) इन परिषदों के मुख्य काम क्या होंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

झरिया की कोयले खानें

*५०७. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत ही वर्षा होने के कारण तोपचांची के जलागार का जल-तल, जो झरिया की कोयले की खानों के जल सम्भरण का मुख्य साधन है, बहुत नीचा रह गया है;

(ख) क्या आगामी ग्रीष्म ऋतु में कोयले की खानों को जल देने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है, यदि हां, तो क्या;

(ग) दामोदर नदी से अतिरिक्त जल लाने की योजना में, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने बड़ी धनराशि दी थी, क्या प्रगति हुई है; और

(घ) योजना की कार्यान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(घ) योजना की कार्यान्विति में जो मार्च १९५८ तक पूर्ण होती है विलम्ब नहीं हुआ है।

नहरुआ

*५०८. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या हाल ही में नहरूआ की रोक थामीं के लिये पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण के पाठ्य-क्रम की कालावधि कितनी है; और

(ग) क्या उस प्रशिक्षण केन्द्र को स्थायी बना देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी, हां। दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, एक दिल्ली में और दूसरा एरणाकुलम् (त्रावनकोर-कोचीन) में। दूसरा क्षेत्र-प्रशिक्षण के लिये है।

(ख) (१) चिकित्सा अधिकारियों तथा कीट शास्त्रज्ञों के लिये ६ सप्ताह।

(२) निरीक्षकों के लिये चार सप्ताह।

(ग) केन्द्रों को स्थायी बनाने के प्रश्न पर पांच वर्ष तक किये गये नहरूआ निरोधक कार्य के मूल्यांकन के उपरान्त विचार किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (बेकारी की समस्या)

*५०९. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में बेकारी की समस्या का अध्ययन किया है और भारत सरकार को एक ज्ञापन भी दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई): (क) जी हां, लेकिन अभी तक रिपोर्ट के मसविदे का एक भाग ही भेजा गया है।

(ख) बाकी रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को अभी तैयार करनी है।

अन्दमान द्वीप समूह को विमान-सेवा

५१०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अन्दमान द्वीप समूह को विमान-सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है। और

(ख) यह प्रस्थापना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) तथा (ख) अन्दमान को एक अन अनुसूचित विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिये मैसर्ज एयरवेज इण्डिया लि० को अनुज्ञा (पर्मिट) दी गयी है, जो कि आशा है शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर देगी।

रक्षित खाद्यान्नों के गोदाम

*५११. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में रक्षित खाद्यान्नों के गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर ३० सितम्बर, १९५५ तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में, इस समय, स्थिति निम्न प्रकार है;

(१) सरकार द्वारा बनाये गये अपने गोदामों में जितना अन्न रखा जा सकता है	२.३ लाख टन
(२) जो गोदाम बन रहे हैं उन में जितना अन्न रखा जा सकता है	०.२७ लाख टन
(३) वे गोदाम जिनकी योजनायें और प्राक्कलन तो तैयार हो चुके हैं, परन्तु निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है, उनमें जितना अन्नरखा जा सकेगा	१.९३ लाख टन

(ख) सितम्बर, १९५५ के अन्त तक कुल १५३.१९ लाख रुपये की राशि स्वीकार की गई है। स्वीकृत राशि में से वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि के ब्योरे यथा समय प्राप्त हो जायेंगे।

अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस

*५१३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस के पटना अधिवेशन की इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, कि राज्य सहकारी बैंक में बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के कार्यों तथा उनके नाम-निर्देशनों को सीमित किया जाये, और अखिल भारतीय सहकारी संघ को, सहकारी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को शिक्षण तथा प्रशिक्षण देने के लिये एक मान्य निकाय के रूप में मान लिया जाये ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): संकल्प का सम्बन्ध सम्पूर्ण भारत से था, और उस पर अप्रैल, १९५५ में हुए राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। इसने यह सिफारिश की है कि किसी भी ऐसी संस्था में, जिसमें राज्य का भी कुछ अंश है, निदेशकों के बोर्ड में सरकार द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों की संख्या साधारणतया एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा उक्त नाम निर्देशन के परिणाम स्वरूप संस्था के दैनिक प्रशासन में कोई हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिये। यह संकल्प बिहार सहित सभी राज्यों को भेज दिया गया है।

अखिल भारतीय सहकारी संघ को सहकारी प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, और सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम अखिल भारतीय सहकारी संघ के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

मछली पालन

*५१९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने मछली-पालन के द्वारा मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के लिये कितनी कितनी मात्रायें निर्धारित की गई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) कोई निश्चित लक्ष्य नहीं निर्धारित किये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*५२०. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री ८ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधाओं की बीमा-कृत कर्मचारियों के परिवारों पर भी लागू करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : नहीं, श्रीमान्।

तेल वाहक जहाज

*५२४. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री ६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यम आकार के दो तेलवाहक जहाज़ों के आधारभूत बेड़े के अर्जन के लिये सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सरकार दो तेलवाहक जहाजों के आधारभूत बेड़े के अर्जन के लिये पहले

ही निर्णय कर चुकी है और वह इस समय इस निर्णय को सर्वोत्तम ढंग से कार्यन्वित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित दलों से अग्रेतर विचार-विमर्ष कर रही है। इस सम्बन्ध में हमें गैर सरकारी क्षेत्र में तेल वाहक जहाज रखने वाला एक भारतीय समवाय स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। यह आशा है कि ये प्रारम्भिक जांच तथा विचार-विमर्ष का कार्य दिसम्बर, १९५५ के समाप्त होने से पूर्व ही पूर्ण हो जायेगा जब कि दो तेल वाहक जहाज प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

डम डम हवाई अड्डे पर हुई घटना

*५२७. **श्री झूलन सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य मण्डल के मंत्री द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में "भारतीय विमान समवायों का राष्ट्रीयकरण" शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य की ओर गया है जिसमें इस वर्ष की २६ अप्रैल को डमडम हवाई-अड्डे पर होने वाली इस घटना की चर्चा है जिसमें सम्बन्धित विमान का चालक जहाज की उड़ान के समय वहाँ पर नहीं था और इसलिये एक अन्य चालक को गौहाटी की ओर उड़ते समय आधे मार्ग से ही वापिस बुलाना पड़ा; और

(ख) यदि हाँ, तो घटना की सारी बातें क्या थीं, और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है [**देखिए परिशिष्ट ३, अनबन्ध संख्या ५९**]

ज्योर्तिमठ-बद्रीनाथ रोड

*५२८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री ३ अगस्त, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्योर्तिमठ से बद्रीनाथ तक मोटर-सड़क बनाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से जो परामर्श हो रहा था, उसके बारे में कोई अंतिम निर्णय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़क पर कुल कितना व्यय होगा और इस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना धन स्वीकृत किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं। घोड़ों के चलने के लिये जो मौजूदा रास्ता है उसे मोटर की सड़क बनाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक सोच रही है।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

बी० सी० जी० आन्दोलन

*५२९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि बी० सी० जी० कार्यक्रम के अधीन पंजाब में अभी तंक सफलता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): इस आन्दोलन का उद्देश्य, जो कि राज्य की आक्राम्य जनता की बहु संख्या को बी० सी० जी० के टीके लगाना है, अधिकांशतः प्राप्त हो गया है। तपेदिक के कारण होने वाली मौतों को कम करने में इस टीके का कितना प्रभाव होगा इसका निर्धारण कुछ वर्षों के उपरान्त होगा।

मत्स्य-ग्रहण उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र

*५३१. **श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी:** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३ अगस्त, १९५५

को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछेरों के लिये टूटीकोरिन तथा कोचीन में जिन प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रारम्भ करने की प्रस्थापना थी, उनकी स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन प्रशिक्षण केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) इन पर कुल कितना प्राक्कलित खर्च किया जायेगा; और

(घ) इस खर्च में केन्द्रीय सरकार का कितना अंश होगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) दो प्रशिक्षण केन्द्रों के सम्बन्ध में कार्यक्रम, सामान, तथा खर्च के प्राक्कलन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा स्वीकृत हो चुका है। टूटीकोरिन तथा कोचीन में प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः मई तथा जून १९५६ से कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

(ख) स्थानीय मछेरों को यंत्रीकृत नौकाओं को संभालने का तथा यंत्रों द्वारा मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देना।

(ग) १९५५–५६ में, १,७२,७४० रुपये।

(घ) ५० प्रतिशत।

आहार पुष्टि

*५३२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन भारतीयों को उपलब्ध होने वाले खाद्य में उष्मीय गुणों की कितनी वृद्धि होने की आशा है;

(ख) इस प्रस्थापित वृद्धि का कितना अंश खाने में (१) अनाज तथा दालों, (२) पत्तों वाली सब्जियों (३) दूध तथा दूध द्वारा तैयार किये गये पदार्थों (४) मांस (५) अंडों और (६) मछली की मात्रा के बढ़ाने के कारण होगा; और

(ग) उपरोक्त ६ मदों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में अतिरिक्त उत्पादन-लक्ष्य क्या क्या निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) (क) ऐसी आशा है कि १९६०–६१ में खाद्य का उष्मीय गुण प्रति व्यक्ति १८०० उषों से बढ़कर २२५० उष हो जायेगा।

(ख) खाद्य के विभिन्न वर्गों के अनुसार पृथक पृथक मात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) अनाज तथा दालों के अतिरिक्त अन्य किसी भी मद के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। अनाज तथा दालों के लिये १९५५–५६ के लिये १० लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सौराष्ट्र रेलवे भ्रष्टाचार मामला

*५३३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री २६ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के चार घोषित पदाधिकारियों के विरुद्ध, १३ लाख रुपयों के गबन करने पर, जो अनुशासनीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, वह इस समय किस स्थिति में है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पदाधिकारियों को 'कारण' बताने के लिये जो अन्तिम नोटिस भेजे गये थे, उनके उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

रेलों में भोजन व्यवस्था

*५३४. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलों के भोजनालयों तथा भोजन-यानों और उपाहार यानों में दिये जाने वाले भोजन के दर निश्चित कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे दर क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है।

पंजाब में जल संभरण तथा जल-निस्सारण योजनाएं

*५३५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये नगरपालिका-क्षेत्रों तथा ग्राम्य-क्षेत्रों में जल संभरण तथा जल-निस्सारण के लिये कोई योजनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की योजनायें हैं; और

(ग) उन पर कितनी प्राक्कलित लागत आयेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) राज्य सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये नगर पालिका-क्षेत्रों तथा ग्राम्य-क्षेत्रों में जल संभरण तथा जल-निस्सारण के लिये कई योजनायें प्रस्थापित की हैं। इंजीनियरी न्यास सहित वास्तविक योजनायें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) योजनाओं के रूप तथा उनमें से प्रत्येक पर आने वाली प्राक्कलित-लागत बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]**

विश्व स्वास्थ्य संघ

*५३६. **श्रीमती मायदेव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी जिसमें यह बताया गया हो कि:

(क) १९५३, १९५४ तथा १९५५ में अब तक भारत को विश्व स्वास्थ्य संघ से कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भेज कर कितने मूल्य की सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) लोक सभा पटल पर, एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ख) इन वर्षों के सम्बन्ध में केवल अन्तर्राष्ट्रीय बिशेषज्ञों के रूप में मिली सहायता के सही मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं है, परन्तु प्रत्येक वर्ष के आवण्टन में, लगभग यह ८० से ८५ प्रतिशत है।

धान्यागार

*५३७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो आधुनिक धान्यागार बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके लिये आवश्यक उपकरणों तथा यन्त्रों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं; और

(ग) इनके कब तथा कहाँ स्थापित किये जाने की आशा है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): और (ख) जी हां।

(ग) हापुड़ तथा लुधियाना में, दो उत्पादक युक्त धान्यागार (एलीवेटर्स), जिनमें प्रत्येक में १० हजार टन अनाज आ सकेगा स्थापित किये जायेंगे, १९५६ के प्रारम्भ में इसके सभी पुर्जे आदि के आ पहुंचने की आशा की जाती है। उत्पादक युक्त धान्यागारों (एलीवेटर्स) को स्थापित करने का कार्य तभी प्रारंभ किया जायेगा।

डाक तथा तार कर्मचारी

२६४. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक ने एक परिपत्र जारी किया है जिसके अनुसार अस्थायी कर्मचारियों द्वारा अपना भविष्य सुधारने के लिये निजी रूप अध्ययन किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रतिनिधान के उत्तर में, कोई कार्यवाही करने का विचार है?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर): (क) इस अनुभव के आधार पर, एक आदेश जारी करना आवश्यक था, कि बी० ए० अथवा हाई स्कूल में प्राप्त नम्बरों के आधार पर विभाग के लिये चुने गये नये व्यक्त कार्यालय के समय के पश्चात् नियमित पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं तथा अपने विभागीय कार्य को किसी उच्चकार्य पाने का साधन मात्र समझते हैं तथा अपना उद्देश्य-पूर्ण होने पर, वे नौकरी छोड़ देते हैं। उनके असावधानी से किये गये कार्य के कारण शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा कार्यपटुता में तथा सेवा में सुधार असंभव हो जाता है अपनी इस कार्यवाही से, वे अन्य योग्य व्यक्तियों के रास्ते में भी रुकावट डालते हैं जिनको उनके स्थान पर नियुक्त किया जा सकता था तथा जो वफादारी तथा एक मन होकर विभाग की पूर्ण सेवा कर सकते थे। परन्तु यह नियंत्रण भी किसी, व्यक्ति क सेवा में नियुक्त होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक के लिये है।

(ख) जी नहीं; पांच वर्ष की सेवा वाले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों को दी गई छूट ही पर्याप्त समझी जाती है।

बिहार में मलेरिया नियंत्रण

२६५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगी कि :

(क) बिहार के कौन-कौन से भाग मलेरिया नियंत्रण यूनिटों के कार्य क्षेत्र में ले लिए गये हैं;

(ख) क्या यह कार्य-क्रमानुसार अच्छी तरह चल रहा है; और

(ग) क्या इस बारे में जनमत जानने का कोई प्रयत्न किया गया है?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) बिहार में जो मलेरिया यूनिट काम कर रहे हैं उनके Headquarters इस प्रकार हैं :

१. मुजफ़्फरपुर
२. हजारीबाग
३. रांची
४. पूर्णिया
५. सहरसा
६. पुरलिया
७. पाकुड़
८. फरबीसगंज
९. खगड़िया
१०. दरभंगा
११. जमशेदपुर
१२. मधुबनी
१३. सीतामढ़ी
१४. बेतिया

(ख) जी हां।

(ग) ऐसा कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया लेकिन इस स्कीम को चलाने में जनता पूरा सहयोग दे रही है।

डाकखाने (पंजाब)

२६६. { **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

३१ दिसम्बर, १९५४ से १ नवम्बर, १९५५ तक की अवधि में पंजाब क्षेत्र (सर्कल) के उन देहातों तथा नगरों में कितने डाकखाने खोले गये हैं, जो कि डाक सुविधायों के लिये पिछड़े समझे जाते थे; और

(ख) इन डाकखानों के खोलने पर प्रथम बारह माह में कितनी प्राक्कलित हानि हुई ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) :

हिमाचल प्रदेश	४६
बिलासपुर राज्य	६
जिला कांगड़ा	२२
जम्मू तथा काश्मीर राज्य	५२
जोड़	१२६

(ख) २६,३३६ रुपये १३ आने ३ पाई।

रेलवे दुर्घटनायें

२६७. **श्री अमर सिंह डामर:** : क्या **रेलवे मंत्री** ९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५९८ के उत्तर में सभा के टेबल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे के भैरोंगढ़ रेलवे स्टेशन पर १९५५ को जो दुर्घटना हुई थी वह उक्त विवरण में क्यों नहीं दिखाई गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भैरोंगढ़ स्टेशन पर दो माल-गाड़ियां में टक्कर लगने के कारण जो दुर्घटना हुई थी उसे शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यह "भारी दुर्घटना" के वर्ग में नहीं आती। इस वर्ग में सवारी ले जाने वाली गाड़ियों की केवल ऐसी दुर्घटनायें आती हैं जिनमें जन हानि हो और या लोगों को गहरी चोट पहुंचे और या लगभग २०,००० रुपये या अधिक की कीमत के रेलवे सामान की हानि हो। इस तरह की दुर्घटनाओं के बारे में जो सूचना मांगी गई थी, वह तारांकित प्रश्न १५९८ के उत्तर में दे दी गयी थी। उस प्रश्न के उत्तर में "भारी दुर्घटना" की वह परिभाषा भी बता दी गयी थी जो रेलवे बोर्ड की १९-३-१९३० को अधिसूचना संख्या १९२६ टी के नियम ७ (२) में दी गयी है।

सरसों

२६८. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में भारत में सरसों का कुल कितना उत्पादन हुआ और देश में प्रयोग के लिये कितनी सरसों पेरी गई ;

(ख) उक्त कालावधि में कुल कितनी मात्रा आयात और निर्यात की गई ; और

(ग) सरसों पेरने वाली फैक्टरियों की राज्यवार संख्या कुल कितनी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) सन् १९५४-५५ में सरसों और राई के कुल उत्पादन की अनुमानित मात्रा, ९,६२,००० टन हुई। तेल और खल के रूप में पेरने के लिये सरसों और राई की ८,७२,००० टन की अनुमानित मात्रा थी। राई के अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

(ख) सन् १९५४–५५ में १०७ टन सरसों और राई और ४७९·९ टन राई का तेल भारत से निर्यात किये गये। इस अवधि में इस बीज या तेल का कोई आयात नहीं हुआ।

(ग) राई के बीज पेरने वाले मिलों की अनुमानित संख्या ८२४ है। राज्यवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

आन्ध्र	१
आसाम	४०
बिहार	६०
बम्बई	६
मध्य प्रदेश	२०
उड़ीसा	५
पंजाब	१३६
उत्तर प्रदेश	३५०
पश्चिम बंगाल	१२०
मध्य भारत	१६
पेप्सू	२०
राजस्थान	२०
सौराष्ट्र	१
दिल्ली	१४
कच्छ	१
मनिपुर	२
विन्ध्य प्रदेश	१२
कुल	८२४

पश्चिम रेलवे पर चोरियां

२६९. **श्री अमर सिंह डामर:** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में पश्चिम रेलवे पर कुल कितनी चोरियां हुईं ;

(ख) कुल कितने मूल्य का सामान चुराया गया; और

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को पकडा गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १,०००।

(ख) १,२०,५२९ रुपये।

(ग) २०८।

रेलवे जोनल समितियां

२७०. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न रेलवे ज़ोनल समितियों में आदिवासियों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) पश्चिम रेलवे की ज़ोनल समिति में मध्य भारत के आदिवासी प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समितियों के विधान में आदिवासियों या किसी दूसरे सम्प्रदाय के प्रतिनिधि रखने की व्यवस्था नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों की मांगें

२७१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग २००० कर्मचारियों ने, १८ अगस्त, १९५५ को उत्तर रेलवे, दिल्ली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर एक 'मांग पत्र' चिपकाया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके ब्योरे क्या हैं ; तथा

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर रेलवे प्रशासन ने

सूचना दी है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के सामने, १८-८-५५ को एक 'मांग पत्र' चिपकाया गया था ।

(ख) 'मांग पत्र' की एक प्रतिलिपि सम्बद्ध है । **(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२)**

(ग) 'मांग पत्र' में उठाई गई बातों पर और जिन बातों पर अग्रेतर कार्यवाही होनी चाहिये , उन पर विचार किया जा रहा है तथा कुछ पदों पर रेलवे प्रशासन पहले ही आवश्यक कार्यवाही कर चुका है ।

रेलवे कर्मचारी

२७२. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे कर्मचारियों की खंड-वार क्या संख्या है जिनके १ जनवरी १९५५ से अब तक कर्तव्य-पालन करते हुये अंग भंग हो गये हैं तथा जिन्हें भारत के रेलवे अस्पतालों में भर्ती किया गया है ; और

(ख) कितने कर्मचारी नीरोग हो गये है तथा अस्पताल से खारिज कर दिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ६३)**

कर्मचारियों के क्वार्टर

२७३. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की प्रत्येक रेलवे पर "भिन्न प्रकार" (प्रमाण प्रकार) के क्वार्टरों के किराये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ;

(ख) क्या, इस प्रकार के क्वार्टरों का किराया निश्चित करने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं

(ग) यदि हां, तो इन पर क्या कार्य-वाही की गई है ; और

(घ) उपरोक्त (क) में वर्णित प्रत्येक क्वार्टर पर, विद्युत लगवाने के व्यय समेत, कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । रेलवे प्रशासन को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ग) इस प्रकार के क्वार्टरों के किराये औपचारिक रूप से निर्धारित किये गये हैं । कुछ गड़बड़ी इस कारण से है कि रेलवे के पुनर्वर्गीकरण से पूर्व के विनिश्चित किरायों का एकीकरण नहीं किया गया है । सम्बन्धित रेलवे प्रशासन अन्तिम रूप से किराये के निर्धारण के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

(घ) एक रेलवे से दूसरी रेलवे तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आयी लागत, स्थानीय दशाओं तथा विशिष्टताओं और प्रचलित मूल्यों के आधार पर, भिन्न भिन्न है । यह लागत इस प्रकार है :—

	रुपये		रुपये
'क' प्रकार	३०००	से	५०००
'ख' प्रकार	५,५००	से	९,४००
'ग' प्रकार	८,६००	से	१४,७००
'घ' प्रकार	१३,९००	से	२०,८००

कामदिलाऊ दफ्तर

२७४. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय, प्रत्येक काम दिलाऊ, दफ्तर में, विभिन्न पदों पर कुल कितने व्यक्ति नियुक्त हुये हैं ; और

(ख) इनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडू भाई देसाई) : (क) और (ख).

	प्रथम श्रेणी,	द्वितीय श्रेणी,	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	जोड़
(१) पदाधिकारियों की संख्या	३३	१९७	८६०	५४३	१६३३
(२) अनुसूचित आदिमजाति के पदाधिकारियों की संख्या	४	१४	९६	११४	२२८
(३) अनुसूचित आदिम जाति के पदाधिकारियों की संख्या	–	२	२०	१९	४१

प्रत्येक कामदिलाऊ दफ्तर के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । **(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४)**

कृषि का जापानी ढंग

२७५. **श्री एन० राचय्या** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ तथा १९५५ में, राज्यवार ,ल कितने एकड़ भूमि में जापानी ढंग के द्वारा धान की खेती की गई ;

(ख) देश में इस पद्धति को लागू करने के पश्चात् चावल के उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) कितने समय में, देश चावल उत्पादन के विषय में आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) विवरण संलग्न है । **(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५)**

(ख) १९५३–५४ में ८·९० मन चावल प्रति एकड़ तथा १९५४–५५ में ७·५३ मन चावल प्रति एकड़ ।

(ग) इस समय चावल की संभरण स्थिति पर्याप्त संतोषजनक है तथा ऐसी आशा है कि उपभोग के लिये अगले वर्ष चावल का आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

पर्यटक

२७६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई से नवम्बर, १९५५ के अन्त तक भारत में कितने पर्यटक आये ; और

(ख) उससे उपरोक्त अवधि में कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जुलाई, १९५५ में २५०६ । अगस्त से नवम्बर, १९५५ के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं ।

(ख) जानकारी प्राप्य नहीं है ।

स्वास्थ्य मंत्री की लोक कल्याण निधि

२७७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५५ में स्वास्थ्य मंत्री की कल्याण निधि में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस निधि में से कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) ३१ अक्तूबर, १९५५ तक ६६,९२३ रुपये ११ आने ।

(ख) २२,८८१ रुपये ४ आने ९ पाई ।

डाकघर

२७८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५५ को भारत में डाकघरों की कुल संख्या क्या थी ; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रस्तावित लक्ष्य क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) लगभग २०,००० ।

'हैरन' वायुयान

२७९. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'हैरन' वायुयानों के लिये मंगवाये गये पुर्जों की भारी मात्रा रास्ते में लापता हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो लापता पुर्जों का मूल्य क्या है और इस हानि के लिये कौन उत्तरदायी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये मंगवाये गये दो बक्से जिन में 'हैरन' वायुयानों के इंजन के पुर्जे थे, गलती से किन्हीं दूसरे लोगों को दे दिये गये थे । अब उनका पता लग गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक विभागीय जीवन बीमा योजना

२८०. **श्री हेडा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में डाक विभागीय जीवन बीमा योजना जिन व्यक्तियों पर लागू है उससे अधिक व्यक्तियों को उनका लाभ पहुंचाने के लिये और अधिक सुविधायें देने के सम्बन्ध में क्या सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). जी हां । सारा प्रश्न अभी विचाराधीन है और इस स्थिति में कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती ।

दिल्ली में सड़कों के नये नाम

२८१. **श्री भक्त दर्शन:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २ सितम्बर, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह निश्चय किया गया है कि राजपथ और जनपथ के अतिरिक्त दिल्ली और नई दिल्ली की अन्य मुख्य सड़कों को भारतीय नाम दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सड़कों के लिये नाम चुने गये हैं ;

(ग) नये नाम किस आधार पर चुने गये हैं ; और

(घ) यह नाम किस तारीख से अमल में आयेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) (क) इस बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया ।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

ग्राम-डाक घर

२८२. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आजकल प्रत्येक राज्य में ऐसे ग्राम डाकघरों (अतिरिक्त वैभागिक) की संख्या क्या है जो आत्मनिर्भर हैं ; और

(ख) विभाग द्वारा कितने ग्राम डाक-घरों का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) भारत में स्थायी अतिरिक्त वैभागिक डाक घरों की संख्या २९,१७२ है ।

ग्राम डाक घर

२८३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सारन जिले का सिल्तालपुर अतिरिक्त वैभागिक डाक घर क्या आत्मनिर्भर है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक विभाग ने इसे अपने अधिकार में क्यों नहीं लिया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह डाक घर प्रति वर्ष १५४ रु० ८ आने के घाटे पर चल रहा है । यदि इसे वैभागिक शाखा में परिवर्तित कर दिया जाय तो इस घाटे में और भी वृद्धि हो जायेगी ।

पंजाब में सार्वजनिक टेलीफोन

२८४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १ जनवरी, १९५५ से अब तक पंजाब में जिन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था की गई है उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) चालू वर्ष में जिन स्थानों पर उनकी व्यवस्था की जायेगी उनके नाम क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ६६]**

कृषि–ऋण

२८५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५–५६ की अवधि में अब तक राज्यों को देने के लिये सरकार द्वारा ऐसी किसी रकम की स्वीकृति दी गई है, जिससे कृषक आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के ऋण दिये जाने के लिये मुख्य शर्तें क्या नियत की गई हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चावल

२८६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में चावल की कुल अतिरेक मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार विदेशों से चावल खरीदने के प्रयत्न कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) विनियंत्रण की वर्तमान स्थिति में देश में चावल की कुल अतिरेक मात्रा का कोई प्राक्कलन बताना कठिन है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

काफी बागानों के श्रमिक

२८७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या श्रम मंत्री ८ अगस्त, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में भारत में काफ़ी बागानों के श्रमिकों की कुल संख्या क्या थी ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : १९५३–५४ में भारत के काफ़ी बागानों में १,७६,०१२ श्रमिकों को नौकर रखा गया था ।

कांगड़ा में डाक घर

२८८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ की अवधि में पंजाब के कांगड़ा जिले में जो नये डाकघर खोले गये थे उनके नाम क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ६७]

चीनी का आयात

२८९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३, १९५३–५४, और १९५४–५५ के वर्षों में विदेशों से चीनी के आयात पर भाड़े के रूप में कितनी रकम दी गई थी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में विदेशों से कुल जितनी चीनी मंगाई गई थी वह लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य तथा लागत भाड़ा सहित मूल्य के आधार पर ख़रीदी गई थी । इसलिये भाड़ा, विदेशों में बेचने वालों को देना था । उन्होंने जो रकम दी है वह ज्ञात नहीं है ।

दिल्ली परिवहन सेवा

२९०. **श्री एस० के० रजमी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन सेवा (डी० टी० एस०) की ऐसी पुरानी बसों की संख्या क्या है जिन्हें काम के अयोग्य विघोषित किया गया है ; और

(ख) उनके निबटारे के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

१९५१–५२	में	५८
१९५२–५३	,,	५८
१९५३–५४	,,	८३
१९५४–५५	,,	३०
१९५५–५६	,,	१८

(ख) दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकार द्वारा नियुक्त एक बोर्ड की सिफारिशों पर जिन गाड़ियों को काम काज के अयोग्य विघोषित किया जाता है उनका अनुमोदित नीलाम करने वालों द्वारा सार्वजनिक नीलाम किया जाता है । बोर्ड में मुख्य प्रबन्धक, कर्मशाला प्रबन्धक, मुख्य लेखाधिकारी और यातायात अधीक्षक हैं ।

रेल दुर्घटना

२९१. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या रेलवे मंत्री १० दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में और १९५५–५६ में ३० सितम्बर, १९५५ तक मालगाड़ियों की कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) पिछले आंकड़ों की अपेक्षा ये आंकड़े घटे हैं या बढ़े हैं ; और

(घ) ऐसी घटनाओं की आवर्ति के समापन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उप मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५४–५५ और १९५५–५६ में ३० सितम्बर, १९५५ तक हुई मालगाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या निम्न भांति है :—

वर्ष	मालगाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या
१९५४–५५	२५०९
१९५५–५६ (सितम्बर तक)	१३२७
योग	३८३६

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप रेलवे सम्पत्ति को लगभग २,०४७,०६३ रुपये की क्षति पहुंची ।

(ग) १९५४–५५ और १९५५–५६ (सितम्बर तक) के वर्षों में मालगाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या से प्रकट होता है कि पिछले दो वर्षों के संवादी आंकड़ों की अपेक्षा कमी हुई है ।

(घ) प्रायः निम्न कार्यवाहियां की जाती हैं :—

दुर्घटना के लिये उत्तरदायी ठहराये हुये रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावी अनुशासनीय कार्यवाही ।

स्थायी मार्ग और इंजन डिब्बों आदि की व्यवस्थित जांच और विस्तृत निरीक्षण । स्थायी मार्ग के कुछ चुने हुये मार्गों पर, जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकारों के परामर्श और सहयोग से अधिक गहन गश्त करना ।

सुरक्षा में वृद्धि करने के लिये आवश्यक कार्यों को विशेष प्राथमिकता देना ।

पत्रिकाओं, परिपत्रों, आदि के द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा के नियमों की शिक्षा देना ।

देखभाल और नियंत्रण कड़ा करना ।

कर्मचारियों को सतर्क व सावधान रहने के लिये बार बार चेतावनी देना तथा उनमें सुरक्षा के बारे में अधिक विचार उत्पन्न करना ।

नियमित अन्तरावधियों के पश्चात् प्रशिक्षण स्कूलों में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना ।

मानव की असफलताओं को न्यूनतम बनाने के लिये यांत्रिक उपायों की, जैसे सिगनलों के साथ ब्लाक यंत्रों का अन्तःपाशन, कागज़ की लाइन क्लियर प्रणाली को, जो विशेष कर छोटी लाइनों पर काम में आती है, दोहरी लाइन वाले क्षेत्रों में ब्लाक यंत्रों, ताला (लौक) तथा ब्लाक यंत्रों के साथ काम करने वाले टोकिन से बदलना, 'स्वतन्त्र' ब्लाक यंत्रों को तालों (लौक) तथा ब्लाक यंत्रों में बदलना, आदि ।

रेलवे विशेष 'आन्दोलनों' का प्रबन्ध करती है और कुछ रेलों में उच्च पदाधिकारियों से बनी हुई स्थायी समितियां हैं जो समय समय पर स्थिति का पुनर्विलोकन करती हैं और निवारक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में मंत्रणा देती हैं । रेलवे बोर्ड भी समय समय पर महाप्रबन्धकों (जनरल मैनेजरों) को निदेश देता है और कुछ विशेष बातों की ओर

उनका ध्यान आकर्षित करता है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्रतिकारक तथा निवारक कार्यवाही की आवश्यकता पर ज़ोर देता है ।

पटरी से उतरने सम्बन्धी लाक्षम समिति ने कुछ सिफ़ारिशें की हैं जो कार्यान्वित हो रही हैं । इसी प्रकार उस समिति की सिफ़ारिशें भी, जिसने रेलवे दुर्घटना जांच समिति १९५४ के प्रतिवेदन का पुनर्विलोकन किया था, कार्यान्वित की जा रही हैं ।

आलू की खेती

२९२. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ के मौसम में कुल कितने एकड़ भूमि पर आलू की खेती की गई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : ६,६५,००० एकड़ पर ।

प्रतिकर के दावे

*२९३. **श्री इब्राहीम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) १ जनवरी से ३० जून, १९५५ तक की कालावधि में निजी पार्टियों की, सम्पत्ति की चोरी;

(२) निजी पार्टियों की सम्पत्ति के खोने ;

(३) सम्पत्ति को पहुंची क्षति के सम्बन्ध में रेलवे द्वारा कुल कितना प्रतिकर दिया गया ; और

(ख) १ जनवरी से ३० जून, १९५४ तक की कालावधि के सम्बन्ध में संवादी आंकड़े क्या थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) (१) और (२) सम्पत्ति की चोरी तथा उसके खोने के सम्बन्ध में रु०

९३,३६,१२२

(३) सम्पत्ति को पहुंची . . . . क्षति के सम्बन्ध में*१६,०३,३८०

(ख) (१) और (२) सम्पत्ति की चोरी तथा उसके खोने के सम्बन्ध में १,१०,८१,१००

(३) सम्पत्ति को पहुंची क्षति के सम्बन्ध में*१८,५६,९२४

*इन आंकड़ों में सरकारी विभागों को दी गई राशि भी शामिल है, क्योंकि निजी पार्टियों तथा सरकारी विभागों द्वारा मांगी गई तथा को दी गई राशि के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े नहीं रखे जाते। चोरी गई तथा खोई हुई सम्पत्ति के सम्बन्ध में इकट्ठे ही आंकड़े दिये हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलों में जिनमें सामान लक्ष्य-स्थान पर नहीं पहुंचा, यह बताना संभव नहीं है कि ऐसा चोरी के कारण हुआ या किसी अन्य कारण से ।

ट्रंक टेलीफोन

२९४. **श्री इब्राहीम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितने औद्योगिक तथा वाणिज्यिक केन्द्रों का भारतीय संघ के अन्य भागों के साथ ट्रंक टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित हो गया है ; और

(ख) अब ऐसे कितने केन्द्र बचे हैं जिनका अन्य भागों से ट्रंक टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित नहीं हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों का पहले ही ट्रंक टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित है ।

तारों के पहुंचने में विलम्ब

२९५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सर्किल में साधारण तथा एक्सप्रेस तारों के पहुंचने में विलम्ब होने की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(ख) कितने मामलों में जांच की गई ; और

(ग) कितने मामलों में डाक कर्मचारियों की लापरवाही का पता चला और उन्हें दंड दिया गया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ४१० ।

(ख) ४१० ।

(ग) २३६ ।

रेलगाड़ियों में ध्वनि-विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) की व्यवस्था

२९६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की आगामी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत लम्बी यात्रा (३०० मील से अधिक) वाली सभी गाड़ियों तथा सब प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ध्वनि-विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) की व्यवस्था करने की प्रस्थापना है ; और

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही की है जिससे यात्रा करने वाले लोग स्वास्थ्य सम्बन्धी सिद्धान्तों का ख्याल रखें और यदि हां, तो क्या ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सवारी गाड़ियों में ध्वनि-विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) की व्यवस्था करने की प्रस्थापना अभी प्रयोगात्मक अवस्था में ही है । इनका विस्तृत उपयोग इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रयोग के क्या परिणाम निकले हैं । बहुत से बड़े स्टेशनों पर ध्वनि-विस्तारक उपकरणों की व्यवस्था हो गई है और आवश्यकता पड़ने पर यह अन्य स्थानों पर भी दी जायेगी ।

(ख) रेलवे ने पोस्टरों, ध्वनि-विस्तारक यंत्रों द्वारा घोषणा आदि की सहायता से एक "सामाजिक शिक्षा" कार्यक्रम प्रारम्भ किया है जिसका उद्देश्य यह है कि यात्रा करने वाले लोगों को यात्रा करते समय अधिक शिष्टता बरतने के प्रति प्रवृत्त किया जा सके । इस कार्यक्रम के क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य जैसे सफाई, थूकदान का प्रयोग आदि, से, सम्बन्धित बातें सम्मिलित हैं ।

आयुर्वेदिक अनुसंधानशालायें तथा चिकित्सालय

२९७. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय सरकार के पास ऐसे राज्यों के नामों के बारे में जानकारी है, जिन्होंने आयुर्वेदिक अनुसंधानशालायें और चिकित्सालय खोले हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : इस बारे में राज्य सरकारों से सूचना मांगी जा रही है जो मिलने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

नेपाल की विमान सेवाओं का राष्ट्रीयकरण

२९८. **श्री राधा रमण :**
श्री बी० डी० शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **संचार** मंत्री ३० सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे

कि नेपाल की आन्तरिक विमान सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच जो बातचीत चल रही थी वह किस स्थिति में है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : नेपाल में विमान सेवाओं के संचालन के सम्बन्ध में बातचीत प्रगति कर चुकी है और नेपाल सरकार के अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

रेडियो-फोटो और दूर संचार सेवाएं

२९९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री उन देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनके साथ चालू वर्ष में भारत ने सीधी रेडियो फोटो और दूर संचार सेवाओं की व्यवस्था की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : चालू वर्ष में निम्नलिखित देशों के साथ रेडियो द्वारा फोटो, टेलीफोन और तार भेजने की व्यवस्था की गई है :

रेडियोफोटो सेवाएं	प्रारम्भ किए जाने की तिथि
१. ब्रिटेन	२–३–१९५५
रूस	८–६–१९५५
रेडियो टेलीफोन सेवायें :	
१. चीन	२–३–१९५५
२. बर्मा	२४–३–१९५५
३. रूस	४–६–१९५५
४. पोलैण्ड	२६–६–१९५५
रेडियो तार सेवाएं :	
१. चीन	३–१–१९५५
२. पोलैण्ड	२१–६–१९५५
३. यूगोस्लाविया	३०–६–१९५५

बीकानेर मेल

३००. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि कलकत्ता से नोहर और भद्रा जाने वाले यात्रियों के लिये बीकानेर मेल में दिल्ली से हनुमानगढ़ तक के लिये एक सीधा डिब्बा लगाया जाये ; और

(ख) इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं। यात्री इतने नहीं होते कि जिनके लिये एक सीधा डिब्बा लगाने की जरूरत पड़े।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुरी-कोनार्क सड़क

३०१. **श्री सारंगधर दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पुरी से कोनार्क तक सड़क बनाने की मंजूरी किस तिथि को दी थी ;

(ख) इस काम के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी थी ; और

(ग) सड़क बनाने का काम शुरू होने में देरी के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६ नवम्बर, १९५४।

(ख) १६,७०,७०० रुपये, जिस में से दो तिहाई राशि भारत सरकार देगी और बाकी राज्य सरकार।

(ग) पता चला है कि राज्य सरकार अभी तक किसी अच्छे ठेकेदार को नहीं ढूंढ़ सकी।

उत्तर बिहार में तारघर

३०२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबूराम नारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर बिहार के किन किन स्थानों में तारघर खोले जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (एक) १९५५–५६ में अभी तक निम्नलिखित स्थानों पर तारघर खोले जा चुके हैं :—

१. आदापुर
२. आमनौर
३. बनमानखी
४. बेलामुछपकौनी
५. मुरलीगंज
६. नरपटगंज
७. परिहार
८. वारिसनगर

(दो) निम्नलिखित स्थानों पर तारघर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है और यदि आवश्यक सामान मिल गया तो आशा है कि चालू वर्ष में ही खोल दिये जायेंगे :—

१. बरवारी
२. धनाहा
३. घोड़ासहन
४. हरसीडीह
५. जोगपट्टी
६. मैनातौर
७. पटाही
८. शिकारीपुरा
९. सिकता
१०. गोधरडीहा
११. हेरलखी
१२. खुरौना
१३. कुशेश्वरअस्थान
१४. लड़निया
१५. लौकाहा
१६. लौकाही
१७. माधोपुर
१८. मधवापुरा
१९. फूलपरस
२०. सिंहिया
२१. कटरा
२२. कुरहनी
२३. मेजरगंज
२४. मीनापुर
२५. सोनबरसा
२६. चौथन
२७. धमदाहा
२८. कड़वा
२९. कोड़हा
३०. रानीगंज
३१. आलमनगर
३२. बनगव
३३. भीमनगर
३४. छतरपुर
३५. किशनगंज
३६. सिंहेश्वरस्थान
३७. स्वरबाज़ार
३८. त्रिवणीगंज
३९. बैकुण्ठपुर
४०. बसन्तपुर
४१. चन्दन
४२. गुथनी
४३. कुण्डाहित

रेलवे दावे

३०३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में कितने दावे रजिस्टर किये गये ;

(ख) उन में से कितने अभी तक तय नहीं हुये ; और

(ग) उन के तय न होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३,६२,९५६ ।

(ख) ३१–१०–१९५५ को ५,५८३ ।

(ग) (१) कुछ मामलों में दावेदारों ने माल बुक कराये जाने के सम्बन्ध में अधूरा और गलत ब्योरा दिया ।

(२) दावेदारों ने, उनसे मांगे जाने पर भी, बीजक और बिल्टियां नहीं दीं ।

(३) दावे बहुत अधिक राशि के दिये गये ।

(४) विभाग की ओर से पर्याप्त जांच करने की आवश्यकता पड़ी ।

(५) जिन मामलों में चलती गाड़ी में चोरी होने का सन्देह था उनके बारे में सरकारी रेलवे पुलिस की रिपोर्टें नहीं मिली : और

(६) रेलवे दावों के कुछ दफ्तरों में मुकदमा तैयार करने में देर हुई और अन्य रेलों से की गई पूछताछ का उत्तर देने में भी देरी हुई ।

प्रयोगात्मक डाकघर

३०४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के सीतामढ़ी सब डिवीज़न में ऐसे प्रयोगात्मक डाकघरों की संख्या कितनी है जो स्थायी बनाये जाने के योग्य हो गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : १५-८-१९४७ के बाद से सीतामढ़ी सब डिवीज़न में १२० प्रयोगात्मक डाकघर खोले गये थे जिन में से ७३ डाकघर पहले ही स्थायी बनाये जा चुके हैं । आशा है कि ३१-३-१९५६ तक आठ और प्रयोगात्मक डाकघर स्थायी बना दिये जायेंगे ।

सार्वजनिक टेलीफोन

३०५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **संचार** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिया हुआ हो कि मुज़फ़्फ़रपुर जिले के प्रत्येक सार्वजनिक टेलीफोन पर १९५५ में जहां तक मालूम हो, कितना खर्च हुआ और उससे कितनी आय हुई ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : खर्च : सार्वजनिक टलीफोनों की देखभाल उन कार्यालयों के कर्मचारी करते हैं जहाँ वे लगे हुये हैं, इसलिये यह अनुमान लगाना कठिन है कि उन पर कितना अंशकालिक व्यय होता है ।

आय : जनवरी, १९५५ से अक्तूबर, १९५५ तक प्रत्येक सार्वजनिक टेलीफोन से जितनी आय हुई उसका ब्योरा निम्नलिखित है :

	रुपये
१. अमगोला	कुछ नहीं
२. देसारी	३८९
३. हाज़ीपुर	६९४
४. महानार	४८५
५. मुज़फ़्फ़रपुर जिला टेलीफोन कार्यालय	६,४९८
६. मुज़फ़्फ़रपुर बार पुस्तकालय	१४६
७. मुज़फ़्फ़रपुर रेलवे स्टेशन	५८२
८. रूनीसैदपुर	८९
९. सीतामढ़ी	१,३४८
१०. सीतामढ़ी न्यायालय	३२०

विमानों क किराये

३०६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विमानों के किराये किस आधार पर निश्चित किये जाते हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : इण्डियन एयरलाइंज कारपोरेशन के विमानों के किराये १५ जुलाई, १९५५ से निम्नलिखित दो व्यापक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये वैज्ञानिक आधार पर फिर से निर्धारित किये गये थे :—

(एक) और बातों के समान होने पर, किराए दो स्थानों के बीच में, जिन्हें दो विभिन्न सेवाएं स्वतन्त्र रूप से मिलाती हों, भिन्न नहीं होने चाहियें और साथ ही यात्रियों की सुविधा, परिवहन के तुलनात्मक साधनों, भार की वर्तमान धारिता और विमान की प्रकार का ध्यान रखा जाना चाहिये ;

(दो) किराय निश्चित प्रति मील दर के आधार पर या विभिन्न दूरियों के लिये आकलित प्रति मील दर के आधार पर नहीं होने चाहियें परन्तु उनके आधार दूसरे होने चाहिये जैसे कि पहले ये किराये कैसे घटते बढ़ते रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप भार की धारिता क्या रही है, परिवहन के दूसरे (तुलनात्मक) साधन क्या हैं ; जिन क्षेत्रों में विमान आते जाते हैं, उनकी विशेषतायें क्या हैं, यात्रियों के आवागमन का रुझाव क्या है, भूमि कैसी है जिसका धारिता पर प्रभाव पड़ता है और संचालनव्यय आदि ।

२. जिन विमान मार्गों पर एयर इंडिया इन्टरनैशनल कारपोरेशन के विमान चलते हैं उनके किराये अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था निर्धारित करती है, जिसमें एयर इंडिया इन्टरनैशनल कारपोरेशन को भी सदस्यता प्राप्त है । इस सन्था को भी किराए निर्धारित करने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है परन्तु किराए, सदस्य देशों द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा मार्गों के लिये अनुमित लागत को ध्यान में रख कर और साथ ही यात्रियों की प्रत्याशित संख्या, किराया, जो कि यात्रियों से लिया जा सकता है और तुलनात्मक विमान मार्गों का भी ध्यान रखा जाता है ।

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी (निर्देशिका)

३०७. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी (निर्देशिका) के मुखपृष्ठ के लिये क्या विज्ञापन दर निश्चित की गयी है ;

(ख) डायरेक्टरी के नवीनतम संस्करण में छपे विज्ञापनों पर कितनी धन राशि ली गयी ;

(ग) क्या यह सच है कि एक से अधिक व्यक्ति मुखपृष्ठ के लिये निश्चित विज्ञापन दर देने के लिये तैयार थे ; और

(घ) यदि हाँ, तो चुनने का ढंग क्या था ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) छपने वाली प्रत्येक १०० प्रतियों के लिये कम से कम १५ रुपये ।

(ख) अगस्त में छपे संस्करण के लिये ६,८०० रुपये ।

(ग) अगस्त, १९५५ संस्करण के सम्बन्ध में उत्तर है 'नहीं', परन्तु फ़रवरी, १९५६ संस्करण के सम्बन्ध में उत्तर सकारात्मक है ।

(घ) दो व्यक्ति थे जो एक ही राशि देने के लिये तैयार थे ; इसलिये जिसका विज्ञापन पहले के संस्करण में मुखपृष्ठ पर छापा गया था उसे ही प्राथमिकता दी गयी ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५]

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४४६७–४५०८

ता० प्र० संख्या विषय

४८५ कोलम्बो योजना ४४६७–६८
४८८ गोदी कर्मचारी . ४४६९–७०
४९० वर्धा वहंगर शाह रेलवे लाइन . . ४४७०–७१
४९१ भारत तथा चीन के बीच डाक्टरों का आदान प्रदान ४४७१–७३
४९२ रेलवे अधिकारियों की रूस यात्रा ४४७३–७५
४९४ अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था बंगलौर ४४७६–७७
४९५ भारत और इंगलैंड के बीच विमान संचालन करार ४४७८
४९७ राष्ट्रीय विमान-कम्पनियां ४४७८–८०
४९८ वन्य पशु सम्बन्धी भारतीय बोर्ड ४४८०–८२
४९९ मुगलसराय स्टेशन में मालगाडियां खड़ी होने का स्थान ४४८२–८३
५०० वन विद्या आयोग ४४८३–८४
५०१ बागान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समिति ४४८४–८५
५०४ रेलवे लाइनों के बीच नये शहर लगाना ४४८६–८८
५०५ कोलम्बो योजना ४४८८–८९
५०६ इन्फ्लूएंजा (जुकाम) का टीका ४४८९–९०
५१२ अमरीकी उपहार पार्सल ४४९०–९२
५१४ बी० सी० जी० टीके का आन्दोलन . . ४४९२–९५

ता० प्र० संख्या विषय स्तम्भ

५१५ सी० टी० ओ० केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ४४९५–९७
५१६ कृष्णा नदी पर पुल ४४९७–९९
५१८ डाक तथा तार की हरकारा लाइनह . ४४९९–४५०१
५२१ काजीपेट मुड्र रेलवे लाइन ४५०१–०२
५२२ उड्डयन . ४५०२–०४
५२५ अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ४५०४
५३० अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना ४५०४–०६
५२६ रेलवे सुविधाओं सम्बन्धी समिति ४५०७–०
प्रश्नों के लिखित उत्तर ४५०६-५२
४८७ एक्सरे उपकरण (यूनिट्स) ४५०९
४८९ काम दिलाऊ दफ्तर ४५०९
४९३ कांडला पत्तन ४५०९–१
४९६ पत्तन मजदूर ४५१०–१
५०२ दिल्ली राजकोट विमान सेवा . ४५१
५०३ विमान सेवा प्रयोक्ता परिषदें ४५१
५०७ झरिया की कोयले की खानें ४५१
५०८ नहरूआ . ४५१२-१
५०९ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (बेकारी की समस्या) ४५१
५१० अन्दमान द्वीप समूह को विमान सेवा . . ४५१३–

प्रश्नों के लिखित उत्तर —(क्रमशः)

ता० प्र० संख्या — विषय — स्तम्भ

५११ रक्षित खाद्यानों के गोदाम . . ४५१४
५१३ अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस . ४५१५
५१६ मछली पालन ४५१५–१६
५२० कर्मचारी राज्य बीमा योजना . . ४५१६
५२४ तेल वाहक जहाज ४५१६–१७
५२७ डमडम हवाई अड्डे पर हुई घटना . . ४५१७
५२८ ज्योतिर्मय बद्रीनाथ रोड ४५१८
५२९ बी० सी० जी० आन्दोलन ४५१८
५३१ मत्स्य ग्रहण उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र ४५१८–१९
५३२ हाअर पुष्टि ४५१९–२०
५३३ सौराष्ट्र रेलवे भ्रष्टाचार मामला ४५२०
५३४ रेलों में योजना व्यवस्था ४५२०
५३५ पंजाब में जल संचरण तथा जल-निस्सरण योजनायें . ४५२१–२२
५३६ विश्व स्वास्थ्य संघ ४५२२
५३७ धान्यागार ४५२२–२३

अ० प्र० संख्या

२६४ डाक तथा तार कर्मचारी ४५२३–२४
२६५ बिहार में मलेरिया नियंत्रण ४५२४–२५
२६६ डाकखाने (पंजाब) ४५२५
२६७ रेलवे दुर्घटनायें ४५२५–२६
२६८ सरसों ४५२६–२७
२६९ पश्चिम रेलवे पर चोरियां ४५२७–२८
२७० रेलवे जोनल समितियां ४५२८

अ० प्र० संख्या — विषय — स्तम्भ

२७१ रेलवे कर्मचारियों की मांगें . ४५२८–२९
२७२ रेलवे कर्मचारी ४५२९
२७३ कर्मचारियों के क्वार्टर ४५२९–३०
२७४ काम दिलाऊ दफ्तर . ४५३०–३२
२७५ कृषि का जापानी ढंग ४५३२
२७६ पर्यटक . ४५३२
२७७ स्वास्थ्य मंत्री की लोक कल्याण निधि ४५३२
२७८ डाकघर ४५३३
२७९ 'हैरन' वायुयान ४५३३
२८० डाक विभागीय जीवन बीमा योजना . . ४५३३–३४
२८१ दिल्ली में सड़कों के नये नाम . ४५३४
२८२ ग्राम डाकघर ४५३४–३५
२८३ ग्राम डाकघर . ४५३५
२८४ पंजाब में सार्वजनिक टेलीफोन ४५३५
२८५ कृषि–ऋण ४५३६
२८६ चावल . . ४५३६
२८७ काफी बागानों के श्रमिक ४५३७
२८८ कांगड़ा में डाकघर ४५३७
२८९ चीनी का आयात . ४५३७
२९० दिल्ली परिवहन सेवा ४५३८
२९१ रेल दुर्घटना . ४५३८–४१
२९२ आलू की खेती ४५४१
२९३ प्रतिकर के दावे ४५४१–४२
२९४ ट्रंक टेलीफोन . ४५४२–४३
२९५ तारों के पहुंचने में विलम्ब ४५४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
२९६	रेलगाड़ियों में ध्वनि-विस्तार यंत्रों (लाउडस्पीकर) की व्यवस्था	४५४३–४४
२९७	आयुर्वेदिक अनुसंधान-शालायें तथा चिकित्सालय	४५४४
२९८	नैपाल की विमान सेवाओं का राष्ट्रीय करण	४५४४–४५
२९९	रेडियो फोटो और दूर संचार सेवायें	४५४५
३००	बीकानेर मेल	४४४६
३०१	पुरी-कोनार्क सड़क .	४५४६
३०२	उत्तर बिहार में तार घर .	४५४७
३०३	रेलवे दावे .	४५४८
३०४	प्रयोगात्मक डाकघर	४५४९
३०५	सार्वजनिक टेलीफोन	४५४९–५०
३०६	विमानों के किराये	४५५०–५१
३०७	दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी (निर्देशिका)	४५५२

लोक-सभा

वाद-विवाद

सोमवार,
५ दिसम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ९ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५६४३–४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५६४४–४७
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक	५६४७
नदी बोर्ड विधेयक	५६४७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	५६४८
नागरिकता विधेयक	५६४८, ५७१७
संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक	५६४८–४९
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	५६४९
समवाय विधेयक	५६४९–५३
नागरिकता विधेयक	
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५६५४–५७१७
खंडों पर विचार—खंड २ से १९	५७१७–४६
दैनिक संक्षेपिका	५७४७

संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई की स्थिति	५७५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५२
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	५७५२
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)—	
खंड १९	५७५२–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५७५५
समवाय विधेयक	५७५५–७३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५७७३–५८१०
खंड २ से ५ और १	५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५८१९–२७

	स्तम्भ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८२७–३२
दैनिक संक्षेपिका	५८३३–३४
संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
बम्बई की स्थिति . .	५८३५–४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
उनतालीसवां प्रतिवेदन . .	५८४०
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८४०–५९१६
दैनिक संक्षेपिका	५९१७–१८
संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र . .	५९१९–२१
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . .	५९२१
आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण	५९२१–२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	५९२२–२३
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	५९२३–६०१०
विचार करने का प्रस्ताव	५९२३
खंडों पर विचार . .	५९८७–६०१०
खंड २ . .	५९८७–९५
खंड ३ और ४ .	५९८७–९५
खंड ५ .	५९९५–६०१०
दैनिक संक्षेपिका .	६०११–१४
संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रख गये पत्र .	६०१५–१६
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . .	६०१६–२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२	६०२२–५५

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

बालीसवां प्रतिवेदन

	स्तम्भ
कार्य मंत्रणा समिति—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	६२१२
कशाघात उत्सादन विधेयक	६२१५—३७
विचार करने का प्रस्ताव	६२१५
खंड १ से ४	६२३७
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक	६२१३–१५, ६२३८–८०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६२३८
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६२८०–८८
विचार करने का प्रस्ताव	६२८०
दैनिक संक्षेपिका	६२८९–९२
संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६२९३–९७
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक	६२९७
बीमा (संशोधन) विधेयक	६२९७–९८
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न	६२९८–६३००
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६३००–१२
विचार करने का प्रस्ताव	६३००
खंडों पर विचार—	
खंड २ से ४६ और १	६३११–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६३१२
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३१२–७२
विचार करने का प्रस्ताव	६३१२
खंडो पर विचार—	
खंड २ से ४ और १	६३५८–७२
पारित करने का प्रस्ताव	६३७२
दैनिक संक्षेपिका	६३७३–७६
संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३७७, ६३८४
स्थगन प्रस्ताव—	
अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति	६३७८–८१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३८१–८

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक ६३८३–८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४–६४१८
विचार करने का प्रस्ताव ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९–३९
विचार करने का प्रस्ताव ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९,९२
विचार करने का प्रस्ताव ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका ६४६३–६६

संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७–६९
सभा का कार्य ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९–६५५६
विचार करने का प्रस्ताव ६४६९
दैनिक संक्षेपिका ६५५७–५८

संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०–६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१–६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३–५२
दैनिक संक्षेपिका ६६५३–५४

स्तम्भ

संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका ६७४५–४६

संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–९९२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–९४

संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव ७०१८

खंड २ और १ ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका ७०८९–९०

अनुक्रमणिका (१-४९)

लोक सभा

सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्यान्ह

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है कि राज्य-सभा ने अपनी ३० नवम्बर, १९५५ की बैठक में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक को, संशोधित रूप में पारित कर दिया है।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक

सचिव : मैं हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक १९५५ को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : वित्त मंत्री की ओर से मैं आय-व्ययक (सामान्य) १९५५–५६ के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०-५१

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : वित्त मंत्री की ओर से मैं आय व्ययक (सामान्य) १९५०–५१ के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त बक्तव्य के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं एक ऐसे मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिसके कारण इस सभा के माननीय सदस्यों तथा अन्य लोगों के दिमाग में एक हलचल पैदा हो गयी है। यह मामला एक संयुक्त वक्तव्य का समाचार है, जो संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री, श्री डलेस और पुर्तगाल के वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा जारी किया गया बताया जाता है। बताया जाता है कि यह दो दिन पहले वाशिंगटन में जारी किया गया था। मेरे पास अल्प सूचना प्रश्न की एक प्रति आ गयी है। अन्य सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में मुझ से बातचीत की और इच्छा प्रकट की कि सरकार अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करे। मैं उन माननीय सदस्यों से पूर्णतया सहमत हूं जो कहते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह महत्वपूर्ण है। इस मामले का असर बहुत दूर तक होगा। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण बात है अतः हमें एक सरकार की हैसियत से इस सभा में इस विषय में कुछ कहने के पूर्व इस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मामले की औपचारिक पुष्टि करनी चाहिए और अन्य औपचारिक कार्यवाही करनी चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

नागरिकता विधेयक---जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नागरिकता विधेयक, १९५५ पर अग्रेतर चर्चा करेगी। सामान्य चर्चा के लिए आवण्टित किये गये ९ घंटों में से ७ घण्टे १५ मिनट का समय खत्म हो चुका है शेष १ घण्टा और ४५ मिनट बाकी हैं। उसके बाद खण्डशः विचार के लिए ५ घण्टे आवण्टित किये गये हैं।

मैं समझता हूं कि सरदार ए० एस० सहगल के बाद माननीय प्रधान मंत्री बोलना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं आशा करता हूं कि सरदार ए० एस० सहगल थोड़ा ही समय लेंगे।

सरदार ए० एस० सहगल : प्रधान मंत्री भाषण दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रधान मंत्री को बोलने के लिए कह सकता हूं यदि माननीय सदस्य अपना भाषण जारी न करना चाहें।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं भाषण जारी नहीं करना चाहता।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं विधेयक के केवल एक पहलू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जिसके बारे में काफी बातें कही गयी हैं और आलोचनायें की गयी हैं। अन्य पहलुओं पर मेरे साथी उप-मंत्री, प्रकाश डालेंगे। यह पहलू इस विधेयक में राष्ट्रमंडल की नागरिकता के सम्बन्ध में कही गयी बातों के सम्बन्ध में हैं। ये बातें खण्ड २(१) (ग), खण्ड ५(१) (ङ), खण्ड ११ और १२ तथा प्रथम अनुसूची में हैं।

मैं यहां पर राष्ट्रमंडल की सदस्यता के सम्पूर्ण प्रश्न की विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता, फिर भी मैं संक्षेप में उसके सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। सबसे पहले, मैं कुछ माननीय, सदस्यों द्वारा विमति टिप्पण में कही गयी उन बातों को लूंगा जिनमें उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध के कारण हमारे ऊपर क्लेशकर, विरुद्ध और अपमानजनक प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है। मैं केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, बल्कि दो वर्ष के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने विमति टिप्पण दिया है वे ऐसी एक भी कोई बात बतायें, जो क्लेशकर, अपमानजनक या हमारे विरुद्ध रही हो, जिसके कारण हमारे स्वतन्त्र प्रभुत्व सम्पन्न पद या कार्य की स्वतन्त्रता में, चाहे आन्तरिक या विदेशी हो, कोई भी बाधा पड़ी हो। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई और यह भी सच है कि उसी के कारण हम अपने वैदेशिक मामलों में अधिक कार्य-स्वतन्त्रता का व्यवहार कर सके जो शायद अन्यथा सम्भव न होता।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): क्या प्रधान मंत्री को पता है कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के अनुसार हमें ब्रिटिश राज्य का प्रजाजन समझा जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इसका पता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उसे पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पर ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम में कही गयी या न कही गयी बातों का कोई महत्व नहीं है। हम जो कुछ कहते हैं वही महत्वपूर्ण है।

सभा को और सारे देश को पता है कि अपनी आन्तरिक और वैदेशिक नीतियों के सम्बन्ध में हमने इस सभा और सरकार की इच्छा के अनुसार ही काम किया है। राष्ट्र-

मंडल के सम्बन्ध में तनिक भी बाधा नहीं डालते। बहुधा हम एक राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्य राज्यों की नीतियों और रीतियों से सहमत नहीं हुये हैं। हमने उनसे चर्चा की ह और सहमत नहीं हुये हैं। अभी हाल में ही एक महत्वपूर्ण मामला था जिसके परिणाम बहुत गम्भीर होंगे। बगदाद समझौता उन देशों के लिए एक दुखद तथा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो उसमें सहमत हुये हैं, यह समझौता हमारे दृष्टिकोण से दुखद नहीं है बल्कि शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से दुखद है। ऐसी बातें होती हैं। पर इनसे हमारी नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर मैं यह भी नहीं समझता कि राष्ट्रमडल से सम्बन्ध रखने के कारण शान्ति और सहयोग क काम में हमें कोई विशेष सहायता मिली है। मैं इस बात को बढ़ा कर सभा का समय नहीं लेना चाहता पर मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं।

हम सहयोग के क्षेत्र को अन्य देशों तक बढ़ाना चाहते हैं। हम ऐसा करते भी हैं; इस सम्बन्ध में मैं बर्मा का नाम लूंगा। बर्मा के साथ हमारे सम्बन्ध राष्ट्रमंडल के अनेक देशों की अपेक्षा अधिक अच्छे हैं। पर, बर्मा राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। हम अन्य देशों के साथ भी अपने सम्बन्ध बढ़ा रहे हैं। हमसे पूछा जाता है ; बर्मा का उल्लेख यहां क्यों नहीं किया जाता ? इसका साधारण सा कारण पारस्परिक सहयोग वाला खण्ड है। यह केवल हमारे व्यवहार का प्रश्न नहीं है; बल्कि उस देश को भी निश्चय करना पड़ता है। बर्मा की विधि के सम्बन्ध में और भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। कुछ विधियां ऐसी हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं हैं। उनके सम्बन्ध में सभा में प्रश्न पूछे जाते हैं अतः मैं चाहूंगा कि सर्व-प्रथम यह सभा इस बात को ध्यान में रखे कि राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध रखने में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जिससे हमारे सम्मान, बड़प्पन और कार्य स्वतन्त्रता में बाधा हुई हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : क्या हम बर्मा के सामने अपनी नागरिकता विधि के सम्बन्ध में पारस्परिक नागरिकता के अधिकारों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव नहीं रख सकते ?

श्री कामत : नेपाल से भी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं बर्मा सरकार से इस मामले पर बात करने के लिये बिल्कुल तैयार हूं। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रयत्न करने की बात को हम नापसन्द नहीं करेंगे, पर हो सकता है वहां की सरकार इस बात को पसन्द न करे। हम किसी सरकार को नाराज नहीं करना चाहते। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम अपनी तरफ से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और बढ़ भी रही है। बर्मा की जनसंख्या हमारे देश की जनसख्या की तुलना में बहुत कम है। वह नहीं चाहते कि उनके देश में एक बहुत बड़ी जनसख्या बाहर से आ जाये। यह उनके विचार करने की बात है, न कि हमारे। बर्मा के साथ इस मामले पर बात करने में हमें वास्तव में बहुत प्रसन्नता होगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : पर क्या दक्षिणी अफ्रीका इस बात को पसन्द करता है कि हम उसे पारस्परिक नागरिकता प्रदान करें। हम दक्षिणी अफ्रीका के लिए नागरिकता के अधिकार खोल रहे हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप केवल इतना कह सकती हैं कि हम किसी भी देश के साथ पारस्परिक नागरिकता के अधिकार का प्रस्ताव कर सकते हैं, बशर्ते कि वह राजी हो।

श्री कामत : क्या राष्ट्रमंडल के बाहर के किसी देश के साथ भी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह एक दूसरी बात है। यदि हम संसार के सभी देशों को सम्मिलित करेंगे तो हमें अपनी नागरिकता के सम्पूर्ण स्वरूप को बदलना पड़ेगा।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यदि माननीय प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि वह दक्षिणी अफ्रीका के संघ को किसी प्रकार की पारस्परिक नागरिकता के अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो वह इस बात के लिए क्यों राजी नहीं होते कि प्रथम अनुसूची से दक्षिणी अफ्रीका संघ को निकाल दिया जाय ।

श्री जवाहरलाल नेहरु : मैं आशा करता हूं कि हम लोग एक ऐसी अवस्था पर पहुंच रहे हैं जिसमें विश्व नागरिकता होगी । वह एक दूसरी बात है । इस बीच में नागरिकता विधियों का होना आवश्यक है ।

हमारे सविधान के विकास में, गणराज्य के पूर्व एक ऐसी अवस्था थी, जिसे अधिराज्य (डोमीनियन) कहते थे । निःसन्देह हमें बहुत पहले ही अपनी इस अवस्था को बदल कर स्वतन्त्र गणराज्य बनाना था । हमें अपना संविधान बनाने में दो या तीन वर्ष लगे । उसके बाद हमारा देश स्वतन्त्र, सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य हो गया और हमारे लिए नाममात्र के लिए भी किसी के प्रति निष्ठावान् होना अनिवार्य नहीं है । इस प्रकार राष्ट्रमंडल में एक गणराज्य का होना एक नयी बात और बिल्कुल नयी बात थी, क्योंकि उस समय तक राष्ट्रमडल के सभी सदस्यों को ब्रिटेन की राज्य सत्ता के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करनी पड़ती थी । भारत का गणराज्य के रूप में राष्ट्रमंडल में रहना नियमानुकूल हो गया नहीं, यह कोई नहीं जानता था, पर जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मुझे इस पर बहुत सन्देह था । हम नहीं समझते थे कि यह सब कैसे ठीक किया जाय, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कारणों से हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहे । हम समझते थे कि ऐसा करना हमारे लिए और विश्व-शान्ति के लिए अच्छा होगा । १९४८ और १९४९ में ब्रिटिश सरकार तथा राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के साथ इस विषय पर हमारा विस्तृत चर्चा हुई और अन्त में राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा हुई । उस समय उनका सुझाव और उनकी इच्छा थी कि एक प्रकार का नाममात्र का, काल्पनिक सम्बन्ध बनाये रखा जाना चाहिए । यह एक ऐसा विचार था जिससे हम एक दूसरे के नजदीक आते और मिल सकते । काफी विचार करने के बाद केवल यही मार्ग दिखाई पड़ा कि ब्रिटिश सरकार अपने राष्ट्रीयता विधेयक में एक ऐसा खण्ड जोड़े, जिससे हमारा उसका सम्बन्ध परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर बना रहे ।

इसके लिये कोई वचन नहीं दिये गये थे किन्तु इस प्रकार का करार अवश्य था । हमने उनसे यह कहा था कि हम उचित समय पर अपने राष्ट्रीयता विधेयक में इस प्रकार का कोई खंड अथवा निर्देश सम्मिलित करने के लिये तैयार हैं । आदान-प्रदान के आधार पर हम उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे, जैसा कि दूसरे देश में हमारे साथ किया गया हो । वह अन्य राष्ट्रमंडल देश के साथ किये पारस्परिक समझौते पर निर्भर है । ब्रिटेन के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रजनों को बहुत बड़े अधिकार प्राप्त हैं । अन्य देशों के सम्बन्ध में वे बहुत सीमित हैं और हम उन्हें सीमित अधिकार देते हैं । दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में, दोनों देशों के बीच शत्रुता है । अतः यह पूर्णतः एक सक्षम खंड है और एक ऐसी चीज है, जिसे देना या न देना हमारी शक्ति के अधीन है । दक्षिण अफ्रीका से सम्बन्धित इस विशिष्ट विषय के बारे में मैं एक छोटा सा संशोधन अभी प्रस्थापित कर रहा हूं और सम्भवतः सभा उस पर अनुमोदन देगी ।

ऐसे विधेयक में दक्षिण अफ्रीका संघ का नाम सम्मिलित न करने की सभा की इच्छा मैं भलिभांति समझ सकता हूं । किन्तु मेरा यह निवेदन है कि दक्षिण अफ्रीका संघ का नाम सम्मिलित करने से हमें अपयश नहीं मिलेगा । हम केवल उन कुछ देशों का नाम गिना रहे हैं, जो अभी राष्ट्रमंडल में हैं और हम यह कह रहे हैं कि यदि आप समुचित व्यवहार करेंगे तो हम आपको ऐसे अधिकार

देंगे । अतः यह उनके लिये एक सलाह है कि वे ऐसा करें । आज वर्तमान नियमों के अनुसार कोई दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति या दक्षिण अफ्रीकी माल भारत नहीं आ सकता । मेरे विचार से दक्षिण अफ्रीका का नाम प्रथम अनुसूची से निकाल दिया जाना उचित नहीं है । इसका अर्थ केवल यह है कि यदि दूसरे समुचित व्यवहार करें, तो हम किसी भी समुचित समन्वय के लिये हमेशा तैयार हैं । प्रत्येक मामले में हमारी यह नीति रही है और हम अपनी नीति अथवा कोई मूल सिद्धान्त कदापि छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं किन्तु दूसरे दल के साथ हम समझौता कर सकते हैं चाहे उससे हमारी कितनी ही शत्रुता क्यों न हो । यह बात दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं के लिये लागू होती है । यदि इस तरह का रुख न हो तो झगड़े के सिवा और कोई हल नहीं हो सकता । अतः व्यावहारिक दृष्टिकोण से अथवा अपनी सामान्य नीति के अनुसार हमें अन्तिम रूप से रास्ता कदापि बन्द नहीं कर देना चाहिये । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस विषय में दक्षिण अफ्रीका के उल्लेख से मुझे भी थोड़ा दुख होता है, किन्तु दूर दृष्टि के कारणों से एक देश का नाम निकाल देना उचित नहीं होगा ।

यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण राष्ट्रमंडल की कल्पना में परिवर्तन हो रहा है और जब एक स्वतन्त्र गणराज्य, जो किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रतिनिष्ठा नहीं रखता, इस राष्ट्रमण्डल से सम्बद्ध हुआ, तब तो उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है । मैं चाहता हूं कि सभा दो तीन बातों को ध्यान में रखे । पहली बात यह है कि विदेशों में अर्थात् ब्रिटिश उपनिवेशों में आज लाखों भारतीय हैं । इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रमंडल के साथ हमारे सम्बन्ध से उन्हें सुविधा होती है और हमें भी उनके साथ व्यवहार करने में मदद मिलती है । अन्यथा ये लाखों भारतीय या तो उस देश में पूर्णतः अन्य देशीय हो जायेंगे या उन्हें भारत से अपने सारे सम्बन्ध तोड़ देने होंगे । मैं यह ठीक नहीं समझता कि हम उन लाखों भारतीयों को इस स्थिति में डाल दें ।

आप राष्ट्रमंडल के विकास की ओर ध्यान दें । मुझे आशा है कि आगामी वर्ष में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हो जायगा । यह एक अच्छी बात है और हम उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा में हैं । उससे राष्ट्रमंडल का सारा स्वरूप बदल जायगा । वह पहला अवसर होगा जबकि एक अफ्रीकी राष्ट्र इस प्रकार राष्ट्रमंडल से सम्बद्ध होगा । अतः उसका यूरोपीय स्वरूप बदल रहा है और जैसी कि वर्तमान स्थिति है, स्वतन्त्र एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्र निकट आ रहे हैं । आशा है कि बाद की कार्यवाहियों से मलाया और सिंगापुर भी कदाचित् उसमें सम्मिलित हो जायें । दुनिया के दृष्टिकोण से, जातीय दृष्टिकोण से ये परिवर्तन अच्छे हैं । सम्भव है कि राष्ट्रमंडल के कुछ सदस्य विशेषकर दक्षिण अफ्रीका संघ यह परिवर्तन बिल्कुल न चाहे, क्योंकि वह उनकी आधार भूत नीति के विरुद्ध होगा । अतः कठिनाई उनके सामने है, न कि हमारे सामने है । मैं यह उन पर छोड़ देता हूं कि वह इन विकासों पर अनुमोदन न दें और अपने तहखानों में बैठे रहे और बाकी दुनिया से अलग हो जायें ।

अतः मेरा निवेदन है कि इन अधिक विस्तृत दृष्टिकोणों के कारण हमारे लिये, विशेषकर आज जब बड़े-बड़े प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, यही वांछनीय है कि हमारी अपनी समस्याओं के अतिरिक्त शान्ति के उद्देश्य से और विश्व समस्याओं को सुलझाने के लिये हम राष्ट्रमंडल के साथ सम्बन्ध कायम रखें । भारत अन्य देशों द्वारा प्रभावित हो सकता है किन्तु यह न भूलना चाहिये कि भारत भी अन्य देशों को प्रभावित कर सकता है और गत कुछ वर्षों में उसने बहुत हद तक ऐसा किया है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अतः इस सभा से मेरा पुनः निवेदन है कि वह इस विस्तृत ढंग को स्वीकार कर ले जिससे किसी देश को पारस्परिकता के आधार के अतिरिक्त कोई थोड़ा भी अधिकार अथवा विशेष स्थिति प्राप्त नहीं होती । मेरा सुझाव है कि सभा एक संशोधन पर अनुमोदन दे । विधेयक का खंड २ (ग) एक समर्थकारी खंड है किन्तु मैं उसमें निम्न भाग जोड़ना चाहता हूं :

"परन्तु दक्षिण अफ्रीका संघ के सम्बन्ध में, ऐसी कोई अधिसूचना संसद् के दोनों सदनों के पूर्व-अनुमोदन के बिना नहीं निकाली जायगी ।"

इससे सर्वप्रथम यह दिखायी पड़ता है कि हम दक्षिण अफ्रीका की ओर किस विशेष रूप से देखते हैं । दूसरी बात यह है कि हम इस विषय में प्रत्येक कार्यवाही संसद् के दोनों सदनों के समक्ष लाना चाहते हैं और उसे सरकार पर नहीं छोड़ना चाहते । यदि यह परन्तुक जोड़ दिया जायगा, तो इस विषय में हमारी कुछ भावना पूरी हो जायगी ।

एक और विषय है जिसका मैं उल्लेख करूंगा । प्रथम अनुसूची में कुछ नामों का उल्लेख किया गया है, उनका क्रम बदल दिया जाना चाहिये । वहां एक या दो नाम ऐसे हैं जो ठीक नहीं है । यह एक छोटा सा विषय है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस विधेयक में खंड १९ एक निरसक खंड है, जहां हम कहते हैं कि १९१३ से १९४० तक के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियमों का निरसन किया जाता है । हम इन अधिनियमों का निरसन क्यों करते हैं और १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम का कोई निर्देश नहीं करते, जो स्वतः इस अधिनियमों का निरसन करता है । वह हमारी संविहित विधि का अंग का न हो, किन्तु वह हमारे देश में क्रियाशील है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस दशा के अतिरिक्त कि हम उसके अनुरूप कुछ करें वह किस प्रकार क्रियाशील है ? आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि वह क्रियाशील है ? हमें अपनी विधि बनाने में उससे मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ है । कोई कार्यवाही करने में हमें उससे मार्ग दर्शन मिला है । किन्तु यह स्पष्ट है कि वह विधि यहां क्रियाशील नहीं है, कदापि नहीं हो सकती ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं केवल समझना चाहता हूं । आप कहते हैं कि हम कुछ ब्रिटिश अधिनियमों का निरसन कर रहे हैं । ऐसा करने के लिये हम अपने रास्ते से अलग हो जाते हैं क्योंकि यह कहना संभवतः हमारा काम नहीं है कि ये अधिनियम क्रियाशील नहीं है । किन्तु कुछ ब्रिटिश अधिनियमों के सम्बन्ध में हम यह कहते हैं कि वे क्रियाशील नहीं होते । एक दूसरा ब्रिटिश अधिनियम है, जो स्वतः उन ब्रिटिश अधिनियमों का निरसन करता है, जिनके बारे में हम कहते हैं कि हम उनका निरसन कर रहे हैं । अतः हमारा निवेदन यह है कि १९४८ का ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम जो विशेषतया हमारे निरसक खंड़ में से निकाल दिया गया है, विधि रूप में हमारे देशों में क्रियाशील है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं मान लेता हूं कि मेरे लिये यह एक गहन विषय है । इस का उत्तर किसी वकील को देना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह प्रश्न विधेयक प्रारूप के सम्बन्ध में है और इसलिये यह विधि-विशेषज्ञों के लिये है । अतः इसका उत्तर गृहकार्य मंत्री पर छोड़ देना अधिक अच्छा होगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे बताया गया है कि हमारे संविधान के एक उपबन्ध के अनुसार, १९४७ के पूर्व के अर्थात् यहां

सरकार के बदलने के पूर्व ब्रिटिश अधिनियम लागू होते हैं । यही वास्तविक कारण है । १९४८ का अधिनियम इसलिये नहीं लागू होता कि उसके बाद यहां सरकार बदल गयी थी ।

श्री कामत: क्या मैं प्रधान मंत्री को स्मरण दिला सकता हूं कि प्रथम अनुसूची की सूची में एक ऐसे देश का नाम है जो राष्ट्रमंड़ल में नहीं है अर्थात् आयरलैंड का गणराज्य ? यदि ऐसा हो सकता है तो राष्ट्रमंड़ल के बाहर के अन्य देशों को सम्मिलित करने में क्या रुकावट है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह ठीक है कि आयरलैंड़ राष्ट्रमंडल के बाहर है किन्तु राष्ट्रमंड़ल उसे भिन्न प्रकार से समझता है । जहां तक हमारे सम्बन्ध है, हम सभी उस विशेष ढंग का स्वागत करते हैं । वे आर्थिक और अन्य सम्बन्ध हैं और हम केवल उनका स्वागत करते हैं ?

श्री गिडवानी (थाना) : मुझे केवल उस खंड़ का निर्देश करना है जिसमें पाकिस्तान से आये व्यक्तियों के बारे में विवेचन किया गया है । मैं पंजीकरण खंड़ के विरुद्ध हूं । कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आता है, अपने आप उद्भव द्वारा और न किसी पंजीयकरण द्वारा भारत का नागरिक समझा जाना चाहिये । पंजीकरण में काफी खर्च होता है । जैसा कि पंड़ित ठाकुर दास भार्गव ने एक दिन कहा था, उसका अर्थ यह होगा कि उन्हें बहुत अधिक धन खर्च करना होगा और बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी होगी । अत: पंजीकरण खंड उन पर लागू करने के लिये मैं कोई कारण नहीं देखता ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अत: मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री और माननीय उपमंत्री से, जो दूसरी हैसियत से विस्थापित व्यक्तियों की समस्या का विवेचन करते रहे हैं, अपील करूंगा कि वे इस प्रश्न पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें जैसा कि वे अन्य विषयों के बारे में करते आये हैं । वह एक बहुत विलंबकारी प्रक्रिया है और उससे लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी । १९४८ के बाद आने वाले व्यक्तियों को भी उस प्रक्रिया का पालन करना होता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बिलकुल गलत है कि वे यहां आने के बाद यह समझे कि वे भारत के नागरिक नहीं है और अपने को भारतीय कहलाने के पूर्व उन्हें एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा । वे विभाजन के पूर्व भारतीय थे और भारत आने पर भारतीय रहना चाहते हैं । उनकी राज्य भक्ति के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता । अत: मेरी अपील है कि पंजीकरण का खंड़ हटा दिया जाये और उन्हें उद्भव द्वारा भारतीय नागरिक समझा जाये ।

श्री गाडगील : खण्ड ११ में राष्ट्रमंडल की नागरिकता की ओर निर्देश होने के कारण यों ही बहुत बड़ा भ्रम पैदा हुआ है । वास्तव में राष्ट्रमंडल की नागरिकता का प्रादुर्भाव स्टेटयूट आफ बेस्ट मिनिस्टर के बाद हुआ विभिन्न अधिराज्य चाहते थे कि ब्रिटिश नागरिकता भी हो । सब से पहले कैनाडा, उसके बाद आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड़, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, श्री लंका तथा पाकिस्तान ने अपने अपने देशों में ऐसे नागरिकता अधिनियम बनाये जिनके अनुसार किसी अधिराज्य का नागरिक एक तो अपने देश का नागरिक होगा तथा इस के अतिरिक्त राष्ट्रमंडल का भी नागरिक होगा; चूंकि उसका देश राष्ट्रमण्ड़ल का सदस्य है । वास्तव में वही बात इस खण्ड़ ११ में भी है ।

राष्ट्रमंडल की नागरिकता का अर्थ केवल यह है कि एक अधिराज्य का नागरिक दूसरे देश में विदेशी नहीं समझा जायेगा । राष्ट्रमंड़ल के प्रत्येक देश न

[श्री गाडगिल]

"विदेशी" की परिभाषा में राष्ट्रमंड़ल वाले देशों के नागरिकों को सम्मिलित नहीं किया है । राष्ट्रमंडल वाले देशों में से किसी एक देश का नागरिक दूसरे देश में 'विदेशी' नहीं समझा जायेगा वरन् उससे कुछ कम समझा जायेगा । मुझे प्रसन्नता है कि प्रस्थापित संशोधन के फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने के सम्बन्ध में कुछ भी करने के लिये अधिसूचना जारी की जायेगी और वह अधिसूचना इस सभा के पटल पर रखी जायेगी । दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है उसको देखते हुए जब तक हम भी पारस्परिकता के सिद्धान्त का पालन नहीं करेंगें मैं समझता हूं कि तब तक इस देश के सम्मान और न्याय की मांग पूरी नहीं होगी । इसके लिये किसी संविहित उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है । स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर देना ही पर्याप्त होगा ।

यह कहना कि राष्ट्रमंड़ल की सदस्यता के फलस्वरूप हमारे सम्पूर्ण प्रभुत्व में कुछ अन्तर पड़ता है, केवल सैद्धान्तिक महत्व की बात है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि व्यवहार में विदेशी नीति तथा अन्तराष्ट्रीय मसलों में हमारे देश ने सदा ही स्वतंत्रता से काम लिया है । २६ जनवरी १९५० को इस देश की जनता ने जिस सम्पूर्ण प्रभुत्व की कल्पना की थी उस में जरा भी अन्तर नहीं पड़ा है ।

एक और प्रश्न यह है कि शपथ में निष्ठा किस के प्रति प्रकट की जाये : संविधान के प्रति या स्वयं गणतन्त्र के प्रति । सरकार का अस्तित्व तो इस सभा की इच्छा पर निर्भर है : जहां तक संविधान का सम्बन्ध है स्वयं संविधान के उपबन्धों के अनुसार उसमें परिवर्तन किये जा सकते हैं । एक पर्याप्त रूप से सुगठित नागरिकता विधि के बिना राष्ट्रीयता या प्रभुत्व सम्पन्न राज्य की कल्पना ही सम्पूर्ण है । और नागरिकता विधि उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उस म शपथ का यथोचित उपबन्ध न हो । इस लिये मेरा विचार है कि इसके स्थान पर "भारतीय गणतन्त्र" शब्द रखे जाये । संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं, परन्तु गणतन्त्र की कल्पना हमारे राज्य का आधार है । इसलिये इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । इस लिये शपथ भारतीय गणतन्त्र के प्रति होनी चाहिये ।

तीसरा प्रश्न यह है कि नागरिकता का प्रदान या वंचन कार्यपालिका का कार्य हो या न्यायिक प्रक्रिया का । केवल अमरीका एक अपवाद है, अन्थया सभी देशों मे यह कार्य कार्यपालिका को सौंपा गया है । राष्ट्रमंड़ल में केवल एक देश दक्षिणी रोडेशिया ऐसा है जिसमें इसे पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया बनाने का प्रयत्न किया था परन्तु बाद में उसने भी इसे कार्यपालिका का कार्य बना दिया है । इस अधिकार के दुरुपयोग किये जाने की संभावना है परन्तु चूंकि पुनरीक्षण का उपबन्ध बना दिया गया है और कोई ऐसा उपबन्ध भी है कि जो कुछ जांच समिति का मत होगा, सामान्यत उसी को सरकार स्वीकार कर लेगी : इस लिये मैं समझता हूं कि यह न्यायिक प्रक्रिया नहीं है ।

इस जांच समिति की कार्यवाही सार्वजनिक नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस में ऐसी बातें हो सकती हैं जिन का सम्बन्ध देश की सुरक्षा से हो सकता है ।

"व्यक्ति" की परिभाषा के सम्बन्ध में मैंने श्री नथवानी के विमति-टिप्पण को बहुत ध्यान से पढ़ा है । उनका सुझाव है कि यदि किसी निगम के ७८० प्रतिशत अंशधारी भारतीय हों तो उसे भारतीय समझा जायेगा । इस प्रकार तो नागरिकता

का स्वरूप अस्थिर रहेगा । हम चाहते हैं कि हमारे देश की नागरिकता का एक निश्चित स्वरूप हो । उन के सुझाव में यही एक कठिनाई है । श्री नथवानी ने जैसा बताया है, न्यायिक विनिश्चयों की प्रवृत्ति बहुत उदार है । मैं आशा करता हूं कि कोई ऐसा सूत्र खोजा जायेगा जिस से यह तो न हो कि नागरिकता प्रदान करनी पड़े परन्तु साथ ही साथ ऐसा भी न हो कि ऐसे व्यक्तियों का एक निकाय, जो सभी भारतीय हों, नागरिकता के अधिकार और प्रतिष्ठा से वंचित हो जाये । इस दृष्टि से, मैं समझता हूं कि मूल खंड ही अच्छा था क्यों कि उसके अन्तर्गत न्यायपालिका के पास उचित मामलों में अनुतोष प्रदान करने का स्वविवेक अधिकार रहने दिया गया था ।

श्री वी० जी० देशपांडे : अभी जो प्रधान मभी का भाषण हुआ है उसको मैं ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है । इसको सुनने के पश्चात् भी मेरा यह निश्चित मत है कि यह जो भारत की नागरिकत्व का विधान है जिसे कि हम आज बना रहे हैं और जिस के द्वारा हम कामनवैल्थ (राष्ट्रमंडल) नागरिकत्व को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें भारत के लिये एक गौण स्थान है जिसको कि कहा जाता है अग्रेजी में सबार्डीनेट पोजीशन (अधीनस्थ स्थिति) वह हिन्दुस्तान को दी जा रही है । इसके बारे में जो सदेह हमारे मन में थे वह संदेह आज भी समाप्त नहीं हुए हैं । जब उनको बतलाया गया कि इंगलैंड का १९४८ का जो नागरिकत्व विधान है उसको आप देखें कि उस में क्या लिखा है तब, उन्होंने कहा कि उसमें कुछ भी लिखा हो, उससे हमें कोई वास्ता नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि इंगलैंड के साथ हमारे जो परस्पर सम्बन्ध हैं, रेसिप्रोसिटी (पारस्परिकता) के आधार पर जो नागरिकत्व का आदान और प्रदान हो रहा है , तब इंगलैंड के विधान में क्या लिखा है, यह देखना बहुत ही आवश्यक है । यदि हम समझते हैं कि यह कामनवेल्थ सिटिजनशिप (राष्ट्रमंडल नागरिकता) है और इंगलैंड के कानून में यदि यह लिखा गया है कि यह जो नागरिक बनेंगे वह ब्रिटिश सबजेक्ट या दूसरे शब्दों में ब्रिटेन के प्रजाजन वह बनेंगे तो रेसिप्रोसिटी के आधार पर हमें भी वैसा ही करना चाहिये था । इतने पर भी आप कहते हैं कि कौन से ज्यादा अधिकार उनको मिले हैं । उनके विधान को पढ़ने के पश्चात् इस बात का भी पता चलता है कि जब किसी देश का नागरिकत्व विधान बना हो उसके पश्चात् उस देश के नागरिकों को एक दरख्वास्त भेजनी पड़ती है कि हमको ब्रिटिश सिटिजनशिप (नागरिकता) मिले और उसके पश्चात् एक नोटिफिकेशन (अधिसूचना) द्वारा इंगलैंड के सब्जेक्ट (प्रजाजन) की पदवी, इंगलैंड की गुलामी की पदवी हम को मिलने वाली है । इस पर भी यदि कहा जाये कि यह बराबरी के अधिकार हैं तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं होगा । मैंने बार बार पूछा परन्तु प्रधान मंत्री ने इस सवाल का जवाब देने से इन्कार कर दिया । आप पूछते हैं कि बताइये कि यू० के० को कोन-सा ज्यादा आधिकार है, उसको कौन सा बड़ा स्थान प्राप्त है । मैं बतलाना चाहता हूं कि जो इंगलैंड की मुखिया है, जो वहां की महारानी है, क्या वह कामवेल्थ की मुखिया नहीं है । इसके लिये उनके पास कोई भी जवाब नहीं था । मैं पूछना चाहता हूं .....

श्री कामत : जवाब था पर संतोषजनक जवाब नहीं था ।

श्री वी० जी० देशपांडे : संतोषजनक तो क्या, कोई जवाब ही नहीं था ।

आज हिन्दुस्तान के मुखिया हमारे राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद हैं । क्या कामनवेल्थ का हैड (राष्ट्रमंडल का प्रमुख) मैं पूछता हूं, हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं । यदि वह बन नहीं सकते तो हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों को बराबर का

[श्री वी० जी० देशपांडे]

स्थान प्राप्त है । पहले क्वीन (महारानी) आफ इंगलैंड को एम्प्रेस (सम्राज्ञी) कहा जाता था लेकिन अब यदि उनको हेंड आफ दी स्टेट (राज्य प्रभुख) कहा जाये तो ज्यादा अच्छा हो । आप तो कहते हैं कि वह सिम्बल है और उसको कोई अधिकार नहीं है । मैं समझता हूं कि हम लोग अब भी गुलाम हैं या नहीं यह कहिये कि ब्रिटिश साम्राज्य का हम एक हिस्सा हैं । हम ने अपने आपको रिपब्लिक (गण-राज्य) कहा तो इससे हमारे बराबरी के अधिकार हो गये हैं, यह मैं नहीं समझता हूं । हां यह हो सकता है कि हम डोमिनियन स्टेट्स (अधिराज्य) हैं । जब हम में और उन में कोई फर्क नहीं है तो मैं पूछता हूं कि हम ब्रिटिश साम्राज्य में क्यों हैं । आप कहते हैं कि हम, आजाद हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आया कि हम आजाद किस तरह से हैं ।

मैं एक बार लखनऊ में गया था और वहां पर एक नवाब की कहानी सुनी थी । वह जो लखनऊ के नवाब थे, एक स्त्री उनके साथ रहती थी । उस स्त्री से पूछा गया कि क्या तुम नवाब साहब की बेगम हो, उसने जवाब दिया कि मैं बेगम नहीं हूं । फिर उससे पूछा गया कि तुम्हारा उन पर अधिकार क्या है, तो वह कहने लगीं कि जैसे बेगमों का उन पर अधिकार है वैसा ही मेरा अधि-कार है । जो स्थान उनको प्राप्त है वहीं स्थान मुझे भी प्राप्त है लेकिन मैं बेगम नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र स्त्री हूं । इस पर उससे पूछा गया कि जब तुम स्वतंत्र हो तो तुम्हारा उनसे क्या सम्बन्ध है, तो वह कहने लगी कि हमारे जो परम्पर और स्वच्छन्द सम्बन्ध हैं वह उसके प्रतीक हैं ।

वे हमारे बीच स्वतन्त्र सम्बन्ध का प्रतीक है । यानी जैसे नवाब साहब के साथ जो, खुले सम्बन्ध थे वही ।

श्री कामत : हम तो अब दिल्ली में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : चाहे वे कितनी दक्षता से इसे प्रस्तुत करें यह उदारहण उपयुक्त नहीं है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : बात यह है कि आप कहते हैं कि भारत के अधिकार वही हैं जो के कामनवैल्थ कंटरीज (राष्ट्रमंडलीय देशों) के हैं, जैसे आस्ट्रेलिया के हैं या कनाडा के हैं । जब हम इंगलैंड के राजा के बारे में , वहां के किग के बारे में पूछते हैं तो आप कहते हैं कि यह हमारी फ्री एसोसियें-शन (स्वतन्त्र सम्बन्ध) है, वह तो केवल एक सिम्बल (प्रतीक) है । आपको गौण स्थान अवश्य प्राप्त हुआ है और इसी दृष्टि से यह जो कामनवैल्थ सिटिजनशिप की क्लाज आपने रखी है और उसको इस विधेयक में जगह दी है, यह मुझे स्वीकार्य नहीं है ।

फिर आगे चल कर रेसिप्रोसिटी के बारे में आपने केवल धारा १२ में जिक्र किया है और जो धारा ११ है उसमें कहा गया है :

> "जो कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची में विदित राष्ट्रमंडलीय देश का नागरिक हो उस नागरिकता के आधार पर भारत में उसे राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी । "

यानी रेसिप्रोसिटी का कहीं सवाल भी नहीं आता है । केवल साउथ (दक्षिण) अफ्रीका और आस्ट्रेलिया और फर्स्ट शेडयूल (प्रथम अनुसूची) में जो भी नागरिक आते हैं उन सब को इस विधेयक के पास होने के पश्चात् नागरिकत्व का अधिकार प्राप्त होगा । आगे चलकर राइटस आफ सिटिजनशिप (नागरिकता अधिकार) जो है, सिटिजनशिप का जो अधिकार ह उसके बारे में फर्क ह । परन्तु सिटिजनशिप का जो स्टेट्स है वह

हर एक कामनवेल्थ कंट्री के बारे में एक दूसरा ही है.....

श्री कामत : क्लाज खंड ५ देखिये और उसमें जो कमेटी ने कहा है वह देखिये ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मेरा आशय एक ही था कि कामनवेल्थ सिटिजनशिप के विषय में यह जो हमारा सिटिजनशिप का कानून यहां पर बन रहा है यह हमें इस तरह का इसलिये बनाना पड़ रहा है क्यों कि कामनवेल्थ का जो संघटन है उसमें भारत को एक गौण स्थान प्राप्त है । यदि ऐसी बात नहीं है तो इसकी एक ही कसौटी पर आपको परखा जा सकता है और वह यह कि आप इस शेड्यूल में एक आध दूसरा देश बाहर का इस में डालकर देखिये और यदि आप इस के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि आप पूरी तरह आजाद नहीं हैं । बात यह है कि नियंत्रण होता है, मैं उपमा नहीं देना चाहता हूं लेकिन आप किसी दूसरे देश को इसमें डाल सकते नहीं हैं । भारत बंधा हुआ है ब्रिटेन के साथ और इसको गौण स्थान प्राप्त है, ऐसा मेरा कहना है और जब आप यह कहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य है तो यह एक उपहासास्पद और मेरे विचार में गलत बात है । इस कारण यह कामनवेल्थ सिटिजनशिप की बात को निकाल डालना चाहिये । यह मैं मानता हूं कि बाहर हमारे करोड़ों लोग हैं और उन के हितों की रक्षा करना जरूरी है और सलिये इस में नेपाल ऐसे देशों को समावेष्टित करना चाहिये ।

इसके अलावा एक ही बात आप के सम्मुख रखना चाहता हूं । किसी भी व्यक्ति के नागरिकत्व को खत्म करने के बारे में आपने जो आप का पुराना कानून था उस में लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करता है तो उस की सिटिजनशिप खत्म कर दी जाये । मैं आप से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर कोई देशद्रोह करता है, गद्दारी करता है तो उसके नागरिकत्व को निकाल देना चाहिये, परन्तु जो इंडियन पेनल कोड (भारतीय दण्ड संहिता) है उस में धारा १२४ वैसी की वैसी कायम है । एक जगह, शायद पंजाब हाई कोर्ट में उस को विधान वाह्य घोषित किया गया था, उस के पश्चात् क्या हुआ मुझे पता नहीं । परन्तु परसों ही मध्य भारत में हमारे कार्यकर्ता को पोलिटिकल भाषण देने के सम्बन्ध यह कह कर वह असन्तोष का निर्माण करता है धारा १२४ के अनुसार सजा दे दी गई है । यह बात तो ठीक है कि यह नेचुरलाइज्ड सिटिजेन्स (देशीयकृत नागरिक) के बारे में है, लेकिन अगर इस कानून के बनने के बाद इस प्रकार से राजनैतिक कारणों से किसी पर अभियोग चलाया जाता है और अभियोग चलने के पश्चात् .....

श्री कामत : सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम-न्यायालय) में अपील की है या नहीं ?

श्री वी० जी० देशपांडे : अभी नहीं की है, अभी तो सजा हुई है । इस देश में धारा १२४ के अधीन किसी राजकीय प्रतिस्पर्धी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ताकि वह नागरिकत्व के अधिकार से वंचित हो जाये और एलेक्शन (निर्वाचन) में भी न खड़ा हो सके । इसलिये में प्रार्थना करूंगा कि इस धारा की तरफ गौर से ध्यान दिया जाये और विशेषतया जो कामनवेल्थ सिटिजनशिप की धारायें हैं उन में परिवर्तन किया जाये ।

श्री बंसीलाल (जबलपुर) : इस बिल के सम्बन्ध में मैं ज्वायेंट कमेटी (संयुक्त समिति) को मुबाकरबाद देता हूं कि उन्होंने यह बिल सदन के सामने इस रूप में रक्खा । जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है मैं सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि इस बिल को दो भागों में विभक्त किया जाये जिस से एक भाग का तो केवल इंडियन सिटिजनशिप (भारतीय नागरिकता) से सम्बन्ध हो और दूसरा बिल इस प्रकार का लाया जाये जिस में अगर हो सके तो दूसरी कामनवेल्थ कंट्रीज (राष्ट्रमंडलीय देशों) से मिल जुल कर

[श्री बंसीलाल]

और हमारे देश और उन की सलाह से कोई कामनवेल्थ सिटिजनशिप (राष्ट्रमंड़लीय नागरिकता) नाम का स्टेटस (स्थिति) बनाया जाये ।

जितने भाषण इस सदन में हुए हैं उन में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया है कि कामनवेल्थ नाम का शब्द इस बिल में क्यों आ गया और कुछ कामनवेल्थ कंट्रीज के नाम देश के फर्स्ट शेड्यूल (प्रथम अनुसूची) में, क्यों मेन्शन (उल्लिखित) कर दिये गये, और न केवल इस सदन में बल्कि सदन के बाहर भी देश के करोड़ों व्यक्तियों में यह चीज चर्चा का विषय बन रही है । आज जिस विदेश नीति पर हम चल रहे हैं, उसके अनुसार कुछ देशों की, जिन को हम कामनवेल्थ कंट्रीज़ के नाम से पुकारते हैं, हमारे कानूनों में चर्चा ही क्यों उठाई जाती है, उन को विशेषता क्यों दी जाती है ।

अभी माननीय प्रधान मंत्री जी को साउथ (दक्षिण) अफ्रीका के बारे में इस बिल में एक संशोधन करने के लिये कहना पड़ा । न केवल साउथ अफ्रीका का सवाल है बल्कि हमारे बाहर की और जितनी कामनवेल्थ कंट्रीज हैं उनका भी सवाल है । यद्यपि हम ने इस बिल में यह रक्खा है कि उन को हम सिटिजनशिप तभी देंगे जब वह हमारी कुछ शर्तों को मान लेंगी, फिर भी मेरा यह सुझाव है कि इस बिल में से, जब इस सदन में क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन (खण्डशः चर्चा) चले तो, हम क्यों न कामनवेल्थ कंट्रीज सम्बन्धी सारे क्लाजेज (खण्डों) को निकाल दें । मैं समझता हूं कि तभी हम इस कानून को इस देश के प्योर स्टर्लिंग बिल आफ सिटिजनशिप (नागरिकता के विशुद्ध स्टर्लिंग विधेयक) की तरह पर तैयार कर सकें । हम मौजूदा हालत में इस को प्योर मैटल (विशुद्ध धातु) बिल नहीं कह सकते, यह ऐलाय या मिश्रित बिल है । इस में कोई सन्देह नहीं है कि हम को सिटिजनशिप का बिल बनाने की आवश्यकता है, लेकिन यदि हम किसी प्रकार इस को पूर्ण स्वतंत्र और प्योर मैटल बिल बना सकें तो अच्छा है । जो ऐलाय बिल आ गया है अर्थात् जिस में कामनवेल्थ कंट्रीज का जिक्र है, उस बिल में से हम अगर कमनवेल्थ कंट्रीज को अलग कर दें तो अच्छा है । और यदि यह महसूस किया जाये कि कामनवेल्थ सिटिजनशिप के स्टटेस के बारे में हमारे देश में कोई कानून होना आवश्यक है तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम उस कानून को कामनवेल्थ कंट्रीज की सलाह से बनायें क्योंकि उस से हम को फायदा हो सकता है क्योंकि यह तो एक प्रकार की सिम्बालिक सिटिजनशिप (प्रतीकात्मक नागरिकता) हम दे रहे हैं । इस में कोई सन्देह नहीं है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा, कि कामनवेल्थ की वजह से ही साउथ अफ्रीका का जिक्र फर्स्ट शेड्यूल में आया है वरना मैं समझता हूं कि हमारे सिटिजनशिप के बिल में साथउ अफ्रीका का जिक्र आना भी हमारे लिये एक कलंक की बात है । हम इस बात को नहीं भूल सकते कि हमारे देशवासियों के साथ साउथ अफ्रीका में किस प्रकार का व्यवहार होता है, और शायद इसी कारण से माननीय प्रधान मंत्री जी को एक संशोधन का सुझाव देना पड़ा, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है । यदि साउथ अफ्रीका हम से रेसिप्रोक्कल सिटिजनशिप (नागरिकता का पारस्परिक आदान-प्रदान) चाहता है, यदि साउथ अफ्रीका हमारे देश में सिटिजनशिप के स्टेटस का व्यवहार चाहता है तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन वह सब के मिलजुल कर करने की बात है । किन्तु मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि हम दूसरे देशों के साथ जितने हमारे कामनवेल्थ कंट्रीज के देश हैं उन को आसानी से रख सकते हैं क्योंकि हमारे लाखों देशवासी उन कामनवेल्थ कंट्रीज में रहते हैं । और जो हमारे विरोधी दल के मित्र हैं उनको यह नहीं भूल जाना चाहिए

कि अगर हम इस प्रकार का व्यवहार बाहर के कामनवेल्थ वालों से नहीं करेंगे तो हमारे देशवासी जो लाखों की तादाद में बाहर रहते हैं उनका क्या हाल होगा। मैं समझता हूं कि इस बिल में क्वेश्चन आफ गिव एंडटेक (आदान प्रदान का प्रश्न) है। इस बिल में यह प्रावीजन किया गया है कि हम बाहर वालों की नागरिकता का अधिकार अपने यहां उसी हाबत में देंगे जब कि हमारे देश वासियों को भी उन देशों में इसी प्रकार का अधिकार दिया जाय।

श्री कामत: अधिक गिव (प्रदान) है कम टेक (आदान) है।

श्री बंसीलाल : तो इसमें जो यह बात रखी गयी है कि हम गेनर (लाभ में) होंगे, हमारे देश के लोगों को फायदा होगा इसमें कोई शक नहीं है। हम एक कलम से सारे कामनवेल्थ के देशों को तो नागरिकता का अधिकार नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि सेक्शन ११ में यह दिया गया है :

> "प्रत्येक वह व्यक्ति जो प्रथम अनुसूची में विहित एक राष्ट्रमंडलीय देश का नागरिक होगा, उस नागरिकता के आधार पर भारत में राष्ट्रमंडलीय नागरिक होगा"।

यह तो अनक्वालीफाइड (अनर्हत) है। इसका अर्थ होता है कि कामनवेल्थ के किसी भी देश के नागरिक को हमारे देश में कामनवैल्थ सिटीज़न का स्टेटस मिल जायेगा। लकिन जो कामनवैल्थ देश हैं उनमें कोई इस प्रकार की सिटीज़नशिप है नहीं। बाकी दूसरी धाराओं से प्रकट होता है कि यह केवल सिम्बालिक स्टेटस (प्रतीकात्मक स्थिति) है। इसके कोई मानी नहीं हैं जब तक कि आगे दी हुई धाराओं के अनुसार हमारा देश उनकी नागरिकता को स्वीकार नहीं करता, और ऐसा करने में काफी बन्दिशें हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात को दुहराऊंगा, और शायद सदन इस बात को पसन्द करे, कि इन दो चीजों को क्यों मिलाया जाये जब कि एक के बारे में विरोध है और दूसरी के बारे में विरोध नहीं है। हमारे देश के लिये यह खुशी की बात होगी अगर हम कामनवेल्थ सिटिजनशिप के लिये भी कोई बिल बनावें। यह जो बिल हमारे सामने आया है यह बहुत मेहनत से बनाया गया है लेकिन इसमें से कुछ क्लाजेज को निकाल दिया जाना चाहिये। और कामनवेल्थ सिटीजनशिप के स्टेटस के बारे में दूसरे कामनवेल्थ देशों से बातचीत करके दूसरा बिल हमारे सामने लाया जाये। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र श्री नथवानी जी ने एक सुझाव दिया था पर मेरा ऐसा ख्याल है कि उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में वह सुझाव मानने लायक है। उनका कहना यह है कि जहां इस बिल में "परसन" (व्यक्ति) की परिभाषा दी गयी है वहां उसमें से "एसोसियेशन" (संस्था) को निकाल दिया गया है। यह उचित नहीं है। इस बारे में बम्बई हाईकोर्ट ने बम्बई स्टेट बनाम चमार बागवाला केस में प्रकाश डाला है कि पार्टनरशिप फर्म को सिटीजनशिप का राइट (अधिकार) मिल सकता है या नहीं। मैं समझता हूं कि हम में से वे लोग जो कि कानून को ज्यादा नहीं समझते उनको इस परिभाषा की अहमियत नहीं मालूम हुई होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हमने "परसन" (व्यक्ति) की परिभाषा में पार्टनरशिप फर्म (साझेदारी का सार्थ) को इनक्ल्यूड (सम्मिलित) नहीं किया तो हमारे साम बहुत सी कठिनाइयां उपस्थित होंगी और शीघ्र ही हमको उसके लिये संशोधन बिल लाना पड़ेगा। इसलिये चाहे "कम्पनी" (समवाय) को हम "परसन" की परिभाषा में न शामिल करें मगर फर्म को रखने में तो कोई हानि नहीं हो सकती। अभी हमारे एक मित्र ने कहा था कि अगर हम ऐसा रखेंगे तो वह

[श्री बंसीलाल]

फलक्चुएटिंग बाडी (अस्थिर निकाय) हो जायेगा । मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है । अगर इस फर्म का एक भी मेम्बर ऐसा होगा जो कि इंडियन नेशनल (भारतीय राष्ट्रजन) नहीं होगा तो उस फर्म को सिटीजनशिप का अधिकार नहीं मिल सकेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन मंजूर कर लिया जाना चाहिये और "परसन" की परिभाषा में फर्म को अवश्य शामिल कर लिया जाना चाहिये । यह सिटीजनशिप बिल तो अभी हमारे सामने आया है । इसके अलावा भी हमारे देश में ऐसे कानून हैं, संविधान है, जिनके अन्तर्गत रोजमर्रा सिटीजनशिप का प्रश्न अदालतों में आता रहता है । अगर हम इसमें से फर्म को निकाल देंगे तो हमारे देशवासियों के सामने बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं । हम अपने देश के हर व्यक्ति को तो नागरिकता का अधिकार देते हैं लेकिन अगर ऐसे दस व्यक्ति जिनको नागरिकता का अधिकार प्राप्त है एक एसोसियेशन (संस्था) बनाते हैं तो उनको यह अधिकार नहीं रहता । मैं समझता हूं कि यह एक विरोधाभास होगा और हमको इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

श्री वी० एस० मूर्ति (एलूरु) : संयुक्त समिति के विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक में सुधार बहुत हुआ है परन्तु एक दो बातें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में मैं संयुक्त समिति से सहमत नहीं हूं । प्रधान मंत्री के भाषण को सुनने के बाद भी मुझे सन्तोष नहीं हुआ है और अभी भी उन बातों के सम्बन्ध में मुझे सन्देह है । राष्ट्रमंडल एक प्रकार का चूं चूं का मुरब्बा है क्योंकि जितने देश हैं उतनी ही विचार धारायें हैं, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में से किसी एक पर भी सब एकमत नहीं हैं, पाकिस्तान की एक राह है और दक्षिण अफ्रीका संघ की दूसरी ।

हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि आज भारत और अफ्रीका के बीच शत्रता है । तब क्यों हम राष्ट्रमंडल के सब देशों को एक साथ ही सम्मिलित कर रहे हैं । क्या हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं कि हम इन में से कुछ को सम्मिलित करें और कुछ को ने करें । दक्षिण अफ्रीका ने स्वयं ही तथाकथित राष्ट्रमंडल का गढ़ तोड़ा है । आज वह न केवल भारत के जैसे शान्तिप्रिय पड़ोसी देशों से लड़ रहा है, वरन् संयुक्त राष्ट्र की भी अवहेलना कर रहा है । इसलिये हम एक ओर दक्षिण अफ्रीका और दूसरी ओर कैनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं । हम को इस विधेयक की सूची में से दक्षिण अफ्रीका का नाम निकाल देना चाहिये ।

हमारे प्रधान मंत्री 'पंचशील की चर्चा किया करते हैं । बर्मा हमारा पड़ौसी देश है और उसने पंचशील को भी स्वीकार कर लिया है । पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल और इसी प्रकार के कितने ही देश हैं जिन के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं और जो साथ ही साथ पंचशील का प्रचार करने और अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी को कम करने में हमारी सहायता करने को तैयार हैं । तब क्यों न हम पंचशील के आधार पर एक नई नागरिकता को जन्म दें ।

अन्त में मेरा सुझाव है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया हो तो उसे उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार देने के लिये खण्ड १० में एक उपखंड़ बढ़ा दिया जाना चाहिये । सम्पूर्ण शक्ति कार्यपालिका को सौंप देना उचित नहीं ; इसलिये न्यायपालिका को यह अधिकार अवश्य देना चाहिये ।

श्री दातार : नागरिकता विधेयक का सामान्यरूप से समर्थन करने के लिये मैं सभा का आभारी हूं । जो आपत्तियां उठाई गई हैं उनका मैं उत्तर दे रहा हूं ।

पहली आपत्ति यह उठाई गई है कि १९१४ से १९४३ तक के ब्रिटिश नैशनलिटी और स्टेट्स आफ एलियंस एक्ट का तो निरसन किया गया है परन्तु ब्रिटिश नैशनैलिटी ऐक्ट, १९४८ का उल्लेख नहीं किया गया है । १९४७ में इंगलैंड की पार्लियामेंट ने जब स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था तो धारा ६ की उपधारा (४) में यह कहा गया था कि एक निश्चित तिथि के बाद पारित होने वाला इंगलैंड की पार्लियामेंट का कोई भी अधिनियम दोनों अधिराज्यों में से एक पर भी उस समय तक लागू नहीं होगा जब तक कि उस अधिराज्य के विधान मण्डल की कोई विधि उसे लागू न करे । इसलिये स्वतंत्रता अधिनियम के लागू होने के बाद इंग्लैंड का कोई भी अधिनियम आप-ही-आप किसी अधिराज्य पर लागू नहीं हो सकता है जब तक कि उस की विधान-सभा उसे स्वीकार न करे । इसका परिणाम यह हुआ कि १९१४ से १९४३ तक के बीच के अधिनियम भारत पर लागू हो सकते थे । परन्तु १९४८ का अधिनियम भारत पर तभी लागू हो सकता है जब भारत की संसद् उसे स्वीकार करे । इसलिये १९१४ से १९४३ तक के अधिनियमों का निरसन किया गया है और इसीलिये १९४८ अधिनियम के उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं । यह ठीक है कि १९४८ के अधिनियम द्वारा, १९१४ से १९४३ तक के अधिनियमों का इंगलैंड में निरसन कर दिया गया था परन्तु हमें औपचारिक रूप से उन का निरसन करना था क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार जब तक हम उनका निरसन न करें तब तक वे हमारे ऊपर लागू रहेंगे ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में हमने विनिश्चय किया है कि यदि उन की प्रार्थना पर खण्ड २ के अन्तर्गत उन के नैशनैलिटी ऐक्ट (राष्ट्रीयता अधिनियम) को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता समझी गई तो यह मामला संसद् के सामने प्रस्तुत किया जायेगा । इसके साथ जो संशोधन हम रख रहे हैं वह इस प्रकार हैं :

"परन्तु यह कि संसद् की दोनों सभाओं के पूर्व प्राप्त अनुमोदन के बिना, दक्षिण अफ्रीका संघ के सम्बन्ध में ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी ।" इसलिये उसका नाम निकाल देने के स्थान पर हमने किया यह है कि यदि हम ने समझा कि पारस्परिकता के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को मान्यता देनी चाहिये तो हम संसद् के सामने उपस्थित होंगे । इस प्रकार दो परित्राण हैं : एक यह कि जब तक दक्षिण अफ्रीका अपनी नीति को बदले नहीं, वह हम से अपनी विधियों को मान्यता देने की बात कह नहीं सकता ; दूसरे यह कि हम सारे मामले की जांच करेंगे और जब तक हमें संतोष नहीं हो जायेगा । कि दक्षिण अफ्रीका ने अपना सुझाव बदल दिया है, हम इस मामले को ले कर संसद् के सामने आयेंगे ही नहीं । फिर भी अन्त में ऐसी अधिसूचना को जारी करना या न करना आपके ही हाथ में रहेगा । इसलिये आप देखेंगे कि इस संशोधन द्वारा हम ने इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों की उचित इच्छाओं को काफी हद तक पूरा किया है ।

श्री कामत : उस संशोधन की प्रतियां हमें मिलेंगी ?

श्री दातार : मैं अभी आप को दे देता हूं ।

अब मैं दूसरी बातों का उल्लेख करूंगा । जहां तक विभिन्न राष्ट्र मंडलीय राष्ट्रीयता अधिनियमों का सम्बन्ध है, कल यह प्रश्न पूछा गया था कि ये देश हमें विदेशी समझते हैं या अपने ही लोगों में समझते हैं । जैसा कि राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है, यह सच है कि हम राष्ट्रमंडल के देशों के नागरिकों को विदेशी नहीं मानते—इस अर्थ में कि विदेशी अधिनियम जो इस समय लागू है, उन पर लागू नहीं होता । उन्हें कुछ रियायतें दी जाती हैं जैसे कि उन्होंने भारतीय नागरिकों

[श्री दातार]

को कुछ रियायतें दे रखी हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत या राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के नागरिक विदेशी नहीं हैं। तो, आप देखेंगे कि इन सभी देशो में एक सांझी बात है। जहां तक नागरिकता के अधिकारों का सम्बन्ध है, हमारी वही स्थिति है जो कि ब्रिटिश विधि के अन्तर्गत है जहां पंजीयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया गया। मेरे मित्र श्री साधन गुप्त ने कहा है कि जो लोग पंजीयन द्वारा नागरिक बनते हैं, हम उन्हें घटिया किस्म के नागरिकता अधिकार देते हैं। पंजीयन के प्रश्न को ठीक तरह से समझने की जरूरत है। इस के अतिरिक्त मैं अपने माननीय मित्रों से यह कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति पंजीयन या देशीयकरण द्वारा नागरिक बन जाता है तो उसे सभी अधिकार मिल जाते हैं। उस पर केवल यह प्रतिबन्ध रह जाता है कि उस पर नागरिकता छीनने सम्बन्धी खण्ड लागू होता है और उसे शपथ लेनी पड़ती है। बहुत से लोग पंजीयन द्वारा नागरिक बनेंगे। इसलिये इस स्थिति में यही उचित है कि हम शपथ लिय जाने की व्यवस्था करें। और यह शपथ संविधान के प्रतिनिष्ठा का होगा। कुछ माननीय मित्रों न जिन में श्री कामत भी थे, यह कहा है कि शपथ गणराज्य के प्रति लिया जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के राष्ट्रीयता अधिनियम में भी, पाकिस्तान का संविधान बनने से पहले, यह उपबन्ध रखा गया था कि यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति वितोष या अनिष्ठा रखेगा तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जायेगा।

श्री कामत : पाकिस्तान हमारे लिये आदर्श नहीं ; उस का तो अभी तक संविधान ही नहीं बना।

श्री दातार : पाकिस्तान का संविधान अब भी है —भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के रूप में, जिस में पाकिस्तान संशोधन कर दिया है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस के अनुसार जब हम ने राष्ट्रमण्डल के देशों के नागरिकों को पारस्परिकता के आधार पर नागरिकता के अधिकार दिये हैं तो साथ ही कुछ प्रतिबन्ध भी लगाये हैं। उदाहरण के लिये खण्ड ५ में कहा गया है :

> "इस धारा के उपबन्धों और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जोकि विहित की जायें . . . ."

आप ब्रिटेन या अन्य देशों के राष्ट्रीयता अधिनियमों को देखिये तो मालूम होगा कि उन पर ऐसे प्रतिबन्धों या पारस्परिकता का कोई उल्लेख नहीं। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, पाकिस्तान सरकार ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं। पाकिस्तान के अधिनियम में कहा गया है कि उचित दशाओं में सरकार किसी ऐसे नागरिक से नागरिकता के अधिकार छीन सकती है। जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है उन्होंने एक विशेष व्यवस्था कर रखी है। यहां एक बात का ध्यान रखना चाहिये। ब्रिटेन के नागरिकता अधिकार के प्रश्न पर हमारे रवैये और दूसरे देशों के रवैये में बड़ा भारी अन्तर है। आस्ट्रेलिया या कैनेडा का उदाहरण लीजिये। आस्ट्रेलिया मे यह उपबन्ध है कि आस्ट्रेलिया का नागरिक ब्रिटेन का नागरिक है। दूसरे शब्दों में वे यह कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आस्ट्रेलिया का नागरिक होने के साथ-साथ राष्ट्र मंड़ल के देशों या ब्रिटेन का भी नागरिक है। केनडा में भी ऐसा ही उपबन्ध है। परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारा रवैया यह नहीं है। सभा को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि हम ने यह नहीं कहा है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वह साथ ही ब्रिटेन का नागरिक भी होगा जैसा कि कई देशों के अधिनियमों में कहा गया है। इसलियें हमने भाईचारे के कुछ सिद्धान्तों के आधार पर सोचसमझ कर

यह रुख अपनाया है । इस के अतिरिक्त हम ने कुछ नहीं किया है ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर-दक्षिण) : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहती हूं । जो भारतीय स्त्रियां विदेशियों से विवाह करें उन के बच्चे इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय नागरिक नहीं बन सकते ।

श्री दातार : हम ने, इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया है । इस में दो बातें हैं। एक तो यह कि बहुत कम भारतीय स्त्रियां विदेशियों से विवाह करती हैं, इसलिये ऐसी स्त्रियों की संख्या बहुत कम होगी; दूसरी, और इस से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा हो जाये तो न केवल दोहरी बल्कि कुछ दशाओं में नौगुनी राष्ट्रीयता प्रारम्भ हो जायेगी । हम ने अनुमान लगाया है और यह देखा है कि इस से नौ गुनी राष्ट्रीयता प्रारम्भ हो जायेगी और यह बढ़ती ही जायेगी । इसलिये हम ने सोचा कि इस विशेष दशा में राष्ट्रीयता पिता की मार्फत मिले न कि मां के कारण । स्त्री या पुरुष होने के नाते विभेद करने का और कोई कारण नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: नौगुनी राष्ट्रीयता कैसे हो जायेगी ?

श्री दातार : उदाहरण के लिये पिता किसी देश का राष्ट्रजन है और माता किसी अन्य देश की नागरिक है । बच्चा दोनों देशों का राष्ट्र-जन होगा और फिर जहां वह पैदा हुआ है वहां का भी राष्ट्रजन माना जायगा । बाद में जब उस का विवाह होगा और उसके अपने बच्चे होंगे तो अन्य देशों की राष्ट्रीयता भी मिलती जायेगी ।

जहां तक अनिष्ठा या वितोष सम्बन्धी खण्ड का सम्बन्ध है, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं । कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि संविधान परिवर्तनशील है और जो परिवर्तनशील हो उसके प्रति शपथ नहीं लिया जा सकता । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, हम सभी—इस सभा के सारे सदस्यों—ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है । यह शपथ लेकर ही हम इस सभा के विधिवत् सदस्य बने हैं । परिवर्तनशीलता का कोई प्रभाव नहीं है । दूसरी बात यह है कि संविधान की आलोचना, या इस से भी अधिक, संविधान के कुछ उपबन्धों के प्रति वितोष का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसके प्रति वितोष या अनिष्ठा उत्पन्न हो गयी है । वितोष या अनिष्ठा सकारात्मक कार्य हैं, जहां तक वितोष का सम्बन्ध है, इस में अमित्रता या शत्रुता का भाव होना चाहिये । यह नितान्त आवश्यक है, वितोष मात्र का मतलब यह नहीं है कि अमि-त्रता का रवैया है । यदि मैं अपने बेटे से असन्तुष्ट हूं तो उस का यह मतलब नहीं है कि उसे मुझ से या मुझे उससे शत्रुता है । इस से अधिक अमित्रता या शतवृा की भावना आवश्यक है ।

श्री कामत : जो व्यक्ति संविधान को जला डाले उस की क्या सजा होगी ?

श्री दातार : मैं इस प्रश्न की व्याख्या कर रहा हूं । जहां तक अनिष्ठा का सम्बन्ध है, सभा को यह मालूम होना चाहिये कि निष्ठा का न होना मात्र अनिष्ठा नहीं । मेरे माननीय मित्र पण्डित ठाकुर दास भार्गव और श्री चटर्जी को मालूम है कि कुछ वर्ष पहले निष्ठा का न होना अनिष्ठा माना जाता था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : तिलक केस में जस्टिस स्ट्रेची ने वितोष की परिभाषा की थी—तोष का अभाव ।

श्री दातार : अब यह राय ठीक नहीं मानी जाती । जहां तक अनिष्ठा का सम्बन्ध है उस में गैर-वफादारी और विश्वासघात का भाव होना चाहिये । जब तक अमित्रता, शत्रुता, गैर-वफादारी या विश्वासघात — इन में से कोई बात न हो, तब तक किसी व्यक्ति को संविधान के प्रति अनिष्ठा या वितोष का दोषी नहीं गिना जा सकता । मेरा निवेदन

[श्री दातार]

यह है कि हम ने संविधान शब्द को ले लिया है। हम संविधान के सामान्य उपबन्धों के प्रति शपथ लेते हैं, इस बात के अधीन रहते हुए कि हमें कुछ बातों में संविधान में संशोधन कराने का अधिकार है।

मेरे माननीय मित्र ने संविधान के जलाये जाने के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था।

श्री कामत : डा० अम्बेडकर ने दूसरी (राज्य) सभा में यह बात कही थी।

श्री दातार : यह बड़े दुःख की बात है। वहां मैंने कहा था कि यह बड़े दुःख की बात है कि संविधान के प्रणेता उस काम से मुकर रहे हैं जो उन्होंने स्वयं और इतनी अच्छी तरह किया है।

श्री कामत : मैं मानता हूं कि यह दुःख की बात है परन्तु उन का क्या होगा ? क्या यह बात वितोष मानी जायगी ?

श्री दातार : जहां तक डा० अम्बेडकर का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि यह उपबन्ध उन पर लागू नहीं होता।

अगला प्रश्न यह है कि यह जानने के लिये कि किसी व्यक्ति के नागरिकता अधिकार छीनलेने चाहियें या नहीं, न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिये न कि प्रशासनीय व्यवस्था। कई माननीय सदस्यों जैसे श्री गाडगिल और पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने इस प्रश्न की चर्चा की है और इस का ठीक ठीक उत्तर दिया है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि केवल कार्यपालिका ही इस प्रश्न का फैसला कर सकती है और इस का निर्णय न्यायपालिका द्वारा कराने की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। परन्तु हम ने ब्रिटेन के नैशनैलिटी ऐक्ट (राष्ट्रीयता अधिनियम) की तरह इस विधेयक में भी परिभाग के रूप में यह उपबन्ध रखा है कि जो जांच समिति बनाई जायगी उस का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसे न्याय पालन का १० वर्ष का अनुभव हो। इतना अनुभव काफी है। आजकल भी ऐसे प्रश्न ऐसी ही समितियों को सौंप जा रहे हैं। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः या स्पष्टतः इस प्रश्न का निर्णय न्यायपालिका को करना चाहिये परन्तु वास्तव में संविधान और नियमों के अन्तर्गत, जैसा कि अमरीका—जिसके बारे में मैंने कुछ पहलू बताये हैं—को छोड़ सभी देशों में होता है, अच्छा यही है कि यह शक्ति कार्यपालिका के हाथ में रहे। कार्यपालिका पर कई प्रतिबन्ध रहते हैं। यह कहा गया है कि जांच समिति की रिपोर्ट साधारणतया स्वीकार कर ही ली जायेगी। दूसरी बात यह है कि साथ ही यह भी जोड़ दिया गया है कि किसी व्यक्ति का अधिकार तब तक नहीं छीना जायेगा जब तक कि ऐसा करना लोक हित के लिये आवश्यक न हो। इसलिये, प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति का आचरण देश के लिये हानिकर या उस के प्रति विश्वास-घात का है या नहीं। यदि नहीं है तो कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। मेरे विचार में जो विभिन्न परित्राण और प्रतिबन्ध रखे गये हैं वे काफी से अधिक हैं। श्री एस० एस० मोरे ने यह जो आशंका की है कि इन शक्तियों का प्रयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, बिल्कुल निराधार है। सभा के दोनों और के सदस्यों को इस बात का विश्वास रखना चाहिये कि ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।

अब मैं पंजीयन के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। कई मित्रों ने कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से शरणार्थियों के आने की सम्भावना है और यदि उन सभी को पंजीयन, शपथ पत्र, टिकट लगे प्रार्थनापत्र आदि की सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़े तो यह उन के लिये कठिनाई बन जायेगी और बहुत से लोग नहीं आयेंगे। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम पंजीयन के इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। साथ ही म यह भी कह दूं कि प्रक्रिया यथासंभव सीधी-सादी होगी। यदि सभा

पंजीयन की बात स्वीकार कर ले तो हम कोर्ट फीस (न्यायालय शुल्क) आदि के दिये जाने के प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करेंगे कि ऐसे लोगों को यथासम्भव अनुतोष दिया जाये और उन के मामलों पर, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए, अधिक-से-अधिक सहानुभूति से विचार किया जाये ।

मेरे माननीय मित्र श्री एन० पी० नथवानी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । उन्होंने कहा है कि हम ने 'व्यक्ति' शब्द की परिभाषा इतनी कड़ी कर दी है कि निगम इस के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इस प्रश्न पर हम ने विधि मंत्रालय की राय मांगी थी । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से लोगों का विचार था कि फर्मों जैसे निगमित निकायों को इस से कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, हम ने महान्यायवादी से कहा और उन्होंने स्वयं इस प्रश्न की जांच की । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि वे इस बात से सहमत हैं कि 'व्यक्ति' शब्द स्वाभाविक रूप से व्यक्ति होने वालों पर ही लागू होता है । उस में बनावटी व्यक्ति नहीं आते । आप की अनुमति से मैं विधि मंत्रालय की राय पढ़ कर सुनाऊंगा जिस से कि सारी स्थिति स्पष्ट हो जाये ।

> 'व्यक्ति' शब्द की परिभाषा नागरिकता विधेयक के प्रयोजनों के लिये ही की गयी है । यह विधेयक नागरिकता की प्राप्ति, उस की समाप्ति और कुछ अनुपूरक मामलों के लिये है । नागरिकता जन्म, उद्भव, पंजीयन या देशीयकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है । कोई कम्पनी या निगम जन्म या उद्भव या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता । ऐसा निकाय वे शर्तें भी पूरी नहीं कर सकता जो कि पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं। इसी प्रकार, नागरिकता की समाप्ति सम्बन्धी उपबन्ध किसी निकाय पर लागू नहीं हो सकते । किसी बनावटी (नकली) व्यक्ति या झूठे निगम को इस विधेयक के प्रयोजनों के लिये व्यक्ति नहीं समझा जा सकता ।"

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । हम नागरिकों के अधिकारों अथवा दायित्वों के विषय में विचार नहीं कर रहे हैं । हमारा विषय तो नागरिकता के अर्जन और उसकी समाप्ति तक ही सीमित है । जहां तक अर्जन और समाप्ति का सम्बन्ध है, ये बातें स्वभावतः कृत्रिम निकायों पर लागू नहीं हो सकती हैं । विधि मंत्रालय ने इसी बात को आगे कहा है :

"यह विधेयक नागरिकों के अधिकारों के बारे में नहीं है । उनकी चर्चा संविधान तथा अन्य विधियों के अन्तर्गत की गई है । संविधान अथवा अन्य विधियों के अन्तर्गत नागरिकों को जो अधिकार दिये गये हैं, वे सिद्धान्ततः केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो सकते हैं । श्री नथवानी ने अपने विमति-टिप्पण में इसको भी स्वीकार किया है । यह स्पष्ट है कि पद ग्रहण करने अथवा निर्वाचन में मत देने का जो अधिकार नागरिकों को दिया गया है, वह केवल प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा ही उपयोग में लाया जा सकता है । संविधान के अनुच्छेद १९ के सम्बन्ध में ही केवल एक कठिनाई प्रतीत होती है । अनुच्छेद १९ में सात अधिकारों की प्रत्याभूति दी गई है, जो खण्ड (क) से (घ) में गिनाये गये हैं । खण्ड (क), (ख), (घ) और (ङ) में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वे निगम निकायों को उपलब्ध नहीं हो सकते । खण्ड (ग), (च) और (छ) में जिन अधिकारों का उल्लेख है, वे कुछ परिस्थितियों में निगम निकायों को भी उपलब्ध हो सकते हैं ।

[श्री दातार]

क्या निगम निकायों को ये अधिकार मिलने चाहियें और यदि मिलने भी चाहियें तो विदेशी समवायों अथवा निगम-निकायों को ये अधिकार किस सीमा तक मिलने चाहिय, इन मामलों पर अन्य विधियों के अन्तर्गत अथवा संविधान में एक उपयुक्त संशोधन करके अच्छी तरह विचार किया जा सकता है ।"

अन्ततः, मैं एक बात और बताता हूं । मेरे माननीय मित्र ने दो विनिर्णयों का उल्लेख किया । ए० आई० आर० १९५१ उच्चतम न्यायालय ४१ में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय नहीं किया कि एक निगम-निकाय को नागरिकता मिल सकती है । उसने केवल यह निर्णय किया कि निगम-निकाय का अपना एक स्पष्ट वैधानिक व्यक्तित्व है और ऐसी अवस्था में संविधान ने जिन मूल अधिकारों की प्रत्याभूति दी है, वे केवल व्यक्तियों की नहीं, अपितु निगम-निकायों को भी उपलब्ध हो सकते हैं । न्यायालय ने यह भी निर्णय किया कि एक निगम-निकाय संविधान के अनुच्छेद १३२ के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है । न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया कि क्या निगम-निकाय को नागरिकता मिल सकती है ।

इसके अतिरिक्त, ए० आई० आर० १९५५ के पृष्ठ ५९५ पर इलाहबाद के उच्च न्यायालय द्वारा अभी हाल ही में दिया एक विनिर्णय हमको और मिलता है । इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि संविधान का अनुच्छेद ५, जो कि नागरिकता के अर्जन पर मिलने वाले अधिकारों से संबंधित है, केवल व्यक्तियों पर ही लागू होता है, निगमों पर नही । उन्होंने आगे कहा है कि अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत निगम को व्यक्ति के रूप में नहीं लिया जा सकता । अतः विधि की गूढ़ताओं में न जाकर हमें कवल इस छोटे से प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या एक निगम नागरिकता अर्जित कर सकता है अथवा क्या निगम का नागरिकता का अधिकार समाप्त हो सकता है । जहां तक नागरिकता के अर्जन और उसकी समाप्ति का प्रश्न है, मेरा यह निवदन है कि ये बातें केवल प्राकृतिक व्यक्तियों पर ही लागू हो सकती है , कृत्रिम व्यक्तियों पर नहीं । और क्यों कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमारे पास सबसे बड़ा वैधानिक प्रमाण है, मैं यह निवेदन करता हूं कि संयुक्त समिति ने जो परिभाषा दी है, वह उचित है, किन्तु मैं अपने माननीय मित्र को तथा उन सबको , जिनका यही दृष्टिकोण है, आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी करेंगे, उससे उनके अधिकारों पर कोई ठेस नहीं पहुँचेगी, क्योंकि, हमारा एक सीमित उद्देश्य है और यदि वस्तु कोई कठिनाई पैदा होती है, तो सरकार, जहां तक संविधान अथवा अन्य प्रासंगिक विधियों का सम्बन्ध है, उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या किसी अन्य उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कोई विनिर्णय दिया है ?

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) : बम्बई, कलक्त्ता और मद्रास के उच्चन्यायालयों ने ये निर्णय दिये हैं कि निगम एक व्यक्ति है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति, श्री मुकर्जी ने स्पष्ट रूप में यह कहा है कि संविधान द्वारा दिये गये मूल अधिकार केवल व्यक्तियों को ही नहीं, अपितु निगम-निकायों को भी उपलब्ध हो सकते है, जब तक उपलब्ध की भाषा ऐसी न हो, जिससे वे अधिकार केवल प्राकृतिक व्यक्तियों पर ही लागू होते हों ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को अपना उत्तर देने दीजिए, और यदि अग्रेतर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, तो वैसा कर दिया जायेगा ।

श्री दातार : मैं यह कह रहा था कि संयुक्त समिति ने 'व्यक्ति' शब्द की जो परिभाषा दी है, वह पूणत : अपवादरहित है और स्वाभाविक भी है, और इस लिये 'व्यक्ति' शब्द प्राकृतिक व्यक्तियों तक ही सीमित रखा गया है और उसमें कृत्रिम (नकली) व्यक्ति सम्मिलित नहीं किये जा सकते ।

मैं शपथ के रूप का पुन: उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि जैसा कि कुछ राष्ट्रमंडलीय देशों में है किसी राजा अथवा नाम मात्र के अध्यक्ष के न होने पर संविधान के प्रति निष्ठावान होना होता है । इंग्लैंड की साम्राज्ञी न तो भारत की साम्राज्ञी हैं और न भारत की रानी । इंग्लैंड की साम्राज्ञी राष्ट्रमंडल की प्रतीक अध्यक्ष है । इसके अलावा इस बात का कोई भी विशिष्ट औपचारिक महत्व नहीं है । राजा के स्थान पर संविधान के प्रति शपथ ग्रहण करनी चाहिये, क्योंकि हमने संविधान के प्रति ही शपथ ली है, और इसी प्रकार से इन सारे मामलों में जब कभी ऐसे व्यक्ति को, जो कि नये रूप से नागरिक बनाया जा रहा है, शपथ लेनी है तो उसे स्वभावत: ही संविधान के प्रति निष्ठावान् होना पड़ेगा और उसे यह भी वचन देना पड़ेगा कि वह इस देश की विधियों को मानेगा । यह अधिकार देते समय, उस पर स्वभावत: ही इस देश की विधियों के मानने का दायित्व आ जायेगा । इससे उसके वे सारे अधिकार, जो कि उसे नागरिक होने के उपलक्ष में मिले हैं, समाप्त नहीं होते ।

श्री एन्थनी ने यह सुझाव दिया है कि १९४७ से इस अधिनियम के लागू होने तक की तिथि के बीच की सारी अवधि निकाल दी जाये और वे सारे लोग, जो अन्य देशों के नागरिक हो गये हैं, भारत के भी नागरिक माने जायें । उन्होंने यह एक बहुत व्यापक, बात कही है । जो कुछ हमने कहा है वह यह है कि यदि युद्धकाल में किसी व्यक्ति ने किसी कारण से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है, अथवा उसको दी गई है, तो उस सम्बन्ध में छूट दी जा सकेगी और वह भारत का नागरिक रह सकेगा । मेरे माननीय मित्र, श्री एन्थानी ने जिस बड़े संशोधन का सुझाव दिया है, उसको स्वीकार करना सम्भव नहीं ।

मेरे विचार में मैंने सारी बातों का उत्तर दे दिया है ।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद-उत्तर) : ब्रिटिश नेशनैलिटी ऐक्ट (राष्ट्रीयता अधिनियम) में दो प्रकार की नागरिकता का उपबन्ध किया गया है : राष्ट्रमंडल की नागरिकता और अपने देश की नागरिकता । दोनों प्रकार के नागरिकों के अधिकारों में क्या अन्तर है ?

श्री दातार : उन्होंनें इसकी परिभाषा बड़े ही व्यापक रूप में दी है, क्योंकि उन्होंने अपने ऐक्ट (अधिनियम) की धारा १ में यह उल्लेख किया है :

"प्रत्येक व्यक्ति जो इस एक्ट (अधिनियम) के अन्तर्गत इंग्लैंड का तथा उपनिवेशों का नागरिक है अथवा जो उपखण्ड ३ में उल्लिखित देशों अर्थात् राष्ट्रमण्डलीय देशों का नागरिक है.....

"उस नागरिकता के आधार पर ब्रिटिश प्रजा की स्थिति का माना जायेगा ।"

यह ऐक्ट (अधिनियम) हम पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता । द्वितीय, उनके अनुसार "ब्रिटिश प्रजा" और "राष्ट्रमंडल की नागरिकता" दोनों का एक ही अर्थ हैं । अत:, इतना सब कुछ कहने के बाद, यह बड़ी मनोरंजक बात है कि उन्होंने राष्ट्रमंडल के

[श्री दातार]

नागरिकों के लिये पंजीबद्ध होने का उपबन्ध कर दिया है। आप देखेंगे कि एक धारा में तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पंजीयन का उपबन्ध कर दिया है। अतः अंग्रेजों की विधि के अधीन ब्रिटिश नागरिकता केवल इंग्लैंड में ही नहीं मानी जाती, अपितु कुछ राष्ट्रमंडलीय देशों में भी मानी जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कुछ राष्ट्रमंडलीय नागरिकता अधिनियमों में वस्तुतः यह कहा गया है कि उनके नागरिक स्वतः ही राष्ट्रमंडल के अथवा इंग्लैंड के नागरिक हैं। हमने ऐसा नहीं किया है। हम ब्रिटिश प्रजा नहीं हैं, क्योंकि उनका अधिनियम हम पर लागू नहीं होता है।

सभापति महोदय: परिभाषा में स्पष्ट रूप से यह बताया कि राष्ट्रमंडल के नागरिक होने का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या अधिक उत्तम नहीं होता?

श्री दातार: खण्ड ११ में यह बताया गया है:

"प्रत्येक व्यक्ति जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित राष्ट्रमन्डली देश का नागरिक है, नागरिकता उस के आधार पर भारत में राष्ट्रमंडल के एक नागरिक की प्रतिष्ठा का होगा।"

जो कुछ हमने कहा है तथा जो कुछ इंगलिश ऐक्ट और कतिपय राष्ट्रमंडलीय देशों के वैसे ही अधिनियमों में कहा गया है; वे बातें एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। वे ब्रिटिश नागरिकता को मानते हैं, जबकि हम ब्रिटिश नागरिकता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमने यह ब्रिटिश नैशनेलिटी ऐक्ट (राष्ट्रीयता अधिनियम) स्वीकार नहीं किया है: हमारा केवल इतना ही कहना है कि वे भारत में राष्ट्रमंडल के नागरिक की प्रस्थिति में है।

सभापति महोदय: राष्ट्रमंडल के नागरिक की परिभाषा देने से वह बात स्पष्ट हो जायेगी।

श्री दातार: राष्ट्रमंडल का नागरिक किसी भी राष्ट्रमंडलीय देश का नागरिक है और अनुसूची में उन अनेक राष्ट्रमंडलीय देशों का उल्लेख कर दिया गया है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब हम इसका अगला प्रक्रम प्रारम्भ करेंगे। दूसरे वाचन के लिये हमारे पास पांच घंटे हैं। हमें इस समय को खण्डों के बीच उनके महत्त्व के आधार पर बांट देना चाहिए।

श्री एन० सी० चटर्जी: मैं चाहता हूं कि खण्ड ५ पर चर्चा कल के लिये स्थगित कर दी जाए, क्योंकि यह एक बहुत ही आवश्यक खण्ड है। इसमें पंजीयन द्वारा नागरिकता पर विचार किया गया है और इसका प्रभाव पूर्वी बंगाल से आने वाले लाखों शरणार्थियों पर पड़ता है।

श्री दातार: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज हम अन्य खण्डों पर चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय: क्योंकि माननीय मंत्री इस के लिये राजी हैं कि खण्ड ५ कल के लिये स्थगित कर दिया जाये अतः मैं सभा से सर्वप्रथम खण्ड २, ३, ४, ७, ८ और ९ पर एक साथ चर्चा करने के लिये कहता हूं।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम): नागरिकता की समाप्ति वाला खण्ड अलग लिया जा सकता है, क्योंकि यह खण्ड अन्य खण्डों के साथ नहीं रखा जा सकता।

श्री कामत: वचन सम्बन्धी खण्ड भी अलग से लिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय: आप खण्ड ९ को अलग से लेना चाहते हैं।

श्री कामत: हमें खण्डवार विचार करना चाहिए।

श्री दातार: खण्ड १० अलग से लिया जा सकता है।

सभापति महोदय: हम खण्ड २, ३, ४, ६, ७, और ८ को एक साथ लेंगे और खण्ड ९ से आगे वाले खण्डों को पृथक-पृथक रूप में।

श्री बी० एस० मूर्ति: खण्ड ८, ९ और १० को पृथक-पृथक रूप से लिया जाये।

सभापति महोदय: क्या आप लोग ऐसा चाहेंगे।

माननीय सदस्य: जी हां।

श्री कामत: यदि हम खण्ड २ से ७ तक दो एक साथ लेंगे तो ठीक है।

सभापति महोदय: मैं खण्ड २ से ७ तक को एक वर्ग में, खंण्ड ८ से १० तक को दूसरे वर्ग में, और शेष खण्डों को तीसरे वर्ग में लूंगी।

श्री दातार: खण्ड ५ को छोड़कर।

सभापति महोदय: जी हाँ, खण्ड ५ को छोड़कर।

खण्ड २ से ४ तक तथा खण्ड ६ और ७

श्री एन० सी० चटर्जी: मैं खण्ड २ पर अपना संशोधन संख्या १ का प्रस्ताव करता हुं। स के अनसार मैं पृष्ठ २ पंक्ति ४ के अन्त में यह जोड़ना चाहता हूं कि "जब ऐसी कम्पनी, संस्था या निकाय के तीन चौथाई सदस्य भारत के नागरिक न हों।"

यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री नथवानी ने भी इस पर जोर दिया है। विली साहब के कान्स्टीट्यूशन ला को मैंने देखा है। पर वह सन् १७८१ के आसपास तैयार किया गया था, इसलिये उसमें निगमों के बारे में कोई कानून नहीं बनाया गया था क्योंकि तक तब निगमों के विधि-वेत्ता के व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हुआ था। विली साहब ने पृष्ठ ८५१ पर इस ओर इंगित किया था कि निगमों को पूरा पूरा संरक्षण नहीं दिया गया है; हालांकि उच्चतम न्यायलय ने निगमों के लिये नागरिकता सम्बन्धी कई संवैधानिक विधियां रची हैं, पर वे यथेष्ठ नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि इसे सम्पन्न करने के लिये आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में निगमों को नागरिक घोषित कर दें। उनकी राय में, यही सर्वोत्तम मार्ग था।

माननीय मंत्री ने इस बारे में महान्याय-वादी के मत का उल्लेख किया था। लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के उच्चत्तम न्यायालय ने इसका निर्णय कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री मुकर्जी ने कह दिया है:

"संविधान द्वारा सुनिश्चित मूलभूत अधिकार निगम निकायों पर भी लागू होते हैं।" स्पष्ट है, कि कुछ मूलभूत अधिकार हैं, जो उन पर लागू नहीं भी किये जा सकतें।

यदि आप "व्यक्ति" की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, और नागरिकता विधि से निगमों को बिल्कुल बाहर रखते हैं, तो उच्च न्यायालय और उच्चत्तम-न्यायालय अनुच्छेद १९ के अर्न्तगत निगमों को नागरिकता का अधिकार नहीं दे सकेंगे।

मान लीजिये कि १०० भारतीय नाग-रिक एक निगम की रचना करते हैं और वे सभी देशभक्त नागरिक हैं, तो किस अपराध में उन्हें सम्पत्ति रखन और व्यापार करने आदि के अधिकार से वंचित किया जायेगा?

मान लीजिये भारत के कुछ देशभक्त नागरिकों ने कोई सार्थ बनाया है, तो आप किस अपराध में उन्हें सम्पति रखने के अधिकार से वंचित कर देंगे? आप उस फर्म पर आय-कर लगायेंगे, पर उसे अधिकार नहीं देंगे?

श्री ए० एम० थामस: अन्य राष्ट्रों के अधिनियमों में इसकी किस प्रकार परिभाषा की गई है?

श्री एन० सी० चटर्जी: इस सम्बन्ध में मैंने एक पुस्तक प्राप्त की है—"**लाज कन्सर्निंग नेशनैलटी**", पर मैं उसे अभी पढ़ नहीं सका हूं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधिपति चागला और बम्बई के उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने और एक के अतिरिक्त, सभी उच्च न्यायालयों ने भारतीय नागरिकों द्वारा बनाये हुए निगमों को अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत अधिकार देने के पक्ष में मत दिया है।

अनुच्छेद १९ सभी नागरिकों को कुछ निश्चित अधिकार देता है। अनुच्छेद १९ के खण्ड १ के उपखण्ड (च) और (छ) निश्चय ही निगमों पर लागू होते हैं। मेरी कठिनाई यह है कि इस संविधान में संसद् को नागरिकता विधि अधिनियम करने का अधिकार दिय गया है, और उसी अधिकार से संसद् इस विधि को अधिनियमित कर रही है। अब यदि संसद् निगमों को नागरिकता के अधिकार से इतने स्पष्ट रूप में वंचित कर देती है और उन्हें सम्पत्ति रखने के अधिकार से वंचित कर देती है, तो फिर इसके बाद निगम कैसे न्यायालयों में जाकर अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत परमादेश-लेख या उत्प्रेषण-लेख की मांग करेंगे, या वे कैसे अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत उच्चत्तम न्यायालय के विशेषाधिकार, या परमाधिकार की मांग करेंगे? इसीलिये, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा था कि इन शब्दों को हटा दिया जाये और फर्मों तथा निगमों के नागरिक बनने का मार्ग बिल्कुल बन्द कर दिया जाये।

माननीय उपमंत्री ने अनुच्छेद ५ और ६ का उल्लेख किया था। इन्हें उच्चत्तम न्यायालय में भी रखा गया था। उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय यही था कि ये अनुच्छेद उन पर लागू होते हैं। शोलापुर के मामले में, एक अधिनियम को इसीलिये अवैध करार दिया गया था कि वह निगमों और भागीदारों के अधिकारों पर प्रभाव डालता था। इसलिये इस पर विचार करना आवश्यक है।

इसके बाद आता है संशोधन संख्या २। इस संबन्ध में मेरा यह प्रस्ताव है कि पृष्ट २, पंक्ति ३८ के बाद यह शब्द जोड़ जायें "कि भारत में पड़ा हुआ या प्राप्त ऐसा कोई भी बच्चा जिसके जनकों का पता न चले, भारत का नागरिक मान लिया जायेगा।" मैंने इसे आयरलैंड के एक अधिनियम से सशब्द ले लिया है। हम मानव अधिकारों की घोषणा पर हस्ताक्षर कर चुके हैं जिसका उद्देश्य है कि हमें राज्यहीनता के विरुद्ध विधि बनानी चाहिये।

इसके बाद खण्ड ४ पर मेरा संशोधन संख्या ३ भी है। इसमें मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यदि बच्चे का जन्म बिना विवाह के माता पिता से हुआ हो और यदि उसकी माता जन्म के समय भारत की नागरिक हो तो भी बच्चे को भारत का नागरिक माना जाये। संसार के सभी देशों में ऐसी विधि है। हमारी वर्तमान विधि में इसका उपबन्ध नहीं है।

सभापति महोदय: अब सदस्य गण निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं संशोधन संख्यायें १ (इसे प्रस्तुत किया जा चुका है), २, ३, १२, ११, १०९, ७६, ११०, ४३, ४२, १११, ४४, ४५ (अपने संशोधित रूप में), ४८, ६०, ६१, ६२, १३ और १४६।

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित खंडों पर निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन प्रस्तुत किये गये :

सदस्य नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री एन० सी० चटर्जी	३	२
श्री एन० सी० चटर्जी	४	३
श्री एन० श्री कान्तन नायर	३	१२
श्री कामत	२	११
श्री एन० पी० नथवानी	२	१०९
श्री श्रीनारायण दास	२	७६,११०
श्री श्रीनारायण दास	३	४३
श्री आर० डी० मिश्र	नयाखंड २क	४२
श्री आर० डी० मिश्र	२	१११
श्री साधन गुप्त	३	४४
श्री साधन गुप्त	४	४५,४८
श्री साधनगुप्त	६	६०, ६१
श्री साधन गुप्त	७	६२
श्री एच० एन० मुकर्जी	४	१३

श्री दातार: मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ १, पंक्ति १७ के बाद जोड़ दिया जाये :

"Provided that no such notification shall be issued in relation to the Union of South Africa except with the previous approval of both Houses of Parliament."

["परन्तु दक्षिण अफ्रीका संघ के संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना ससद् के दोनों सदनों के पूर्व-अनुमोदन के बिना नहीं निकाली जायेगी।"]

सभापति महोदय: ये सब संशोधन अब सभा के सामने हैं।

श्री कामत: मेरा संशोधन संख्या ११ भारत की परिभाषा में जम्मू तथा काश्मीर को भी लेना चाहता है। बाद के उपखंडों में भी वैसे ही शब्दान्तर कर दिये जायेंगे। पिछले दिन गृह-कार्य उपमंत्री ने इस संशोधन या विमति-टिप्पणी पर कहा था कि यदि किसी बात को अपवर्जित नहीं किया जाता तो वह अपने आप सम्मिलित हो जाती है। मैं सविधान के अनुच्छेद ३७० के उपबन्ध की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : संविधान का अनुच्छेद १ बहुत ही स्पष्ट है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इससे स्पष्ट है कि उसमें 'जम्मू तथा काश्मीर' सम्मिलित होगा ही।

श्री कामत : संयुक्त समिति से प्राप्त हुए इस विधेयक में भी एक कमी रह गई है। लगभग प्रत्येक अधिनियम के खण्ड १ में सामान्य तौर पर रहने वाला वह उपबन्ध इसमें नहीं है कि 'यह अधिनियम समस्त भारत पर लाग होगा।' इसमें कहीं भी इस विधेयक के क्षेत्र के विस्तार की परिभाषा नहीं दी गई है। यदि यह संशोधन नहीं माना जाता. तो मं खण्ड १ मैं अपना संशोधन पेश करूंगा।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : यदि उसमें यह कमी है, तो क्या उसमें मध्य प्रदेश सम्मिलित है, क्या उसमें भारत के अन्य भाग सम्मिलित हैं ?

श्री कामत : कृपया खण्ड १ को देखिये।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : स्पष्टता के लिये यह आवश्यक है कि ऐसा कहा जाये कि यह विधेयक जम्मू और काश्मीर ही नहीं, वरन् समस्त भारत पर लागू होता है, या फिर वह भारत के किसी भी भाग पर लागू नहीं होता।

श्री कामत : अनुच्छेद ३७०(१)(ख)(२) में कहा गया है कि जम्मू तथा

[श्री कामत]

काश्मीर के सम्बन्ध में कानून बनाने का संसद् का क्षेत्राधिकार सीमित रहेगा और वह राज्य सरकार की सहमति से ही, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निदेशित विषयों पर ही क़ानून बना सकेगी ।

आप सातवीं अनुसूची देखें, संघ सूची की मद १७ नागरिकता, देशीयकरण और विदेशियों के बारे में है । मैं गृह-कार्य उप-मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले को भी राष्ट्रपति के आदेश में इस तरह निर्देशित किया गया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार की सहमति से संसद् इस विषय में क़ानून बना सकती है ?

सभापति महोदय : अच्छा हो यदि आप अपनी सारी बातें एक साथ कह लें और फिर माननीय मंत्री उनका उत्तर दे दें ।

श्री कामत : सभा में कोई भी मंत्री नहीं है ।

सभापति महोदय : चूंकि हमने निश्चित कर लिया है कि ढाई बजे तक सभा में मत-विभाजन नहीं किया जायेगा, इसलिये आप गण-पूर्ति पर ज़ोर नहीं दे सकते ।

श्री कामत: कांग्रेस दल इस विधेयक को कोई भी महत्व नहीं दे रहा है । कुछ मंत्रियों को तो यहां उपस्थित होना ही चाहिये था ।

सभापति महोदय : मैं बता देना चाहती हूं कि हमने द्वितीय वाचन के लिये पांच घंटे रखे हैं । खण्ड ८ से १० तक दो घंटे हैं । खण्ड ५ और कुछ अन्य खण्डों को हमने छोड़ दिया है । खण्ड ११ से १९ तक के लिये दो घंटे लग ही जायेंगे । अब हमारे पास इसके लिये कुल एक घंटा बचता है, और अभी छः-सात सदस्य बोलने को हैं, इसलिये मैं प्रत्येक सदस्य के लिये दस मिनट की अवधि निश्चित करती हूं ।

श्री कामत : अब विधि-कार्य मंत्री सभा में आ गये हैं । मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३७० खण्ड (१) (ख)(२) की ओर आकर्षित करता हूं । यह संघ सूची की मद १७ में है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति ने अपने आदेश में इसे निर्देशित कर दिया है ।

यदि यह हो चुका है तो फिर यह प्रश्न आता है कि क्या इस सभा में यह विधेयक पेश करने के पहले जम्मू तथा काश्मीर सरकार की सहमति प्राप्त कर ली गई है ? राष्ट्रपति का आदेश और राज्य सरकार की सहमति—ये दोनों ही बातें आवश्यक हैं । पिछली बार एक अन्य विधेयक के बारे में जम्मू तथा काश्मीर सरकार की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी । इसीलिये, यह महत्वपूर्ण बात है । और यदि, इन दोनो आवश्यक शर्तों को पहले से पूरा नहीं किया गया है तो संसद् उसके बारे में क़ानून नहीं बना सकती, और तब मैं सभा के सामने अपना संशोधन रखूंगा ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य): मेरा संशोधन संख्या ७६ बहुत ही छोटा सा है । मैं खण्ड २ के उपखण्ड (२) की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें कहा गया है कि कोई भी आदमी जो किसी देश की सरकार के पंजीयित जहाज़ या विमान पर पैदा होता है, तो उस व्यक्ति को उसी स्थान का जन्मा हुआ माना जायेगा जहां उस जहाज़ या विमान का पंजीयन हुआ है । मैं "किसी देश की सरकार का विमान" शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका । विमान या जहाज़ व्यक्तिगत या किसी फर्म का भी हो सकता है । इसलिए, मैं "सरकार का" शब्दों को यहां निरर्थक मानता हूं और उन्हें हटा देना चाहिये । इसलिये मेरा पहला संशोधन खण्ड २ के उपखण्ड (२) में से इन शब्दों को हटा देने का है ।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या ११० है। स्पष्टीकरण के लिये, मुझे उसमें कुछ और शब्द जोड़ने की अनुमति दीजिये। मेरा संशोधन इस प्रकार का होगा कि पृष्ठ २, पंक्ति १३ के बाद २(क) में यह जोड़ दिया जाये कि भारत के प्रदेश से मिले हुए किसी अन्य देश के प्रदेश से गुजरने वाली रेलगाड़ी में जन्म वाला हर व्यक्ति, जिसका पिता भारत का नागरिक है, भारत में जन्मा हुआ ही माना जायेगा। इसमें "भारत के प्रदेश से मिले हुए" शब्द और जोड़े गये हैं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव: यदि किसी का जन्म दो देशों की सीमा पर होता है, तो उसका क्या होगा?

श्री श्रीनारायण दास: इस विधेयक के वर्त्तमान उपबन्धों में कतिपय आकस्मिकताओं की धारणा की गई है, और मेरे संशोधन का उद्देश्य एक और तरह की आकस्मिकता की धारणा को उसमें जोड़ने का हो है। इस आकस्मिकता की संभावना इसलिये बढ़ जाती है कि पूर्व और पश्चिम में दो देश हमारे देश से बिल्कुल लगे हुए हैं और हमारे देश से उन देशों को रेलगाड़ियां जाने-आने का करार भी हो चुका है। मैं खण्ड ४ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें दिया गया है कि २६ जनवरी, १९५० को या उसके बाद देश से बाहर पैदा होने वाला उस समय के किसी भारतीय नागरिक का पुत्र उद्भव से भारत का नागरिक माना जायेगा। पर, परन्तुक में यह दिया गया है कि उसके जन्म का पंजीयन होना एक आवश्यक शर्त है। इससे उसमें कुछ निर्योग्यतायें पैदा हो जाती हैं। देश से बाहर, रेलगाड़ी में पैदा होने वाला व्यक्ति इस प्रकार निर्योग्य हो जायेगा। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि विधेयक में हमें अधिक से अधिक आकस्मिकताओं की गुंजाइश रखनी चाहिये, जिससे कि हमारे भावी नागरिकों को किसी भी तरह की निर्योग्यताओं का सामना न करना पड़े।

मेरा तीसरा संशोधन संख्या ४३ खण्ड ३ के सम्बन्ध में है। मान लीजिये कि भारत की भूमि पर कोई बच्चा पाया जाता है जिसके जन्म-स्थान के बारे में कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता तो हमें उसके लिये भी कुछ उपबन्ध रखना चाहिये। हम उसमें यह शब्द जोड़ सकते हैं--"यदि यह सिद्ध नहीं होता कि वह किसी अन्य देश में जन्मा था", तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जायेगा।

मैं एक और बात कहूंगा। "व्यक्ति" शब्द को परिभाषित करने का स्थान इस विधेयक में नहीं। यह विधेयकतो केवल नागरिकता प्राप्त करने और उसकी समाप्ति के सम्बन्ध में है। इसमें "व्यक्ति" का अर्थ कोई भी मनुष्य होता है, निगमों या कम्पमियों की तरह कृत्रिम प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं उसके बारे में कोई भ्रांति है, तो उसे स्पष्ट करने का स्थान संविधान में ही होगा, यहां नहीं। और इसके सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये श्री चटर्जी और श्री नथवानी के संशोधन वस्तुतः संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग में रखे जाने चाहियें।

श्री साधन गुप्त: मैं मुख्यतया अपने संशोधनों पर और विचाराधीन विभिन्न खंडों में निहित कतिपय सिद्धांतों पर बोल रहा हूं। इस विधेयक में खंड ३ एक बहुत महत्वपूर्ण खंड है। उस में मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं जो पाकिस्तान से भारत आये हुए अथवा भारत में बसने वाले लोगों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। वह संशोधन संख्या ४४ खंड ३ में एक नया उपखंड (३) जोड़े जाने के लिये है। मैंने अपने भाषण में पहले यह बताया है कि विस्थापित व्यक्तियों को यहां के देशवासियों से भिन्न मानना बिल्कुल अनुचित है।

श्री एन० सी० चटर्जी: क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह संशोधन संख्या ४४ खंड ५ से सम्बद्ध है? वह उन आवासियों के सम्बन्ध में है जो पूर्वी बंगाल या पाकिस्तान

[श्री एन० सी० चटर्जी]

से आये हुए हैं और यदि माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वे इस विषय पर विचार करना चाहते हैं जो यदि आप चाहें तो यह विषय भी कल लिया जा सकता है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मेरा भी इसी से मिलता जुलता एक संशोधन है, जो खंड ५ में है। यदि यह मान लिया जाय कि यह विषय आज ही निबटा दिया जायगा तो मेरा संशोधन कल अवरुद्ध हो जायगा। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि यह विषय कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय और कल उस पर चर्चा हो और तब उसका निर्णय दिया जाय।

सभापति महोदय : तो इस स्थिति में सभा की अनुमति से हम खंड ३ पर मतदान कल तक के लिए स्थगित कर सकते हैं जिससे खंड ३ और खंड ५ एक साथ लिये जा सके माननीय सदस्य अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री साधन गुप्त : संविधान के अनुच्छेद ५ में विशेषकर उपखंड (ग) में उन लोगों का निदश है, जो भारत में बहुत पहले ही बस चुके हैं यद्यपि उनका या उनके माता पिता का जन्म भारत में नहीं हुआ था। इस विधेयक में उन लोगों के साथ बड़ा भद्दा व्यवहार किया गया है और खंड १० के अधीन तो उनको नागरिकता के अधिकार छीन लिये जाने की धमकी भी दी गयी है। मेरा यह कथन है कि वे लोग, जो अनुच्छेद ५(ग) के अन्तर्गत संभवतः आयेंगे उसी हद तक इस देश के अधिवासी है जिस हद तक कि भारत के वर्त्तमान भभाग में उत्पन्न लोग हैं। अतः मैं उन्हें "जन्मतः नागरिक" के अन्तर्गत सम्मिलित करना चाहता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी प्रकार मैं उन लोगों को भी सम्मिलित करना चाहता हूं जो संविधान के अनुच्छेद ६ के अन्तर्गत आते हैं, अर्थात् वे अनेक विस्थापित व्यक्ति जो पाकिस्तान से आये हैं। विधेयक के प्रथम वाचन के समय मैंने इन विस्थापित व्यक्तियों को परराष्ट्रजन समझने और उनपर पंजीकरण की शर्तें लगाने का घोर विरोध किया था। अब यह ज़रूरी है कि ऐसी शर्तें न रहें। ये शर्तें उनके लिये अपमानस्वरूप हैं। माननीय गृहकार्य उपमंत्री ने कहा था कि यह निम्न-कोटि की नागरिकता क्या है जिस पर आपत्ति की जाती है। निश्चय ही यह निम्नकोटि की नागरिकता है, क्योंकि सर्वप्रथम तो उन्हें अपनी नागरिकता नहीं प्राप्त होती, उन्हें पंजीकरण कराना पड़ता है और वह भी अधिकार के रूप में नहीं वरन् दया के रूप में है क्योंकि सरकार ऐसा पंजीकरण अस्वीकार कर सकती है। दूसरी बात यह है कि उन्हें निष्ठाकी शपथ लेनी होती है। यदि यह कहा जाय कि निष्ठा की शपथ लेने में कठिनाई क्या है, तो मेरा यह प्रश्न है कि उसकी आवश्यकता ही क्या है? यह उनके लिये एक अपमान की बात है। इसी कारण निष्ठा की शपथ पर मुझे आपत्ति है।

आगे अनुच्छेद ५(ग) के अधीन नागरिकों के मामले में नागरिकता अधिकार छीन लिये जाने की धमकी है। इन सब बातों के कारण वे निश्चय ही निम्नकोटि के नागरिक होते हैं। अतः मैं उन्हें जन्मतः नागरिकों का पद देना चाहता हूं।

खंड ४ में मैंने इसी प्रकार का एक संशोधन (संख्या ४८) रखा है जिसके अनुसार उन्हें कम से कम उद्भव-नागरिक का पद दिया जायगा, किन्तु उन्हें निम्नपद नहीं दिया जाना चाहिये। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जन्मतः नागरिकता से कम कोई पद को स्वीकार नहीं करूंगा। खंड ३ के बारे में मुझे इतनी ही बातें कहनी हैं।

खंड ४ के बारे में मैंने एक दूसरा संशोधन (संख्या ४५), उस संशोधन के खंड २ को छोड़कर, रखा है। उस संशोधन द्वारा मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि उद्भव केवल पिता की नागरिकता पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये वरन् जब बालक पैदा हुआ उस समय यदि उस की माता, भारतीय नागरिक हो, तो बालक भी उद्भव द्वारा नागरिक होना चाहिये। मैं माता और पिता दोनों को बराबरी के पद पर रखना चाहता हूं। अतः सभा से मेरी सिफारिश है कि वह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय। यदि माता-पिता दोनों ही नागरिक न हों तो बालक उद्भव द्वारा भारतीय नागरिक नहीं होना चाहिये, यह बात मैं समझता हूं। किन्तु यदि दोनों में से एक भारतीय नागरिक हो, चाहे एक अभारतीय नागरिक से उसका विवाह हुआ हो और यदि माता भारतीय नागरिकता बनाये रखती है, तो मैं इसके लिये कोई कारण नहीं पाता कि बालक को उद्भव द्वारा नागरिकता क्यों न मिले। बालक बाद में चलकर यदि चाहे तो नागरिकता त्याग दे, किन्तु उसे उद्भव द्वारा नागरिकता का अधिकार होना चाहिये।

खंड ६ में मेरे दो संशोधन (संख्या ६० और ६१) हैं। संशोधन संख्या ६० द्वारा, "मैं "Full age and Capacity" (पूरी उम्र और शक्ति) शब्दों के बाद " Other than a person of Indian origin" (भारतीय उद्भव के किसी व्यक्ति क अतिरिक्त) शब्द जोड़ना चाहता हूँ। संशोधन संख्या ६१ द्वारा मैं खंड ६ से राष्ट्रमंडल के लोगों को निकाल देना चाहता हूं। परिणाम यह है कि राष्ट्र मंडल के लोगों को केवल देशीयकरण के लिये आवेदन करने का अधिकार होना चाहिये और भारतीय उद्भव क किसी व्यक्ति को न केवल देशीयकरण द्वारा वरन् पंजीकरण अथवा अन्य किसी तरह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये, चाहे फिर वह किसी राष्ट्रमंडल देश में अथवा अन्यत्र रहता हो। भारतीय उद्भव के लोगों को, चाहे वे कहीं भी रहते हों, ऊंचे स्तर पर समझा जाना चाहिये। आप जानते हैं कि भारतीय उद्भव के अनेक लोग दुनिया के अनेक देशों में फैले हुए हैं और उनमें अनेक यहाँ लौटना चाहते होंगे। उन्हें सम्मानपूर्वक देश के नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये और उन्हें कम से कम पंजीकरण द्वारा और न कि देशीयकरण द्वारा यहाँ आने की अनुमति होनी चाहिये। किन्तु अभी जैसी स्थिति है, यदि वे राष्ट्रमंडल देशों में नहीं रहते तो वे केवल देशीकरण द्वारा ही आ सकते हैं और उन्हें भी उन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो देशीयकृत नागरिकों को करना पड़ता है।

खंड ७ के बारे में मेरा एक संशोधन (संख्या ६२) है, जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। वर्तमान प्रस्तावित खंड ७ में यह पूर्णतः सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे जिसे नागरिक बनाये या न बनाये। उस भू-भाग के निवासियों को भारतीय नागरिकता का कोई अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिये गोआ है, जहाँ के निवासी पुर्तगालियों के चले जाने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिकार की मांग नहीं करेंगे। सरकार यदि चाहे तो वहाँ के अनेक निवासियों को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : वहाँ की सरकार बदल सकती ह किन्तु संभव है कि पुर्तगाली नागरिक ने वहाँ सम्पत्ति अर्जित की हो और वह गोआ में रहते हुए पुर्तगाल का नागरिक बना रहे और वहाँ से न जाये। क्या ऐसी दशामें उसे अपने आप भारतीय नागरिक बन जाना चाहिये ?

श्री साधन गुप्त : मैंने ऐसे मामलों के लिये व्यवस्था की ह। मने कहा है कि जो लोग उस भू-भाग क अधिवासी हों या जिनके माता-पिता या दादा-दादी ने उस भू-भाग में जन्म लिया हो या जिन्होंन स्वतः वहाँ जन्म लिया

[श्री साधन गुप्त]

हो, उन्हें अपने आप भारतीय नागरिकता का अधिकार मिल जाय। अन्य लोगों को सरकार चाहे तो नागरिकता अधिकार दे सकती है। अतः मेरी सिफारिश है कि मेरा संशोधन संख्या ६२ स्वीकार कर लिया जाय।

श्री आर० डी० मिश्र : मेरी एमेंडमेंट (संशोधन) क्लाज (खण्ड) २ में यह है कि एक नई क्लाज २ (ए) जोड़ दी जाए, जो इस प्रकार है :

"२क नागरिकता और नागरिकता इंडिया अर्थात् भारत का नागरिक भारत में या बाहर किसी प्रयोजन के लिए 'भारतीय' या 'इंडियन, शब्दावली द्वारा अपनी राष्ट्रीयता व्यक्त कर सकता है।"

इस एमेंडमेंट (संशोधन) के देने का एक खास कारण यह है कि जब हम ब्रिटिश नेशनेलिटी ऐक्ट (ब्रिटिश नागरिकता अधिनियम) को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उसमें सिटिजन (नागरिक) के माने ब्रिटिश सब्जेक्ट (ब्रिटिश प्रजाजन) के दिए गए हैं और जितने भी कामनवैल्थ कंटरीज हैं उन्होंने भी अपने यहां पर सिटिजन के माने ब्रिटिश सब्जेक्ट के ही लगाये हैं। इस बिल के अन्दर हम ने कामनवैल्थ कंटरीज (राष्ट्रमंडलीय देशों) के सिटिजंस (नागरिकों) को कामनवैल्थ सिटिजन (राष्ट्रमंजलीय नागरिक) का स्टेटस दिया है लेकिन इंडियन सिटिजन (भारतीय नागरिक) को कोई नाम या स्टेटस (स्थिति) हमने अपने आप नहीं दिया है। इससे मालूम पड़ता है कि ब्रिटिश नेशनेलिटी ऐक्ट के मुताबिक हम ब्रिटिश सब्जक्ट हो जाते हैं। जब हमें अपना स्टेट्स दूसरे देशों में बतलाने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारा स्टेटस इंडिया में क्या है तो उसके लिए मैंने कहा है कि हम यह कहें कि हम इंडिया के सिटिजन हैं और हमारी नशनेलिटी (राष्ट्रीयता) भारतीय है या इंडियन हैं और अपनी नेशनेलिटी के लिए केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम करें।

जब कांग्रेस ने देश की आजादी की आवाज उठाई तो त्रावणकोर-कोचीन से लेकर काश्मीर तक और बंगाल से लेकर पश्चिम तक सारे देश में देशभक्ति की भावना आई, एकता की भावना पैदा हुई और सबने मिल कर आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल की। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे अन्दर प्रान्तीयता की भावना पैदा हो रही है और यह कहते हुए सुना जा रहा है कि इस प्रान्त में यह भाषा बोलने वाले, यह जिले आ जायें और इस प्रान्त में यह जिले आ जायें। हम में एक सैपेरेशन (पृथकत्व) की भावना पैदा हो रही है जो कि दूर होनी चाहिये। आज जरूरत इस बात की है कि हर आदमी जो कि इस देश में रहता है यह महसूस करे कि मैं भारतीय हूं, मैं हिन्दुस्तान का एक सिटिजन हूं। लोगों में यह भावना कि मैं पंजाब का हूं, त्रावनकोर कोचीन का हूं, मद्रास का हूं, चली जानी चाहिये। हम सब भारती हैं और भारतीय ही रहेंगे अब यह जो एक्ट बनने जा रहा है "इसमें हमें अपनी नेशनेलिटी बतानी चाहिये इसको मैं एक बड़ा मौजू ऐक्ट समझता हूं और मैं चाहता हूं प्रत्येक भारत का नागरिक अपने को भारतीय कहे और हर एक भारतीय अपने आपको भारतीय कहने में फखर महसूस करे। दुनिया और देश के कोने-कोने में जाकर अपने आपको यदि वह भारतीय कहेगा और अपने नेशनेलिटी भारत लिखेगा तो इससे भारत के नागरिकों में एकता की भावना बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सीलोन (श्रीलंका) सिटिजेनशिप ऐक्ट (नागरिकता अधिनियम) में मैंने देखा कि वहां पर उन्होंने कहा है कि सीलोन का सिटिजेन अपने आप को सिटिजेन आफ सीलोन (श्रीलंका का नागरिक) कहेगा। लेकिन और जितनी कामनवेल्थ कंट्री हैं वह कहती हैं कि हम अपने आप को ब्रिटिश सब्जेक्ट समझते हैं। ब्रिटिश सब्जेक्ट समझने में कोई बुराई नहीं है, इंगलैंड अगर कोई जाय और उसको वही सुविधाएं प्राप्त हों जो ब्रिटिश सब्जेक्ट को हासिल है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

लेकिन हमारे साथ हमारा एक इतिहास है। हम अपने को ब्रिटिश सब्जेक्ट (ब्रिटिश प्रजाजन) समझना बुरा समझते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं जानना चाहता हूं कि आप किस मजमून पर बोल रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि इस बिल से इसका क्या ताल्लुक है।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं चाहता हूं कि हम इस बिल में सिटिजेन के माने भारतीय दर्ज करें।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप को गलतफहमी कैसे हुई कि यह कुछ और है।

श्री आर० डी० मिश्र : गलतफहमीयों हो जाती है कि हमने इस ऐक्ट के अन्दर सिटिजेनशिप के लिये अपना कोई स्टेटस नहीं बताया। कामनवेल्थ के सिटिजेन के लिये आपने कह दिया कि यह कामनवेल्थ सिटिजेन आफ इंडिया होगा। इसलिये इंडियन सिटिजेन जो है वह अपनी नेशनेलिटी भारतीय कहे और उसका स्टेटस भारतीय हो।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री **त्यागी**) : यानी आपको रघुबर दयाल मिश्र न कह कर रघुबर दयाल भारतीय कहा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक राष्ट्रीयता का संबंध है, इंडियन नागरिक को यह कहना ही होगा कि वह इंडियन है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य बिलकुल गलती पर है। एक इंडियन इंडियन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह विदेशों में अपने को भारतीय नहीं कहता, क्योंकि वहां कोई "भारतीय" का अर्थ नहीं समझ पाता। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं यह कहता फिरूं कि "मैं भारतीय हूँ और इंडियन नहीं हूँ?"

श्री त्यागी : आप अपने को "जवाहर-लाल भारतीय" कह सकते हैं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैं अपने संशोधन संख्या ७८ का प्रस्ताव करता हूँ। कि इसमें कहा गया है कि पृष्ठ २ पंक्ति २८ में "२६ जनवरी १९५०" के पश्चात, "भारत के भूभाग में उसका अधिवास होने पर" शब्द रखे जायं। संविधान के अनुच्छेद ५ में हमने कहा है कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुए हों, उन्हें भारत का नागरिक बनने के लिये भारत का अधिवासी होना भी आवश्यक है। माननीय उपमंत्री इस बात पर विचार करें कि नागरिक बनने के लिये भारत में केवल जन्म ले लेना पर्याप्त नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद ५ के अनुसार उसे भारत का अधिवासी भी होना चाहिये। यदि वह अधिवासी न हो, तो उसे नागरिक का पद नहीं मिलेगा किन्तु वर्तमान धारा के अनुसार केवल जन्म से ही उसे यह पद मिलता है। अतः मेरा यह निवेदन है अब तक सभी स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार, अधिवास अत्यन्त आवश्यक है और वह इस धारा का एक अंग होना चाहिये।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मेरा संशोधन पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन से मिलता जुलता है। वह यह है कि खंड ३ के उपखंड (ग) में निम्न शब्द जोड़ दिये जायं:

"(c) at least one of the parents is a citizen of India."

[(ग) माता-पिताओं में से कम से कम एक भारत का नागरिक हो]

मेरा निवेदन यह है कि यदि वह अधिवास का प्रश्न है तो बालक यह निश्चय नहीं कर सकता कि वह भारत में रहेगा या नहीं। भारत में पैदा हुए ऐसे हजारों बच्चे हैं जो योरोपीय लोगों के, चीनियों के और अन्य राष्ट्रजनों के बच्चे हैं। उन्हें नागरिकता का अधिकार देना और बाद में चलकर उसे छोड़ देने की उन्हें स्वतन्त्रता देना उचित नहीं है। हम राज्यक्षेत्रातीत राजभक्ति के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं अर्थात् जहां कहीं भी बच्चा पैदा हुआ हो, उसे अपने

[श्री एन० श्री कान्तन नायर]

मातृदेश के प्रति भक्ति रखनी ही होगी। अभी कुछ महीने पहले भारत और चीन के बीच इस विषय पर विवाद था, जब कि दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच एक प्रकार का समझौता हुआ है। हम नहीं चाहते कि राज्यक्षेत्रातीत राजभक्ति का प्रश्न उपस्थित हो। अतः मेरा यह सुझाव है कि यदि बच्चे को भारतीय नागरिकता देनी हो, तो उसके माता पिता में से कोई एक अवश्य ही भारतीय उद्भव का होना चाहिये। जन्मजात नागरिकता केवल उसे ही दी जा सकती है जो एक भारतीय की भारत में पैदा हुई संतान हो। अन्यथा अनेक प्रकार की कठिनाइयां आयेंगी। मुझे एक बात यह और कहनी है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिये जाने के संबंध में अवश्य ही एक समय-सीमा होनी चाहिये। १९४७ के बाद हम उन्हें बराबर यहाँ लेते रहे हैं और उन्हें बहुत धन भी देते रहे हैं किन्तु यह अधिकार भी उन्हें असीमित समय तक देते रहना भारत के लिये हितावह न होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से, अन्तर्राष्ट्रीय विधि में जहां कहीं भी बच्चा पैदा हो वह उस देश का जन्मतः नागरिक होता है। वह दोनों स्थानों का राष्ट्रीयजन हो सकता है और वयस्क हो जाने के बाद वह एक का त्याग कर सकता है।

श्री राघवाचारी : माननीय उपमंत्री ने एक संशोधन (संख्या १४६) प्रस्तुत किया है। मैं उस संशोधन का विरोध नहीं करता किन्तु मेरा इतना ही निवेदन है कि जहां परिभाषाएं हैं वहाँ वह उपयुक्त नहीं है। खंड १२ के अधीन वह अधिक उपयुक्त होता। प्रधानमंत्री ने उस संशोधन का सुझाव दिया था और तर्क यह था कि जहां तक दक्षिण अफ्रीका का संबंध था, पारस्परिकता उपलब्ध नहीं थी और इसलिये प्रथम अनुसूची में दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित करने पर घोर आपत्ति की गयी थी। अतः उसके लिये खंड १२ अधिक उपयुक्त स्थान है, जहाँ प्रथम सूची में उल्लिखित अन्य देशों के नागरिकों को पारस्परिकता के आधार पर ये अधिकार दिये जाने का विशेष निर्देश है। अतः यह उपबन्ध खंड १२ के अधीन अधिक अच्छी तरह आ सकता है, चाहे वह उपखंड (२) या उपखंड (३) हो।

जम्मू और काश्मीर के बारे में भी एक बात है। यह चर्चा थी कि भारत में जम्मू और काश्मीर सम्मिलित है। इस बारे में कोई शंका नहीं है किन्तु बात यह है कि संविधान में ऐसी परिभाषा नहीं है। जब हमें किसी अधिनियमन की व्याख्या करनी होती है तब हम सामान्य खंड अधिनियम का आश्रय लेते हैं, यदि उसमें कुछ न हो, तब हम संविधान देखते हैं। मैंने सामान्य खंड अधिनियम को अच्छी तरह देखा है। उसमें सभी राज्य भारत में सम्मिलित किये गये हैं। उस विषय में कोई संदेह नहीं है। किन्तु मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी शब्द की व्याख्या करने के लिये हम संविधान नहीं देखते बल्कि सामान्य खंड अधिनियम देखते हैं।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : मेरे दो संशोधन हैं संख्या ११२ और ११५। मैं इन संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सिंहासन सिंह द्वारा अपने संशोधन संख्या ११२ और ११५ प्रस्तुत किए गए।

श्री सिंहासन सिंह : प्रथम संशोधन के द्वारा मैं चाहता हूं कि 'को' ('आन') शब्द के स्थान पर 'पूर्व' ('विफोर') कर दिया जाय। इसके अनुसार "२६ जनवरी, १९५० को या इसके बाद पैदा हुआ व्यक्ति" के स्थान पर "२६ जनवरी, १९५० के पूर्व या इसके बाद पैदा हुआ व्यक्ति" हो जायेगा। इस अधिनियम में उन लोगों के संबंध में कोई उपबन्ध नहीं है जो २६ जनवरी, १९५० के पूर्व भारत के

बाहर पैदा हुये थे और जो उस देश के नागरिक नहीं बने थे और अपने माता पिता के साथ भारत लौट आये। यदि कोई व्यक्ति खण्ड ५ के अधीन भारत में अपना पंजीयन कराके यहाँ का नागरिक बन जाता है तो कुछ अनर्हताओं के कारण उससे नागरिकता छीनी भी जा सकती है। अतः मैं समझता हूं कि यदि यहाँ पर 'को' के स्थान पर 'पूर्व' शब्द रख दिया जाता है तो वह २६ जनवरी, १९५० को पैदा हुए व्यक्तियों पर भी लागू होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह संविधान में उपबन्धित है।

श्री सिंहासन सिंह : अनुच्छेद ८ में कहा गया है कि यह उपबन्ध उन लोगों पर लागू होगा जो वहाँ रह रहे हों और उस देश में राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा पंजीकृत किये जा चुके हों। मान लीजिए वह वहाँ पंजीकृत नहीं है और अपने मातापिता के साथ भारत लौट आता है तो उसका क्या होगा ? खण्ड ४ में जो उपबन्ध है, वह भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता। अतः यदि 'पूर्व' शब्द जोड़ दिया जाय तो किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाई न पड़ेगी और त्रुटि भी दूर हो जायेगी।

मेरा द्वितीय संशोधन खण्ड ५ के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के अवयस्क बच्चों के संबंध में है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये लोग खण्ड (५) (१) (ख) के अन्तर्गत अपना पंजीयन करवा सकते हैं।

श्री सिंहासन सिंह : मुझे एक आपत्ति है। पंजीयन के द्वारा वह खण्ड ९ और १० के अन्तर्गत आ जायेंगे और उनकी नागरिकता छीनी जा सकेगी। पर खण्ड २ और ४ के अन्तर्गत जो नागरिक होते है उन पर खण्ड ९ और १० लागू नहीं होते। भारतीय नागरिक मातापिता के भारतीय नागरिक बच्चों पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं। उन्हें तो भारतीय नागरिक मातापिता के प्रेम होने के नाते ही स्वभावतः भारतीय नागरिक मान लिया जाना चाहिए। अतः खण्ड ४ में 'पूर्व शब्द रख देने से यह कठिनाई दूर हो जायेगी। इसी विचार से मैंने अपने संशोधन रखे हैं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उन परविचार करेंगे।

श्री एन० पी० नथवानी : मेरा संशोधन संख्या १०९ है। उस में 'व्यक्ति' (परसन) की परिभाषा में कुछ सन्थाओं को भी सम्मिलित करने की बात कही गई है। ऐसी सन्थाओं में समवाय या अनिगमित व्यापारिक संस्थायें सम्मिलित हैं। इस विधान में इनको नागरिकता के समान अधिकार न देने की बात कही गई है। श्री ए० एम० थामस के कथनानुसार सीमा के किसी देश में ऐसी सन्थाओं को नागरिकता का स्तर प्राप्त नहीं हैं। पर मैं कहता हूं कि उन देशों में विधान में, भारत की भांति, उन पर रोक भी नहीं लगाई गई है। अतः मैं चाहता हूं कि 'व्यक्ति (परसन) शब्द की परिभाषा को निकाल दिया जाय या कम से कम ऐसी अनिगमित सन्था का उल्लेख न रखा जाये, उसके सभी सदस्य भारतीय नागरिक हैं। माननीय उपमंत्री ने बताया था कि 'व्यक्ति' शब्द का अर्थ प्राकृतिक व्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है अतः मैं निवेदन करता हूं कि 'व्यक्ति' ('परसन') की परिभाषा में से सभी बातें निकाल कर केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही रखा जाय।

विधिकार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : सब से पहले, मैं अपने पहले बोलने वाले माननीय सदस्य द्वारा अभी हाल में कही गई बात के संबंध में की गई विभिन्न आलोचनाओं का उत्तर देना चाहूंगा।

यह अधिनियम नागरिकता के अधिकारों के प्राप्त करने और छीने जाने के संबंध में है। संविधान में जो अधिकार दिये गये हैं, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का

[श्री पाटस्कर]

प्रयत्न इस विधेयक द्वारा नहीं किया गया है । यदि आप इस विधयेक के उपबन्धों को देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि यह विधयेक जन्म, उद्भव, पंजीयन या देशीयकरण आदि उपायों से नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने के संबंध में है । और जो परिभाषा यहां दी गई है वह केवल इसी विधेयक के प्रयोजन के लिये है । हम ऐसा नहीं कह सकते कि 'व्यक्ति' ('परसन') की यह परिभाषा अन्य विधानों के संबंध में भी लागू होगी । इस विधेयक के अनुसार नागरिकता के अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिये जा सकेंगे जिनकी व्याख्या इस विधेयक में की गई है अर्थात् जिसमें कोई समवाय या सन्था या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, सम्मिलित नहों होगा । मैं नहीं समझता कि यह बात संविधान या अन्य किसी विधान द्वारा कुछ निगमों या उन निगमों को दिये गये अधिकारों में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप करती है ।

श्री नथवानी ने बम्बई उच्च न्यायालय के एक विनिर्णय की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है । मैंसमझता हूं कि उसमें जो कुछ कहा गया है वह मेरी बात का समर्थन करता है । वहां पर कुछ व्यक्तियों की एक संस्था का मामला था और पृष्ठ २६८ पर स्पष्ट लिखा है कि सात याचिका दाताओं में से ६ निगम हैं और संविधान के अन्तर्गत निगमों को नागरिक नहीं माना जा सकता । सातवे को भी नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह एक सन्था या संस्था है अतः उसे भी अनुच्छेद १९ की सुविधा नही दी जा सकती । मैं समझता हूँ कि साझे के संबंध में यदि ऐसा अन्य कोई मामला पैदा हो जाये तो इस अधिनियम में जो कुछ भी कहा गया है, उससे उन लोगों में अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो उस संस्था के साझेदार हैं और भारत के नागरिक हैं । यह एक सैद्धान्तिक प्रश्न है कि क्या हम इस विधेयक में उन समवायों या अन्य निगमित निकायों को,जो केवल एक व्यक्ति नहीं है, नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने की अनमति देंगे या नहीं । अन्य उच्च न्यायालयों के विनिर्णय भी हैं और उनका हवाला देना यहां आवश्यक नहीं है । पर यहां पर तो सीधा सादा प्रश्न यह है कि क्या हम इस विधेयक के प्रयोजनों के लिये समवायों को भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देते हैं । मैं समझता हूँ कि इस अवस्था में न तो यह उचित और न सुरक्षित ही है कि जो लोग इस देश के नागरिक नहीं है और यदि वे कोई समवाय या निगम बनाते हैं तो उन्हें नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी जाय । हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस अवस्था में ऐसा करना हमारे हित में नहीं होगा । और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जिसमें इस प्रकार के निगमों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार हो क्योंकि बहुत से विदेशी लोग जो देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते, ऐसे समवायों के सदस्य बन कर अप्रत्यक्ष रूप से उन अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं जो उस देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं । अतः मैं बता देना चाहता हूं कि यह परिभाषा केवल इस विधेयक के प्रयोजनों के लिये है और जहां तक संस्थाओं का संबंध है, कोई भी कठिनाई नहीं है । जहां तक अन्य निगम निकायों का प्रश्न है, इस प्रश्न पर उपयुक्त अधिनियमों के अन्तर्गत अलग विचार किया जा सकता है कि हम उनको क्या क्या अधिकार देना पसंद करेंगे या नहीं ।

मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अभी हाल के एक निश्चय की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करूगा । मैं समझता हूँ कि इसमें उस बात का स्पष्टीकरण किया गया है । इसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद १९ के अधीन एक निगम को नागरिक नहीं माना जा सकता ।

मुझे विश्वास है कि सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि इस विधान को प्रारित करते समय हमें निगम-निकायों को अधिकार नहीं देना चाहिये। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने जम्मू और काश्मीर के प्रश्न के बारे में बात उठाई थी। स्थिति यह है कि संविधान में अनुसूची एक में जम्मू और काश्मीर भारत का एक भाग हो संविधान के अनुच्छेद ३७० के अनुसार संविधान के सभी उपबन्ध उस राज्य पर लागू होंगे केवल उन अपवादों या सुधारों को छोड़कर जिनका निर्देश राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू तथा काश्मीर पर लागू होना) आदेश, १९५४, जारी कर दिया है। उसके खण्ड २ में बताया गया है कि बताये गये अपवादों को छोड़कर अनुच्छेद ३७० जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू होगा। सातवीं अनुसूची में संघ सूची है। इसमें प्रविष्टि ३ को छोड़कर, जिसके स्थान पर कुछ और रखा जायेगा, सभी प्रविष्टियां लागू होगी और अन्य प्रविष्टियों में कुछ सुधार करने पड़ेंगे। प्रविष्टियाँ ८, ९, ३३ और ३४ लागू नहीं होगी। प्रविष्टि ५३ के स्थान पर कुछ और रखा जायेगा। अन्त में प्रविष्टि ७२ और ७६ में जम्मू तथा काश्मीर को सम्मिलित नहीं समझा जायेगा।

श्री कामत : प्रविष्टि १७ के संबंध म क्या हुआ ?

श्री **पाटस्कर** : जहाँ तक इस प्रविष्टि का प्रश्न है वह हमारे विधान की व्याप्ति के बाहर नहीं है।

श्री कामत : तो क्या यह बात उस आदेश में स्पष्ट दी गयी है।

श्री पाटस्कर : जहां तक प्रविष्टि १७ का सम्बन्ध है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं रखा गया है, और इसके परिणाम स्वरूप जहाँ तक नागरिकता का सम्बन्ध है, हम इस सम्बन्ध में विधान बना सकते हैं और उसे राष्ट्रपति के इस आदेश के अधीन जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू कर सकते हैं। अतः जब हमारे पास यह अधिकार है तो स्वभावतः हमें इस विधेयक में इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहिये कि यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा। अतः मैं समझता हूँ कि मेरे मित्रों को अब तो पूर्ण संतोष होगा।

श्री कामत : अब आदेश पूर्ण संतोषजनक है।

श्री ए० एम० थामस: इसमें स्पष्टतया ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है कि यह सारे भारत पर ही लागू होगा ?

श्री पाटस्कर : हम इसका उल्लेख केवल उन्हीं मामलों में किया करते हैं, जिनमें हमें जम्मू तथा काश्मीर के लिये विधान बनाने का अधिकार नहीं होता।

श्री ए० एम० थामस : अभी तक हमने जितने भी विधान बनाये है उनमें एक यह खण्ड सदा रखा है कि क्या यह सारे भारत पर लागू होगा अथवा जम्मू तथा काश्मीर राज्य को इससे मुक्त कर दिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें भी ऐसा खण्ड क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री **पाटस्कर** : जब इस विधान को सारे भारत पर लागू करने का हमें अधिकार है तो इस बात का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है कि यह भारत के एक विशेष अंग पर भी लागू होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार अब यह उल्लिखित करने की व्यवस्था समाप्त करती जा रही है कि यह विधान जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त सारे भारत पर लागू होगा। अतः इसका उल्लेख केवल वहां किया जायेगा जहाँ जम्मू तथा काश्मीर को किसी विधान से मुक्त करना होता है। अतः प्रस्तुत विधेयक में इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री एन० पी० नथवानी : 'व्यक्ति' शब्द को स्पष्टतया परिभाषित करने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री पाटस्कर : मैं तो केवल इस विषय को स्पष्ट करना चाहता था क्योंकि इस सम्बन्ध में कि क्या एक निगम एक व्यक्ति है या नहीं, पर्याप्त तर्क प्रस्तुत किये गये थे ।

श्री एन० पी० नथवानी : यदि आप 'व्यक्ति' शब्द से केवल एक 'प्राकृतिक' व्यक्ति का अर्थ लेते हैं तब तो आप एक 'कृत्रिम' व्यक्ति अर्थात् किसी समवाय अथवा निगम को इस परिभाषा से बाहर रख रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभिप्राय यह है कि निगम तथा निकाय इसमें सम्मिलित न किये जायें ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : मैं आपका ध्यान खण्ड ६ की ओर दिलाना चाहता हूँ जो देशीयकरण द्वारा नागरिकता से सम्बन्ध रखता है । उसमें लिखा है कि तृतीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों में से किसी एक को अथवा सभी को छोड़ा जा सकता है । तृतीय अनुसूची में मद (ङ) में लिखा हुआ है कि "व्यक्ति ऊंचे चरित्र का हो ।" मैं अब पूछना यह चाहता हूं कि क्या सरकार इस मद (ङ) को भी हटा देना चाहती है ?

श्री दातार : इस वाद-विवाद के दौरान में कई रुचिकर बातें पूछी गयी हैं ? और मैं एक एक करके उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । विधि-कार्य मंत्री द्वारा दो बातों का उत्तर तो पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री नारायण दास यह पूछना चाहते हैं कि रेल गाड़ी में पैदा हुए किसी व्यक्ति का क्या बनेगा । उन्होंने इस सम्बन्ध में संशोधन संख्या ११० प्रस्तुत किया है ।

श्री श्रीनारायण दास : मेरा एक और संशोधन भी है ।

श्री दातार : मैं पहले इसी संशोधन पर बोल रहा हूं । यदि वह गाड़ी किसी और देश में से गुजर रही है और उस देश की भी नागरिकता के सम्बन्ध में वही विधि है जो कि हमारी है, तो वह उस देश का नागरिक होगा, और वह किसी भारतीय नागरिक का पुत्र होगा तो वह बच्चा उद्भव के द्वारा भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर लेगा । इसलिये इस मामले में किसी प्रकार को भी कठिनाई नहीं होगी ।

अप्रमाणित जहाजों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया था । खण्ड २ के उपखण्ड (२) के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का यह कथन है इसमें से 'सरकार' शब्द निकाल दिया जाये । इसके सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि किसी भी गैर सरकारी जहाज अथवा विमान को पंजीवद्ध कराना ही होता है, और इसीलिये हमने इसमें "पंजीबद्ध जहाज अथवा विमान" शब्द, रखे हैं । अतः कोई भी जहाज अथवा विमान उसी दशा में अभिज्ञात किया जायेगा जबकि उसका सम्बन्ध किसी सरकार से होगा । इसीलिये हमने 'एक पंजीबद्ध जहाज अथवा विमान' शब्द किसी विशेष अभिप्राय से रखे हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई पंजीबद्ध जहाज अथवा विमान केवल सरकार का ही हो सकता है; यह किसी गैर-सरकारी व्यक्ति का भी हो सकता है । परन्तु यदि किसी गैर-सरकारी व्यक्ति का जहाज पंजीबद्ध नहीं है तो उसमें पैदा होने वाला व्यक्ति इस खण्ड के अन्तर्गत नहीं आ सकता । जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इसका उत्तर यही कुछ है ।

श्री एन० सी० चटर्जी ने लब्धक के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है, और उसके सम्बन्ध में हमारे पास संशोधन संख्या २ तथा ४३ है । संशोधन संख्या २ में यह कहा गया है कि भारत में पाया गया कोई भी परित्यक्त अवयस्क लब्धक भारत में उत्पन्न समझा जायेगा ।

दूसरे संशोधन में "परित्यक्त अवयस्क" शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है । यदि इस प्रकार से परित्यक्त प्रत्येक बालक को हम भारत में पैदा हुआ मान लें तो एक भारी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी, अर्थात् हमारे पड़ौसी देश ऐसे बच्चों को भारत में फैंकते जायेंगे । अतः मेरा यह निवेदन है कि इस व्यावहारिक कठिनाई पर विचार किया जाये और इस प्रकार के सभी परित्यक्त बच्चों को भारत में आश्रय न दिया जाये ।

वे बच्चे राज्यहीन होंगे अथवा न होंगे वह तो एक अलग विचारणीय प्रश्न है । वयस्कता प्राप्त करने के उपरान्त वे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं अथवा किसी अन्य देश को जा सकते हैं । परन्तु ऐसे बच्चों से भारत-भू का भर जाना कदापि उचित नहीं है अतः मैं चाहता हूँ कि इस संशोधन को स्वीकार न किया जाये ।

खण्ड ७ के सम्बन्ध में श्री साधन गुप्त एक विशेष संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं । मेरा निवेदन यह है कि जब भी देश में किसी भू-खण्ड का समावेश हो तो सरकार को यह विचार करने का अधिकार हो कि कौन-कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक हैं और कौन-कौन से नहीं है । खण्ड संख्या ७ सरकार को यह प्राधिकार प्रदान करता है । निश्चय ही सरकार इस अधिनियम अथवा इससे सम्बद्ध अन्य अधिनियमों में दिये गये सिद्धान्तों का ही अनुसरण करेगी, परन्तु ऐसे मामलों में सरकार की सदैव यह नीति रही है कि वह एक अध्यादेश जारी करती है अथवा उस भूखंड के समावेश के उपरांत एक विधि पारित कराती है । जब चन्द्रनगर भारत में समाविष्ट हुआ था, तो उस समय एक अधिनियम पारित किया गया था । पांडिचेरी के समाविष्ट होने पर भी एक इसी प्रकार का अधिनियम पारित किया गया था । अतः इन परिस्थितियों में मामला सरकार के हाथों में छोड़ देना ही उचित होगा । सरकार ही इस बात का निश्चय करेगी कि कौन-कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे । उस भूखण्ड के समाविष्ट होने पर कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा जाना चाहिये । इसीलिये खण्ड ७ में इतने व्यापक शब्द रखे गये हैं, और वे शब्द बिल्कुल ठीक हैं ।

फिर अधिवास के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है । इसके सम्बन्ध में, जब भी जन्म के द्वारा नागरिकताका अधिकार प्राप्त किया जाता है, तो उस समय अधिवास का प्रश्न उठता ही नहीं । इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने से पूर्व यह कहा गया था कि कोई ऐसे उपबंध होने चाहियें जिनके द्वारा कोई व्यक्ति केवल जन्म के द्वारा ही नागरिकता का अधिकार प्राप्त कर सके, यह एक ऐसा खण्ड है जो सभी देशों में समान है—इसके द्वारा भारत की सीमा में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा नागरिकता का अधिकार प्राप्त कर सकेगा । अतः इस मामले में अधिवास का प्रश्न ही नहीं उठता । अधिवास के प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल संवैधानिक उपबंधों से ही है । उसका सम्बन्ध यहां पर नहीं है । यहाँ पर तो इस सामान्य सिद्धान्त को मान लिया गया है कि किसी देश में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति उस देश की नागरिकता के अधिकार को प्राप्त कर लेगा । इस सामान्य सिद्धान्त को मान कर ही हम विश्व नागरिकता की ओर बढ़ सकते हैं । यदि कोई फ्रांसीसी अथवा किसी अन्य देश के व्यक्ति का कोई बच्चा भारत में पैदा होगा तो उसे भारत की नागरिकता स्वयमेव प्राप्त हो जायेगी । इसी प्रकार से यदि किसी भारतीय का कोई बच्चा किसी अन्य देश में पैदा होगा तो वह स्वयमेव उस देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेगा ।

फिर एक और विचित्र प्रश्न पूछा गया है, और वह यह है कि यदि किसी अन्य देश का कोई शासक अपनी पत्नी सहित भारत में

[श्री दातार]

आता है और यहाँ पर उसका बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या बनेगा। हमने जब राजदूतों को खण्ड ३ से विमुक्ति का अधिकार दिया हुआ है तो शासकों अथवा राजाओं की, जो राजदूतों को नियुक्त करते हैं, उससे विमुक्ति का अधिकार क्यों न दिया जाये।

श्रीराघवाचारी ने इस बात पर बल दिया है कि दक्षिणी अफ्रीका से सम्बन्ध रखने वाले संशोधन को खण्ड २ के स्थान पर खण्ड १२ में सम्मिलित किया जाये। आप देखेंगे कि हमने खण्ड २ में अन्य देशों के सम्बन्ध में 'नागरिक' शब्द की परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। इसके अनुसार यदि कार्यपालिका चाहे भी तो भी वह दक्षिणी अफ्रीका के सम्बन्ध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं कर सकती जब तक कि उसे पहले संसद् के सम्मुख प्रस्तुत न किया जाये और उस पर पूर्व स्वीकृति प्राप्त न की जाये। अतः इस प्रश्न का अधिसूचना जारी करने के प्रश्न से गहरा सम्बन्ध है, और इसीलिये मैंने इस संशोधन को उपयुक्त स्थान पर रखा है।

श्री सिंहासन सिंह ने संशोधन संख्या ११२ प्रस्तुत किया है। उसमें यह कहा गया है कि पृष्ठ ३ की पंक्ति १ में "को अथवा के उपरान्त" शब्दों के स्थान पर "के पूर्व अथवा उपरान्त" शब्द रखे जायें। मैं उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद ८ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें एक वैसा ही उपबन्ध रखा गया है जैसा वह कल्पना कर रहे हैं।

श्री सिंहासन सिंह : मैं एक ऐसे मामले की चर्चा कर रहा था जिसमें कोई बच्चा विदेश में पैदा हुआ हो किन्तु पंजीबद्ध न हुआ हो।

श्री दातार : जहां तक बालक के पंजीयन का संबंध है, खंड ५ में इसके संबंध में उपबन्ध किया गया है।

श्री सिंहासन सिंह : परन्तु फिर ऐसे बालक पर खंड १० में वर्णित अनर्हतायें लागू होती हैं।

श्री दातार : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि कुछ मामलों में बालक को पंजीयन की औपचारिकता का पालन करना होगा। या तो बालक अनुच्छेद ८ के अधीन आ सकता है, और या यदि वह बिल्कुल ही अनुच्छेद ८ के अधीन नहीं आता है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र कहते हैं, तो उसे पंजीयन द्वारा आना पड़ेगा। पंजीयन सामान्य प्रक्रिया है जो लाखों व्यक्तियों को करनी पड़ती है। अतः मेरा निवेदन है कि जहां तक इस मामले का संबंध है, यह भी समाविष्ट हो जाता है।

इसके बाद मैं खंड ६ के संबंध में अपने मित्र श्री सी० आर० नरसिंहन द्वारा उठाई गई आपत्ति पर आता हूं।

जहां तक इस परन्तुक का सम्बन्ध है, यह प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के बारे में है जो कुछ विषयों में बहुत योग्य हैं। अतः उन्हें नागरिकता के अधिकार देना हमारे लिए सम्मान की बात है। यदि उनका आचरण अच्छा नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वे प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हो सकते। अतः ऐसे मामलों में अच्छे आचरण की पूर्वधारणा बना लेनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई ऐसा महा-वैज्ञानिक या अन्य कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसका आचरण अच्छा नहीं है, तो हमें पूर्ण अधिकार है कि हम उसे तनिक भी मान्यता न दें। अतः मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि प्रतिष्ठा के कारण अच्छे आचरण की पूर्व-धारणा अवश्य बना लेनी चाहिए; अन्यथा उस व्यक्ति का ध्यान नहीं रखा जायेगा।

श्री सी० आर० नरसिंहन : मैं यह जानना चाहता था कि यह इस रूप में क्यों रखा जाये ?

श्री दातार : उदाहरणार्थ, हम जानते हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छा है । कदाचित्, उस प्रतिष्ठित व्यक्ति से यह बताने के लिए कहना कि वह अच्छा आदमी है उसका अपमान करना होगा । हम यह पूर्वधारणा बना सकते हैं कि वह अच्छा आदमी है ।

श्री के० के० वसु : यह सरकार पर निर्भर है; वह ही यह काम करेगी । यदि वे बुरे हैं, तो वे बुरे आदमी को स्वीकार करेंगे ।

श्री दातार : यह आपका काम है कि आप अच्छी सरकार बनायें या बुरी सरकार बनायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहिले मैं खंड २ के संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करूँगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति १७ के बाद जोड़ दिया जाये:

"Provided that no such notification shall be issued in relation to the Union of South Africa except with the previous approval of both Houses of Parliament."

["परन्तु दक्षिण अफ्रीका संघ के संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना संसद् के दोनों सदनों के पूर्व-अनुमोदन के बिना नहीं निकाली जायेगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १, ११, ७६, १०६, ११०, और १११ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ३ कल लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३, १३, ४५, ४८, और ११२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड ४ विधेय का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ५ कल के लिये रख दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६० और ६१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया था

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६२ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८ से १०

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड ८ से १० को लिया जायेगा, जिनके लिये दो घंटे रखे गये हैं । माननीय सदस्यगण अपने संशोधन प्रस्तुत कर दें ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित खंडों पर निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन प्रस्तुत किये गये :

सदस्य नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री एन० सी० चटर्जी	९	४
श्री एन० सी० चटर्जी	१०	५,६,७
श्री एन० सी० चटर्जी	नया खंड १०क	८
श्री एन० आर० मुनिस्वामी	८	९०
श्री बैरी	९	११७,१४४, १४५
श्री श्रीनारायण दास	१०	२१,२२,३१
पंडित ठाकुरदास भार्गव	१०	६६,९५, ९८, १२०
श्री साधन गुप्त	८	८९
श्री साधन गुप्त	९	९१
श्री साधन गुप्त	१०	९२,९३, ९४,११८, ९९,१००, १०१,१०२, १०३
श्री कामत	९	१५,१६,
श्री कामत	१०	१९, २०, २३ २५, २७, २९ ३०
श्री कामत	८	६३
श्री एच० एन० मुकर्जी	१०	१७, २६, २८

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब संशोधन अब सभा के सामने हैं ।

८ से लेकर १० तक खंडों पर अब इन सारे संशोधनों के साथ विचार विमर्श होगा ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : मैंने खंड ८ का एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि "वयस्क होने पर" शब्दों के स्थान पर "नागरिकता के इस प्रकार समाप्त होने का ज्ञान होने पर" शब्द रखे जायें । यह बड़ा ही साधारण संशोधन है और सरकार इसे स्वीकार कर सकती है ।

नागरिकता के पुनः ग्रहण करने के बारे में विधेयक के यह उपबन्ध है कि अवयस्क बालक जिसकी नागरिकता अपने पिता की नागरिकता समाप्त होने के साथ समाप्त हो गई हो, वयस्क होने पर एक वर्ष के भीतर नागरिकतम पुनः ग्रहण कर सकता है । मैं चाहता हूँ कि ऐसे बालक को नागरिकता पुनः ग्रहण करने का अवसर इस रूप में न देकर इस प्रकार दिया जाय कि अवयस्क बालक इस बात का ज्ञान होने के बाद कि उसके पिता ने स्वयं ही नागरिकता छोड़ दी थी, एक वर्ष के भीतर नागरिकता पुनःग्रहण कर सकता है । इसका कारण यह है कि हो सकता है कि अवयस्क पुत्र को इस बात का ज्ञान ही न हो कि उसके पिता ने भारतीय नागरिकता का स्वतः त्याग किया था । अतः उसे अपनी नागरिकता पुनः ग्रहण करन का अवसर केवल अपने पिता की नागरिकता के समापन का ज्ञान होन पर ही दिया जाना चाहिए । आखिरकार हम व्यक्ति की दोहरी नागरिकता पर विचार कर रहे हैं और जब पिता किसी दूसरे देश का नागरिक होने के कारण भारतीय नागरिकता का स्वतः त्याग कर देता है, तो उसके अवयस्क पुत्र की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है । इसलिए, पुत्र को इस बात का ज्ञान होने पर अपनी नागरिकता पुनः ग्रहण करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए । मेरा संशोधन स्वीकार करने से कोई भ्रम या प्रतिक्रिया नहीं होगी क्यों कि हम व्यक्ति को

उसके जीवन काल में दो बार नागरिकता पुनः ग्रहण करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय अन्यथा उसे अपनी नागरिकता के पुनःग्रहण करने में बड़ी कठिनाइयां होंगी।

† **श्री श्रीनारायण** दास : मेरे संशोधन संख्या २१ में कहा गया है कि पृष्ठ ६, पंक्तियां ८ तथा ९ में "विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान" शब्दों के स्थान पर "राज्य" शब्द रखा जाय। मेरा ख्याल है कि जिन सदस्यों ने बहस में भाग लिया है उनमें से अधिकतर सदस्यों ने मेरे संशोधन का समर्थन किया है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इस सभा में सदस्यों द्वारा प्रकट किये गये सामान्य मत को स्वीकार करेंगे।

संविधान में हमने यह उपबन्ध किया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार न करेगा। परन्तु जहां तक मैं जानता हूं, विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दंण्ड देने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। अतः मैंने अपने दूसरे संशोधन में यह सुझाव दिया है कि विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने के कारण भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर दिया जाये।

मेरे तीसरे संशोधन में उल्लेख है कि पृष्ठ ७ में पंक्ति ५ के बाद यह जोड़ दिया जाये "परन्तु ऐसे आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी।" जब तक कि नागरिक राज्य के प्रति वफ़ादार रहता है तब तक उसे कार्यपालिका की इच्छा से, अपनी नागरिकता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इस पर अनुकूल ढंग से विचार करने की कृपा करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

†**श्री कामत**: मैं ने जितने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनमें से दो को छोड़कर सब का संबंध खंड ८ से है। मेरे संशोधन संख्या ६३ में, जो खंड ८ के बारे में है, उन व्यक्तियों में जो युद्धकाल में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देते हैं और जिन पर परन्तुक लागू होता है, परस्पर भेद स्थापित किये जाने की अपेक्षा है। परन्तुक के अनुसार सरकार प्रतिष्ठित व्यक्ति के मामले में, यदि वह नागरिकता के लिये प्रार्थना करे, तो तृतीय अनुसूची में जिन शर्तों का उल्लेख है उन सब को हटा देगी। परन्तु बात यह है कि युद्धकाल में निष्ठायें, भावनायें, देश भक्ति की भावनायें राष्ट्रीय सीमाओं, पार्टी के प्रति निष्ठाओं, आदि की सीमाओं के बन्धन में नहीं रहती। यह बात विचार करने योग्य है कि कोई विदेशी, जो भारतीय नागरिक बन गया है, भारत और उस देश के बीच युद्ध छिड़ने पर अपने ही देश का नागरिक रहना चाहे और युद्धकाल में अपने देश की अच्छी सेवा करने में समर्थ होने के लिये भारत की नागरिकता छोड़ दे। अतः उन लोगों के बारे में मैं यह उपबन्ध चाहता हूँ कि ज्यों ही वे सरकार को यह लिखें कि उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, सरकार को चाहिये कि वह तुरन्त ही उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ले और उन्हें सूचित कर दे कि उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी गई है। फिर मैं समझता हूँ कि उस विदेशी व्यक्ति के मामले में, जिसने किसी विषय में प्रतिष्ठित होने के कारण भारत की नागरिकता केवल प्रार्थना करले प्राप्त कर ली हो, और युद्ध काल में अपने देश की सेवा करना चाहता हो, नागरिकता समाप्त करना अति स्वाभाविक है।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

अन्य संशोधन संख्या १६ है जिसका संबंध खंड ९से है। इसके द्वारा मैं यह उपबन्ध करवाना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति संविधान

---

†मूल अंग्रेजी का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

[श्री कामत]

के लागू होने से पांच वर्ष तक भारत से बाहर रहा हो, और उसने इसका कोई विशद कारण न बताया हो, तो वह स्वतः भारतीय नागरिकता से वंचित हो जायेगा ।

अब मैं विधेयक के अत्यधिक महत्वपूर्ण खंड संख्या १० पर आता हूं । इस खंड का मेरा पहिला संशोधन संख्या ७ है । इस में कहा गया है कि जांच समिति का सभापतित्व उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा होना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं जो मूल बात स्थापित करना चाहता हूँ वह यह है कि यदि कार्यपालिका किसी नागरिक को नागरिकता के अधिकारों से वंचित करना चाहती है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया द्वारा होना चाहिये और या, यदि वह प्रक्रिया सफल न हो तो, आखिर में यह काम वादयोग्य बना देना चाहिये । अर्थात्, यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति विशेष को उसकी नागरिकता से वंचित करती है, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिये कि वह कार्यपालिका के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सके । अतः मेरा सुझाव है कि इस उपबंध में महान परिवर्तन किया जाये । यदि यह ज्यों का त्यों रहता है तो मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि यह उन महान् सिद्धान्तों से बहुत भिन्न हो जायेगा जो हमने संविधान की प्रस्तावना आदि में स्थापित किये हैं । इसके अतिरिक्त मैं इस संबंध में उन कारणों का भी उल्लेख करना चाहता हूँ जिनके आधार पर भारत के नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है । खण्ड (क) ठीक है । खण्ड (ख) में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा तथा अभक्ति का उल्लेख है । मैं पहले ही एक संशोधन प्रस्तुत कर चका हूँ कि इसके स्थान पर भारतीय गणतन्त्र या भारत रखा जाये । मैं नहीं समझ सकता कि संविधान के प्रति अभक्ति कैसे हो सकती है जब कि यह समझ में आता है कि देश के प्रति अभक्ति हो सकती है । अतएव मेरा सुझाव है कि भारत के प्रति "अनिष्ठा" या "अभक्ति" को, किसी व्यक्ति को नागरिकता के अधिकारों से वंचित करने का कारण मानना अधिक अच्छा होगा जहां तक राज्यों का संबंध है, उनकी संख्या २६ है इसलिये मेरा विचार है कि "भारत" रखना अच्छा है ।

खण्ड (ग) में युद्धकाल की घटनाओं का उल्लेख है । शत्रु के साथ पत्र-व्यवहार करने पर दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि मुझे इस बात का अनुभव है कि हो सकता है कि शत्रु से पत्र व्यवहार करना हमारे ही देश को सहायता पहुंचाना हो । अतः हमें एक और खण्ड जोड़ना चाहिये जिसमें यह उपबन्ध हो कि शत्रु के साथ इस ढंग से अविधिवत व्यापार या पत्र-व्यवहार करना जिससे शत्रु को सहायता पहुंचे, दंडनीय होगा और व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने का एक यह भी कारण होगा ।

अब मैं उप खंड (३) और (४) पर आता हूँ । यहां सरकार के वक्ताओं ने 'लोकहित' शब्दों के बारे में इतनी बार वादविवाद किया है कि हमारा विश्वास लोकहित संबंधी उनकी जानकारी से उठ गया है । दूसरे खंड का कोई संशोधन नहीं है क्योंकि वह एक साधारण खंड है । अन्तिम खंड जांच समिति के बार में है और सारभूत है । सर्वप्रथम मैं यह सुझाव देना चाहता हूं जांच समिति का सभापति ऐसा व्यक्ति हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, तथा समिति के सभापति की सहमति से सरकार अन्य सदस्यों को नियुक्त कर सकती है । इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिये कि वह इस धारा के अधीन आदेश देने के साथ समिति के निश्चयों को प्रकाशित तथा स्वीकार करे । यदि यह मान्य न हो कि समिति का सभापति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, तो मैं संशोधन संख्या ३० द्वारा यह उपबन्ध करवाना चाहता

हूं कि इस धारा के अधीन दिये गये आदेश से प्रभावित व्यक्ति को, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार हो ।

अन्त में मैं खंड १० (२) (घ) पर आता हूँ जिसका संबंध ऐसे नागरिक से है जो किसी भी देश में अपराधी ठहराया गया हो और जिसे कम से कम दो वर्ष के कारावास का दंड दिया गया हो । मुझे संदेह है कि ऐसे व्यक्ति को, जो मान लीजिये, दक्षिण अफ्रीका में जाति पृथक्करण की विधियों का विरोध करने पर अपराधी ठहराया जाता है और जिसे २ या ३ वर्ष के कारावास का दंड दिया जाता है, इस देश में नागरिकता खो बैठने का खतरा है। अतः मेरे संशोधन में यह उपबन्ध करने के लिए कहा गया है कि जिस अपराध का उस पर आरोप लगाया जाता है उसमें महा नैतिक नीचता सन्निहित हो । यदि दूसरी ओर, यह उपबन्ध विधेयक से निकाल दिया जाता है तो भी मुझे प्रसन्नता होगी और इसके लिए मैं श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन का समर्थन करता हूँ ।

मैं सभा से अपने सारे संशोधन स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैंने संशोधन संख्या ४, ५, ६, ७, और ८ प्रस्तुत किये हैं ।

नागरिकता से वंचित होने की बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । यह बहुत ही गम्भीर बात है । यदि आप किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करके उसे राष्ट्रहीन बनाते हैं, तो प्रायः आप उसे महादंड दे रहे हैं । इतनी गम्भीर बात कार्यपालिका की इच्छा पर नहीं छोड़नी चाहिये । सरकार चाह जितनी कुशल हो परन्तु नागरिकता समापन को वादयोग्य न बनाना सर्वथा गलत है । किसी भी पुरुष या स्त्री को भारत की नागरिकता देने से पहिले उसके पूर्वचरित्र की जांच करने का आपको पर्याप्त अवसर प्राप्त है । परन्तु ज्यों ही आप किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करते हैं, त्यों ही उस वे मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिनका उल्लेख संविधान में है । फिर, अनुच्छेद ३२ में कहा गया है कि यदि कोई नागरिक किसी मूल अधिकार से वंचित किया जाय, तो उच्चतम न्यायालय अवश्य उसकी रक्षा करे । इस प्रकार नागरिक को स्वतः ही उच्चतम न्यायालय में जाने का विशेषाधिकार होगा । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री को "क्रासरोड्स" और "आरगानाइजर" के अभियोगों के संबंध में न्यायाधीश पतान्जली शास्त्री के महानिर्णय का पुनःस्मरण करा सकता हूँ । उन्होंने कहा था "संविधान के अनुसार ज्यों ही कोई आदमी नागरिक बनता है त यों ही यह संविधान उच्चतम न्यायालय को उन अधिकारों का रक्षक, संरक्षक तथा प्रतिरक्षक बना देता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यह आभारी है कि वे उस अधिकार के खंडन या खंडन करने के प्रयत्न की ओर तुरन्त ध्यान देंगे ।

आप भारत के नागरिक को यह तो अधिकार देते हैं कि यदि उसकी सम्पत्ति छीन ली जाये, यदि व्यापार करने के उस अधिकार में हस्तक्षेप किया जाये, आदि, तो वह उच्चतम न्ययालय में जा सकता है और समुचित लेख या निदेशात्मक आदेश जारी करने की प्रार्थना कर सकता है । परन्तु जब आप किसी को नागरिकता से वंचित करते हैं तो उसे न्यायालय में जाने का भी अधिकार नहीं देते । यह उचित नहीं है तथा मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हें इस प्रकार की मनोवृत्ति त्याग देनी चाहिये । मेरा विचार है कि दस वर्ष की अनुभूति के किसी भी न्यायाधीश के स्थान पर हमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को रखना चाहिये ।

इस संसद् में एक सदस्य को तीन वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया था क्योंकि उन्होंने मानभूम जिले में मातृभाषा के प्रचार के लिये आन्दोलन किया था तथा २२ माह के कारावास के पश्चात् उनको छोड़ दिया गया था । इसके बारे में सभा को यह बता देना चाहता

[श्री एन० सी० चटर्जी]

हूँ कि यदि यह विधेयक पारित हो गया तो इस प्रकार के व्यक्ति नागरिकता अधिकार से हाथ धो बैठेंगे। यह उचित नहीं है। इसलिये हमें नागरिक अधिकारों को कार्यपालिका को नहीं सौंपना चाहिये, तथा इस प्रकार के खण्ड को नागरिकता विधेयक में नहीं रखना चाहिये कि पंजीयन के ५ वर्ष पश्चात्, किसी देश में दो वर्ष से अन्यूनी सजा पाने पर नागरिकता अधिकार समाप्त कर दिये जायेंगे।

खण्ड ९ के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन कि यदि कोई भारतीय स्त्री, विदेशी से विवाह कर लेती है तो हमें उसके नागरिकता अधिकार समाप्त नहीं कर देने चाहियें। मुझे कुछ देशों के सम्बन्ध में ज्ञात हैं, कि विदेशी पुरुष से विवाह के पश्चात् भी वहाँ की स्त्रियां उसी देश की नागरिक रहती हैं। चकोस्लोवाकिया के नागरिकता अधिकार अभी बने हैं तथा उनके अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था है कि, विवाह के पश्चात् उस स्त्री को जन समिति में आवेदन पत्र देना होगा तथा जन समिति निर्णय करेगी कि उसके, चैकोस्लोवाकिया का नागरिक रखा जाये अथवा नहीं। इसीलिये मैंने अपने संशोधन में यही व्यवस्था रखी है कि तलाक आदि के पश्चात् वह पुनः नागरिकता की प्राप्ति कर सकती है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैंने संशोधन संख्या ६६, ९५ तथा १२० प्रस्तुत किये हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हैं कि सरकार ने देश में जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वालों तथा पंजीयन अथवा देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वालों में विभिन्नता रखी है।

देशीयकरण के सम्बन्ध में विधेयक की तृतीय अनुसूची में एक अलग उपबन्ध है। पंजीयन के खण्ड में शरणार्थियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिये। मेरा विचार है कि उनका पंजीयन नहीं होना चाहिये। तथा जन्म से नागरिक तथा शरणार्थियों में कोई अन्तर नहीं रखा जाना चाहिये।

शरणार्थियों को खण्ड १० की छूट दे दी गई है जिसकी मुझे प्रसन्नता है परन्तु पंजीकृत तथा देशीयकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके साथ भी हमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री एन्थनी का यह मत है कि जिन व्यक्तियों को पंजीयन अथवा देशीयकरण के द्वारा नागरिक बना लिया जाये, उन व्यक्तियों के इन प्रमाणपत्रों को रद्द करने वाली कोई विधि नहीं होनी चाहिये। परन्तु विभिन्न देशों के विधानों पर दृष्टिपात से हमें ज्ञात होता है कि इस प्रकार के अधिकार प्रत्येक देश की सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं और इसी कारण हमारी सरकार का इस अधिकार को अपने हाथ में रखना उचित ही है क्योंकि देश के सुरक्षित रखना तथा विदेशियों पर दृष्टि रखना कि वह देश के लिये निष्ठावान् हैं अथवा नहीं, सरकार का कर्त्तव्य है।

जहाँ तक अनिष्ठा का प्रश्न है मैं मानता हूं कि देशीयकरण अथवा पंजीयन प्रमाणपत्रों को रद्द करने का एक अच्छा कारण है। जहां तक अभिक्त का सम्बन्ध है, हमें इसके वैध निर्वचन का ज्ञान होना चाहिये। श्री बाल-गंगाधर तिलक के मामले में अभक्ति को भक्ति का अभाव कहा गया था। परन्तु संविधान निर्माण के समय अनुच्छेद १९ में हमने 'राजद्रोह' शब्द को निकाल दिया था जोकि संविधान 'प्रथम संशोधन' अधिनियम के द्वारा हमको इसे फिर रखना पड़ा है। 'राजद्रोह' वास्तव में अनिष्ठा का ही एक अंग है तथा सच यह है कि अनिष्ठा इससे कहीं बढ़ कर है। । इसलिये मैं इसका यह अर्थ समझता हूँ कि जब अभक्ति सिद्ध की जा सकती है तब किसी व्यक्ति के भाषण को राजद्रोह सिद्ध करके, अनिष्ठा को भी सिद्ध किया जा सकता है। इस विषय पर सभा में कई बार

चर्चा हो चुकी है। तथा मैं कई बार सभा में कह चुका हूं कि हमें 'राजद्रोह' शब्द की पूर्णतया परिभाषा कर देनी चाहिये क्योंकि उच्चतम न्यायालय की मास्टर तारासिंह के मामले में उद्घोषणा के पश्चात् भी इस शब्द की परिभाषा नहीं की गई है।

अभक्ति शब्द के सम्बन्ध में उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय किसी की भी कोई उद्घोषणा नहीं है इसलिये उसके कुछ भी अर्थ लगाये जा सकते हैं। इसलिये 'अभक्ति' (disaffection) शब्द को इस विधयक में से हटा देना चाहिये जबकि 'अनिष्ठा' (disloyalty) शब्द को रखना चाहिये।

मैंने श्री कामत, श्री एन० सी० चटर्जी तथा श्री फ्रैंक एन्थनी के भाषणों को सुना। श्री एैन० सी० चटर्जी ने संविधान के अनुच्छेद ३२ की ओर इंगित किया तथा कहा कि ये मूलभूत अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्राप्त हुय हैं। परन्तु यदि आप अनुच्छेद ३२ को पढ़ें तो उसमें ये अधिकार विदेशियों को स्वीकृत नहीं किये गये हैं। इसलिये ये कहना कि उनके मूलभूत अधिकार छीन लिये गये हैं, बेकार सा है।

इसके अतिरिक्त जब किसी व्यक्ति के नागरिकता अधिकार छीन लिये जायेंगे तो वह नागरिक नहीं रहेगा। तब वह उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद ३२ के अधीन अपने मामले को किस प्रकार प्रस्तुत कर सकेगा। इसलिय वैध रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह मूलभूत अधिकार है।

परन्तु मैं यह मानता हूं कि हमें उस व्यक्ति के साथ न्याय करना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये सरकार एक समिति नियुक्ति करेगी जिसका सभापति दस वर्ष के न्यायिक अनुभवों का होगा। परन्तु मैंने एक संशोधन की सूचना दी है जिसमें यह कहा गया है कि उक्त समिति का सभापति साधारणतया उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। क्योंकि दस वर्ष का न्यायिक अनुभव वाला व्यक्ति तो एक सत्र न्यायाधीश भी हो सकता है। मेरा विचार है कि जब हम एक विदेशी के साथ न्याय करना चाहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि समस्त संसार हमारे निर्णयों पर दष्टिपात करेगा जो कि गंभीर विषय है इसलिये मेरा सुझाव है कि इस समिति का सभापति एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिये। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका सरकार को भी इस मामले को निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये।

मैंने खण्ड १०(२) (घ) के सम्बन्ध में भी एक संशोधन प्रस्तुत किया है क्योंकि इसके अन्तर्गत निर्धारित दण्ड बहुत कठोर है। मेरा विचार है कि केवल इस आधार पर कि किसी व्यक्ति को किसी देश में दो वर्ष से अन्यून का दण्ड मिल चुका है उसको नागरिकता से वंचित कर देना उचित नहीं है। इस देश में अथवा विदेश में जब तक वह अपराध उसके नैतिक पतन से सम्बन्धित न हो अथवा जब तक हम इस निर्णय पर न पहुंच जायें कि वह व्यक्ति देश का नागरिक बनने योग्य नहीं है, तब तक हमें उसके नागरिकता के अधिकार नहीं छीनने चाहियें क्योंकि केवल कारावास का दण्ड कोई अर्थ नहीं रखता है। जैसा श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा यदि कोई विदेशी जिसको नागरिक बना लिया गया है गोआ में सत्याग्रह करने पर दण्डित होता तो उसकी नागरिक अधिकार हमें नहीं छीनने चाहिये तथा मैं तो उसका समर्थन करूंगा।

खंड १० (२) (ङ) के सम्बन्ध में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। जो व्यक्ति यहां के निवासी है जिनके पूर्वज यहां रहें वही व्यक्ति इस देश के हैं तथा देश उनका है। उनका देश पर प्रथम अधिकार है। पंजीयन तथा देशीयकरण से प्राप्त नागरिकता के व्यक्ति केवल देश की अनुमति से ही यहां के निवासी

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

है । इसलिये सरकार को उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का भी अधिकार है । मैं इस सम्बन्ध में श्री फ्रैंक एन्थनी से सहमत नहीं हूं । मेरा निवेदन है कि मेरे तीनों संशोधन स्वीकृत किये जायें ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय संशोधन संख्या ११७, १४४, तथा १४५ को मैंने तथा मेरे मित्र श्री बैरो ने सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया है परन्तु संशोधन संख्या ११७ के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उसमें कुछ गलतियों हैं । मैं उस पर आग्रह नहीं करना चाहता ।

खण्ड ८ में ऐसे व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार छीनने की व्यवस्था है जो कि दूसरे देश का नागरिक भी हो । यह उपबंध बड़ा ही अजीब है । हमें इस प्रकार की व्यवस्था रखनी ही नहीं चाहिये जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दो देशों का नागरिक बन सके । इसलिये मेरा सुझाव है कि खण्ड ९ के उपखण्ड (१) को पूर्णरूप से हटा दिया जाये । खण्ड ८ में पंजीयन की व्यवस्था है तथा खण्ड ९ (१) में कहा गया है कि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा । इस प्रकार खण्ड ८ व्यर्थ हो जाता है । परन्तु खण्ड ८ का उपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक बनना चाहता है और वह ऐसा एक घोषणा के द्वारा ही कर सकता है । इस प्रकार खण्ड ९ बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मान लीजिये वह नागरिकता को समाप्त करने की घोषणा नहीं करता तथा ऐसा कोई कार्य करता है जिससे उसकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिये । तब खण्ड ९ (२) के अनुसार कोई पदाधिकारी निश्चित करेगा कि उसका कार्य ऐसा है अथवा नहीं जिससे नागरिकता समाप्त हो सके ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि खंड ९ निरर्थक है । सरकार को यह पता कैसे चलेगा कि किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है ? इसके परन्तुक में यह कहा गया है कि केवल युद्ध की दशा में भारत सरकार के कुछ विशेष अधिकार रक्षित होंगे । भारतीय नागरिकता घोषणा और पंजीयन के द्वारा किन परिस्थितियों में समाप्त हो सकेगी ? खंड ९ (१) के परिणामस्वरूप खंड ८ निरर्थक हो जाता है । मेरी राय है कि सरकार को, स्वयं अपने हित में, खंड ९ (१) नहीं रखना चाहिये । एक ओर तो आप यह कहते हैं कि नागरिकता का त्याग केवल घोषणा तथा पंजीयण के द्वारा हो सकता है और दूसरी ओर खंड ९ में यह उपबन्ध रखा गया है कि ज्यों ही कोई व्यक्ति जिसे भारतीय नागरिकता प्राप्त है, किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेगा, त्यों ही वह भारतीय नागरिकता से हाथ धो बैठेगा । इसलिये मेरा कहना यह है कि खंड (८) ज्यों का त्यों रहा आये और खंड ९ (१) निकाल दिया जाये । यह उपबन्ध करने में कोई तुक नहीं है कि ज्यों ही कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है वह स्वतः भारतीय नागरिक नहीं रहता । सरकार यह कैसे जान सकती है कि अमुक व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया है ।

यदि सरकार खंड ९ (१) को निकालने को तैयार नहीं है तो मेरी प्रार्थना है कि कम से कम उसे संशोधन संख्या १४५ स्वीकार कर लेना चाहिये । मैं सरकार का कृतज्ञ हूं कि उसने मेरी इस प्राथना को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि नागरिकता के त्याग तथा दूसरे देश की नागरिकता क अर्जन सम्बन्धी उपबन्ध उस समय प्रभावी होना चाहिये जब कि यह अधिनियम लागू हो । सरकार ने यह रियायत १९४७ से २६ जनवरी, १९५० तक की कालावधि के सम्बन्ध में दी है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह रियायत २६ जनवरी,

१९५० से बाद की अवधि के सम्बन्ध में भी क्यों नहीं दी जा रही है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैंने जो संशोधन रखा है वह खंड १० के सम्बन्ध में है । इस सम्बन्ध में पहले ही अनेक तर्क प्रस्तुत किये जा चुके हैं और मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता। परन्तु मेरा ख्याल है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभा को यह बताय कि नागरिकता से वंचित होने के सम्बन्ध में वह न्यायिक प्रक्रिया को मानने के लिये तैयार क्यों नहीं है ।

विधेयक के संयुक्त समिति को सौंपे जाने के पहले गृह-कार्य मंत्री ने यह बताया था कि न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में है । मैं समझता हूं कि हमें भी वही प्रक्रिया अपनानी चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अब कल पूरा करें ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५]

राज्य-सभा से संदेश—६५५९

सचिव ने राज्य-सभा के इस सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने अपनी ३० नवम्बर, १९५५ की बैठक में हिन्दू-उत्तराधिकार विधेयक पारित कर दिया।

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया—६५५९

सचिव ने राज्य-सभा द्वारा पारित रुप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखी।

१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—६५५९

श्री बी० आर० भगत न केन्द्रीय सरकार के १९५५–५६ में खर्च के लिये (रेलवे के अतिरिक्त) अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत किया।

१९५०–५१ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें—६५६०

श्री बी० आर० भगत ने केन्द्रीय सरकार को १९५०–५१ में खर्च के लिये (रेलवे के अतिरिक्त) अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत किया।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य—६५६०-६१

वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरीका के विदेशमंत्री और पुर्तगाल के विदेश मंत्री द्वारा जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य।

विधेयक पर विचार—६५६१–६६५२

नागरिकता विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूपमें, अग्रेतर विचार किया गया। विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार किया गया। खंड २ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। खंड ३ और ५ पर विचार रोक लिया गया। खंड ४, ६ और ७ स्वीकृत हुए। खंड ८ से १० पर विचार समाप्त नहीं हुआ।